सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग,5 संसद मार्ग,
पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2011-2012

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

गेट नं. 4, प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

अध्याय सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना ।	**1-4**
2.	आयोग का गठन और कार्य ।	**5-7**
3.	आयोग की बैठकें ।	**8-14**
4.	सूचना का अधिकार (आर टी आई)	**15**
5.	वर्ष की मुख्य-मुख्य बातें।	**16-17**
6.	यात्रा तथा दौरे	**18-27**
7.	वर्ष के दौरान प्राप्त याचिकाओं तथा शिकायतों का विश्लेषण	**28-83**
8.	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों के वंचन और विश्वविद्यालय से सम्बद्धता संबंधी मामले	**84-108**
9.	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ एवं आयोग की सिफारिशें।	**109**
10.	अल्पसंख्यकों की शिक्षा के एकीकृत विकास के लिए सिफारिशें	**110-111**
11.	अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन या वंचन के दृष्टांत	**112-134**
12.	निष्कर्ष	**135-137**
	अनुबंध	**139-147**

अध्याय 1 – प्रस्तावना

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 16 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिणक संस्था आयोग को पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का व्यापक विवरण देते हुए प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और इसकी एक प्रति केन्द्र सरकार को भेजने का अधिदेश प्राप्त है। इसके अनुसरण में यह वर्ष 2011-2012 की आयोग की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की स्थापना दिनांक 11 नवम्बर, 2004 के एक अध्यादेश द्वारा की गई थी जिसे दिसम्बर 2004 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 16 नवम्बर, 2004 को आयोग का गठन किया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सरकार ने 26 नवम्बर, 2004 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा न्यायमूर्ति एम एस ए सिद्दिकी को आयोग का प्रथम अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004:- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) को 6 जनवरी 2005 को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को अधिनियम के तहत गठित किया गया है। आयोग के मुख्य कार्य तथा शक्तियां निम्नलिखित हैं

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित किसी प्रश्न, जो उसे निर्देशित किया जाए, पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना।

(ख) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने और किसी विश्वविद्यालय के संबंधन से संबंधित किसी विवाद के बारे में विनिर्दिष्ट मामलों की जॉच पड़ताल करना तथा समुचित सरकार को उनके कार्यान्वयन के लिए अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देना ; और

(ग) ऐसे अन्य कार्य करना जो आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 : आयोग को और अधिक सक्रिय व इसकी कार्यपद्धति को और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयोग द्वारा सरकार को इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सिफारिशें की गई थीं। सरकार ने संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया । तथापि, संसद द्वारा पारित 93वें संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपबंध करते हुए संविधान में अनुच्छेद 15 (5) को समाविष्ट किया गया था, के अनुसरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा तदनुरूप संशोधन करना आवश्यक हो गया । इसके फलस्वरूप, सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2006 को एक अध्यादेश अधिसूचित किया गया जिसका स्थान आगे चलकर संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम 2006 ने ले लिया जो 29 मार्च, 2006 को अधिसूचित हुआ ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग संशोधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किए गए संशोधन द्वारा सभी संबंधक विश्वविद्यालयों को अधिनियम के दायरे में लाया गया जिससे कि संबंधन के संबंध में

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को व्यापक विकल्प प्रदान किए जा सके । इसमें नई धाराओं को समाविष्ट किया गया है ताकि आयोग की कार्यवाही की पवित्रता को बनाए रखा जा सके तथा केन्द सरकार अथवा राज्य सरकारों के किसी अधिकारी की सेवाओं का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के वंचन संबंधी मामलों की जांच करने के लिए आयोग की शक्तियों में बढ़ोत्तरी हो सके । आयोग को यह अधिकार दिया गया था कि वह शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसख्यक दर्जा देने संबंधी मामलों का निर्णय कर सके तथा साथ ही उन संस्थाओं, जो निर्धारित मानकों को लागू करने में असफल होते हैं, के अल्पसख्यक दर्जे को निरस्त भी कर सके। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में एक ऐसा मान्य प्रावधान भी शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपनी संस्था की स्थापना के संबंध में आगे कार्रवाई कर सकती है यदि राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के बारे में 90 दिनों के भीतर अपने निर्णय से उन्हें सूचित न करे । आयोग को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने से इन्कार करने संबंधी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया था ।

उक्त संशोधन में अन्य के अलावा धारा-12 च को अन्तः स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत रिट संबंधी अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र का किसी भी प्रत्यक्ष आवेदन अथवा आयोग के किसी भी आदेश के संबंध में अन्य कार्यवाही पर विचार करने के लिए वर्जन किया गया । रा अ शै सं आ.अधिनियम, 2004 की धारा 12 च को निम्नवत पढ़ा जाए :-

12 च ''अधिकार-क्षेत्र का वर्जन : 'कोई न्यायालय (संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अलावा) इस अध्याय के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद, आवेदन या अन्य कार्रवाईयो पर विचार नहीं करेगा ।''

इसके पश्चात् रा अ शै सं आ़ अधिनियम की धारा 12 ख(4) के प्रावधान के बारे में अनेक सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें राज्य सरकार के परामर्श से प्रावधान को हटाने का सुझाव दिया गया । अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था जहां विश्वविद्यालयों को छोड़ दिया गया था, की परिभाषा के संबंध में धारा-2 (छ) में संशोधन करने की आवश्यकता के बारे में अनेक सुझाव प्राप्त हुए । एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' दिए जाने से संबंधित धारा-10 के प्रावधान में अस्पष्टता दूर करने की आवश्यकता पर भी सुझाव प्राप्त हुए । इन सुझावों की आयोग में जांच की गई । यह महसूस किया गया कि आयोग द्वारा अपील पर निर्णय लिए जाने के लिए अधिनियम की धारा-12ख के अनुसार राज्य सरकार के साथ परामर्श करने की आवश्यकता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है । यह देखा गया कि राज्य सरकार से परामर्श करने से पीड़ित पार्टी के पक्ष में सृजित अपील के अधिकार में बहुत हद तक कमी आई है। अधिनियम की धारा-10(1) में प्रावधान के अध्ययन मात्र से यह पता चलता है कि सभी मामलों में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' आवश्यक है । हालांकि, ऐसी संस्थाओं विशेषकर तकनीकी तथा व्यावसायिक कॉलेजों से संबंधित संस्थाओं की स्थापना को विनियमन करने वाले विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकारी से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था । इसलिए, धारा 10(1) में आवश्यक संशोधन जरूरी समझा गया। आयोग के कार्यभार में पर्याप्त रूप से होती बढ़ोत्तरी और आयोग को और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए मौजूदा दो सदस्यों के अतिरिक्त एक अन्य सदस्य की आवश्यकता भी महसूस की गई । तदनुसार, आयोग की सिफारिशों पर, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए रा अ शै सं आ अधिनियम, 2004 में संशोधन किया गया ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम 2010

आयोग को और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सरकार ने आयोग में सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने के लिए 1.9.2010 से 2010 के अधिनियम 20 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम में संशोधन किया।

यह आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है तथा इसे एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। यह पहली बार है कि अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा एक आयोग स्थापित किया गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, आयोग को न्यायिक कार्य और संस्तुति करने की शक्तियां हैं। आयोग का जनादेश बहुत व्यापक है। इसके कार्यों में अन्य बातों के अलावा किसी विश्वविद्यालय से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंधन होने से संबंधित किसी विवाद का निपटारा करने, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वंचन तथा उल्लंघन संबंधी शिकायतों का निपटान करने तथा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित आयोग को भेजे गए किसी मामले पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को सलाह देना शामिल है।

आयोग ने शास्त्री भवन से कार्य करना प्रारंभ किया था तथा अगस्त, 2005 में आयोग संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित जीवन तारा भवन के अपने परिसर में स्थानान्तरित हो गया। इस समय आयोग जीवन तारा भवन के प्रथम तल (गेट नं. 4), 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली से कार्य कर रहा है। सरकार ने आवश्यक प्रशासनिक व कार्यालय कार्य के लिए प्रारंभ में 22 पद संस्वीकृत किए थे। बाद में, सरकार ने 11 अतिरिक्त पद संस्वीकृत किए। इस प्रकार, इस समय आयोग में निम्नलिखित 33 पद हैं-

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1.	सचिव	1
2.	उप-सचिव	1
3.	वरिष्ठ प्र.नि.स.	1
4.	अवर सचिव	1
5.	अनुभाग अधिकारी	1
6.	निजी सचिव	5
7.	सहायक	1
8.	वैयक्तिक सहायक	5
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
10.	लेखाकार	1
11.	उर्दू अनुवादक	1
12.	आशु. श्रेणी 'घ'	3
13.	रीडर/उ.श्रे.लिपिक	1
14.	अवर श्रेणी लिपिक	2
15.	स्टाफ कार ड्राइवर	1
16.	दफ्तरी	1
17.	चपरासी	6
	योग	**33**

कुछ पदों को आयोग द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर और कुछ अन्य पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा गया है। आयोग में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रुप देने तक, जो सरकार के विचाराधीन है, कुछ व्यक्ति संविदा आधार पर परामर्शदाता के रुप में कार्य कर रहे हैं । काफी अधिक संख्या में याचिकाएं/आवेदन आ जाने के कारण आयोग को वर्तमान स्टाफ से इस कार्यभार को संभालने में कठिनाई आई है और आयोग ने, विशेषकर न्यायिक मामलों, जो कि इसका मुख्य कार्य है, को निपटाने के लिए तथा साथ ही सभी रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी कार्य को संभालने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए सरकार को लिखा है। तीसरे सदस्य ने 26.3.2012 से आयोग में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अध्याय 2 – आयोग का गठन और कार्य

आयोग की स्थापना 11 नवम्बर, 2004 को अधिसूचित एक अध्यादेश (2004 की संख्या 6) के जरिए हुई थी । इसके बाद अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक विधेयक पेश किया गया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) पारित हुआ जिसे 6 जनवरी, 2005 को अधिसूचित किया गया । संसद ने रा.अ.शै.सं.आ. (संशोधन), अधिनियम, 2006 पारित किया, जिसे 29 मार्च, 2006 को अधिसूचित किया गया । इस अधिनियम में आगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधन किया गया ।

सरकार ने न्यायमूर्ति एम एस ए सिद्दिकी को आयोग का पहला अध्यक्ष और श्री बी एस रामूवालिया एवं श्री वाल्सन थम्पू को पहले सदस्य के रूप में नियुक्त करते हुए दिनांक 26 नवम्बर, 2004 को एक अधिसूचना जारी की । श्री वाल्सन थम्पू ने 11 सितंबर, 2007 को आयोग के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया । उनके बाद, श्रीमती बसंती स्टेनली की सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई और 05 मार्च, 2008 को उनके त्यागपत्र दिए जाने पर सिस्टर जैस्सी कुरियन की 27 मार्च, 2008 को सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई । श्री बी एस रामूवालिया ने 31.3.2009 को सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया । 05 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेने पर, न्यायमूर्ति एम एस ए सिद्दिकी ने 28.11.2009 को अध्यक्ष का कार्यभार छोड़ दिया और सिस्टर जैस्सी कुरियन ने अपना कार्यकाल 5.12.2009 को पूरा किया । सरकार ने आगे और पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यायमूर्ति एम एस ए सिद्दिकी की आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की और उन्होंने अपना कार्यभार 18.12.2009 को ग्रहण किया । इस समय डॉ मोहिन्दर सिंह और डॉ सिरीयक थॉमस आयोग के दो सदस्य हैं, जिन्होने 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः 8, अप्रैल, 2010 और 12 अप्रैल, 2010 को कार्यभार ग्रहण किया है । श्री जफर आगा ने 26.3.2012 को आयोग के तीसरे सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अधिनियम की धारा-11 के अनुसार आयोग के कार्य निम्नानुसार है :-

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर, जो उसे भेजा जाए, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ख) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अथवा इसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने अथवा उनका अतिक्रमण किए जाने और किसी विश्वविद्यालय से संबंधन से संबंधित किसी विवाद के बारे में शिकायतों की अपनी ओर से या उसे प्रस्तुत की गई किसी याचिका पर जाँच पड़ताल करना और समुचित सरकार को इनके कार्यान्वयन के लिए अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देना

(ग) किसी न्यायालय के समक्ष ऐसे न्यायालय की अनुमति से अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने से संबद्ध किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना ;

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अन्तर्गत किए गए सुरक्षापायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना ;

(ङ) अल्पसंख्यक स्थिति तथा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के स्वरूप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना ;

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रुप में किसी संस्था के दर्जा से संबंधी सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस प्रकार इसके दर्जे की घोषणा करना ;

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समुचित सरकार से सिफारिशें करना ; और

(ज) आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य कार्य एवं बातें करना जो आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है तथा अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन हेतु इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं । आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल है-

(1) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था और किसी विश्वविद्यालय के बीच उसके ऐसे विश्वविद्यालय से संबंधन होने के संबंध में कोई विवाद उठता है तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(2) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, किसी वाद का विचारण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे रिकार्ड अथवा दस्तावेज अथवा रिकार्ड की प्रति की अपेक्षा करना ;

(ड.) साक्षियों या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(3) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

आयोग के पास किसी भी संस्था के एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में दर्जे से संबंघित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार शामिल है । यह अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े विवादों के संबंध में

एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता है । किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने से मना करने पर व्यथित शैक्षणिक संस्थाएं ऐसे आदेशों के विरूद्ध आयोग में अपील कर सकती हैं । आयोग को इस अधिनियम में निर्धारित आधारों पर किसी शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे को निरस्त करने का भी अधिकार है ।

आयोग को अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के अतिक्रमण अथवा वंचन किए जाने की शिकायतों की जाँच करते समय संज्ञान लेने का भी अधिकार है । जहाँ किसी जांच में लोक सेवक द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का अतिक्रमण अथवा वंचन किया जाना साबित होता है, वहाँ आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई, जिसे वह उचित समझे, शुरु करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकारी से सिफारिश कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन कोई उच्च न्यायालय अनुच्छेद-32 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में केवल उच्चतम न्यायालय ही आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद, आवेदन या कार्यवाही पर विचार कर सकते हैं ।

संसद द्वारा सम्यक विनियोजन किए जाने के पश्चात् आयोग को केन्द्र सरकार से अनुदान मिलता है। इस अनुदान का उपयोग आयोग के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है । आयोग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करता है और इन लेखाओं की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अर्थान्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी लोक सेवक माने जाते हैं ।

अध्याय 3 - आयोग की बैठकें

रा.अ.शै.सं.आ. अधिनियम की धारा 12(3) यह अनुबंधित करती है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और आयोग को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा । आयोग अर्द्ध-न्यायिक निकाय होने के कारण औपचारिक न्यायालय की बैठकें आयोजित करता है। एक औपचारिक न्यायालय कक्ष इस प्रयोजनार्थ आयोग के परिसर में उपलब्ध है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, आयोग ने नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार न्यायालय के रूप में 162 बैठकें आयोजित कीं और 5022 मामलों की सुनवाई की-

1.4.2011 से 31.03.2012 तक न्यायालय की बैठकों का ब्यौराः-

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
1	05.04.2011	26
2	06.04.2011	22
3	07.04.2011	40
4	13.04.2011	23
5	19.04.2011	34
6	20.04.2011	49
7	25.04.2011	25
8	26.04.2011	154
9	27.04.2011	24
10	28.04.2011	24
11	02.05.2011	34
12	03.05.2011	23
13	04.05.2011	20
14	05.05.2011	23
15	09.05.2011	49
16	10.05.2011	20
17	11.05.2011	32
18	12.05.2011	25
19	16.05.2011	25
20	18.05.2011	26
21	19.05.2011	29
22	24.05.2011	27
23	25.05.2011	26
24	26.05.2011	23

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
25	31.05.2011	23
26	01.06.2011	22
27	02.06.2011	22
28	07.06.2011	24
29	08.06.2011	25
30	09.06.2011	25
31	14.06.2011	01
32	05.07.2011	31
33	06.07.2011	24
34	07.07.2011	23
35	12.07.2011	15
36	13.07.2011	24
37	14.07.2011	48
38	19.07.2011	30
39	20.07.2011	21
40	21.07.2011	28
41	26.07.2011	31
42	27.07.2011	21
43	28.07.2011	27
44	02.08.2011	35
45	03.08.2011	26
46	04.08.2011	81
47	08.08.2011	03
48	09.08.2011	01
49	10.08.2011	23
50	11.08.2011	28
51	16.08.2011	26
52	17.08.2011	55
53	18.08.2011	28
54	23.08.2011	27
55	24.08.2011	27
56	25.08.2011	24
57	29.08.2011	06
58	05.09.2011	19
59	06.09.2011	26

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
60	07.09.2011	25
61	08.09.2011	30
62	12.09.2011	24
63	13.09.2011	93
64	14.09.2011	27
65	15.09.2011	24
66	19.09.2011	34
67	20.09.2011	23
68	21.09.2011	30
69	22.09.2011	34
70	26.09.2011	51
71	27.09.2011	29
72	28.09.2011	34
73	29.09.2011	31
74	03.10.2011	17
75	04.10.2011	31
76	05.10.2011	26
77	10.10.2011	34
78	11.10.2011	24
79	12.10.2011	27
80	13.10.2011	31
81	17.10.2011	98
82	18.10.2011	64
83	19.10.2011	24
84	20.10.2011	25
85	24.10.2011	23
86	25.10.2011	29
87	27.10.2011	24
88	01.11.2011	19
89	02.11.2011	74
90	03.11.2011	36
91	08.11.2011	25
92	09.11.2011	24

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
93	14.11.2011	22
94	15.11.2011	32
95	16.11.2011	34
96	17.11.2011	28
97	21.11.2011	02
98	22.11.2011	30
99	23.11.2011	22
100	24.11.2011	25
101	28.11.2011	22
102	29.11.2011	22
103	30.11.2011	22
104	01.12.2011	40
105	05.12.2011	47
106	07.12.2011	47
107	08.12.2011	21
108	12.12.2011	54
109	13.12.2011	23
110	14.12.2011	27
111	15.12.2011	27
112	19.12.2011	24
113	20.12.2011	18
114	21.12.2011	18
115	22.12.2011	26
116	02.01.2012	77
117	03.01.2012	23
118	04.01.2012	23
119	05.01.2012	35
120	09.01.2012	58
121	10.01.2012	23
122	11.01.2012	21
123	12.01.2012	161
124	16.01.2012	21
125	17.01.2012	26

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
126	18.01.2012	25
127	19.01.2012	24
128	24.01.2012	09
129	25.01.2012	78
130	31.01.2012	50
131	01.02.2012	24
132	02.02.2012	28
133	06.02.2012	25
134	07.02.2012	45
135	08.02.2012	30
136	09.02.2012	34
137	13.02.2012	01
138	14.02.2012	27
139	15.02.2012	32
140	16.02.2012	02
141	21.02.2012	28
142	22.02.2012	19
143	23.02.2012	23
144	27.02.2012	32
145	28.02.2012	36
146	29.02.2012	32
147	01.03.2012	24
148	05.03.2012	27
149	06.03.2012	33
150	07.03.2012	34
151	13.03.2012	19
152	14.03.2012	22
153	15.03.2012	27
154	16.03.2012	01
155	19.03.2012	26
156	20.03.2012	24
157	21.03.2012	29
158	22.03.2012	21

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	मामलों की संख्या
159	26.03.2012	22
160	27.03.2012	59
161	28.03.2012	28
162	29.03.2012	74
योग		**5022**

आयोग ने पिछले वर्ष 2010-2011 की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक बैठकें आयोजित कीं और सुनवाई किए गए मामलों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक थी ।

पिछले सात वर्षों के दौरान आयोजित न्यायालय की बैठकें और सुनवाई किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

वर्ष	बैठकें	मामले
2005-06	45	1404
2006-07	80	3932
2007-08	73	2916
2008-09	93	3506
2009-10	121	4377
2010-11	130	4774
2011-12	162	5022

औपचारिक न्यायालय बैठकों के दौरान जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए उनकी सुनवाई की गई । उपर्युक्त औपचारिक बैठकों की संख्या के अलावा आयोग ने दैनिक आधार पर नई याचिकाओं की सुनवाई की और आदेश पारित किए है । नई याचिकाओं के लिए याचिकाकर्ता अथवा प्रतिवादी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है । आयोग ने प्रत्येक बैठक में यथासंभव मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक मामलों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पिछले वर्ष के बकाया मामलों को प्राथमिकता दी जाए । अपर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद वर्ष के दौरान मामलों के निपटान की दर में पिछले वर्ष के मुकाबले में अधिक वृद्धि हुई है ।

आयोग की अधिकतम 16 बैठकें सितम्बर तथा नवम्बर, 2011 और फरवरी तथा मार्च 2012 के माह में आयोजित की गई । इसके बाद में मई 2011 तथा जनवरी 2012 के माह में 15 बैठकें आयोजित की गई थी। अधिक से अधिक बैठकें आयोजित करने तथा अपनी प्रत्येक बैठक में अधिक मामलों को सूचीबद्व करने के हर संभव प्रयास किए गए।

आयोग ने मामलों का शीघ्र निपटान करने की दृष्टि से न्यायालय की बैठकों के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं किया है । यदि केवल अध्यक्ष अथवा कोई एक सदस्य भी उपस्थित होता है तो न्यायालय की कार्यवाहियां आयोजित की जा सकती हैं और निर्णय लेने के लिए मामलों पर विचार किया जाता है ।

सभी मामले जो एक विशेष दिन के लिए सूचीबद्ध किए जाते हैं, उन्हें उसी दिन उठाया जाता है और उन पर उसी दिन सुनवाई होती है और उपस्थित अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा समुचित आदेश पारित किए जाते हैं । प्रतिवादियों को पर्याप्त समय का नोटिस दिया जाता है । याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह करने पर आयोग सुनवाई की पहले तारीख दे देता है । आयोग किसी विशेष दिन उपस्थित होने के लिए पक्षकारों द्वारा व्यक्त असुविधा पर भी विचार करता है तथा तदनुसार, सुनवाई की उपयुक्त तारीख निर्धारित करके स्थगन प्रदान किए जाते हैं ताकि पक्षकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अपने मामले प्रभावी ढंग से रख सकें। याचिकाकर्त्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग ने कभी भी वकील की सेवाएं लिए जाने का आग्रह नहीं किया है । अन्य शब्दों में, कोई भी याचिकाकर्त्ता जो अपने मामले पर स्वयं बहस करना चाहता है, उसे इसकी स्वतंत्रता दी जाती है ।

आयोग का यह प्रयास रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए उनके शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक निःशुल्क मंच प्रदान किया जाए। इसलिए, आयोग ने कोई भी न्यायालय शुल्क निर्धारित नहीं किया है । चूँकि काफी संख्या में याचिकाकर्त्ता न्यायालय की औपचारिकताओं तथा प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, आयोग ने उन याचिकाओं तक को भी स्वीकार किया है जो वकालत के कानून के अनुरूप नहीं होतीं।

अध्याय 4 – सूचना का अधिकार (आर टी आई)

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही एक न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक संगठन होने के नाते कई याचिकाकर्ताओं, अधिवक्ताओं तथा अन्य संबद्ध पक्ष के साथ बातचीत करता है। इसके परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा प्राप्त की गई आर टी आई आवेदनों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है।

सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण के तहत नागरिकों को सूचना सुलभ करने के लिए आयोग के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा जबावदेही को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयोग ने सूचना का अधिकार 2005 के तहत आयोग की वेबसाइट www.ncmei.gov.in पर आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 4 (i) के तहत सभी अनिवार्य सूचना डाल रखी है। वर्ष 2011-12 के दौरान श्री डी.आर. भल्ला, उप सचिव, रा.अ.शै.सं. आयोग ने जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य किया और रा.अ. शै. सं. के माननीय अध्यक्ष, आयोग के अपीलीय प्राधिकारी थे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग को 59 आर टी आई आवेदन तथा 12 अपील प्राप्त हुई। सभी आवेदनों/अपीलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया था।

अध्याय 5 – वर्ष की मुख्य-मुख्य बातें

हालांकि आयोग का मुख्य कार्य याचिका का निपटान करना है फिर भी आयोग ने यह महसूस किया है कि सामान्यतः अल्पसंख्यकों की और विशेष रूप से अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शैक्षिक पिछड़ापन विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में जागरुकता की कमी शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों में से एक मुख्य कारण रहा है। अल्पसंख्यकों को जागरुक बनाने तथा अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से आयोग द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के बीच उनके प्रयासों में बेहतर तालमेल लाने हेतु सहयोग के एक व्यापक ढांचे का उल्लेख किया गया है जिससे कि सामान्यतः सुविधाविहीन व्यक्तियों, पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले स्कूली बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ों, नव-साक्षरों को लाभ मिल सके, उनका सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके और विशेष रूप से साक्षरता तथा उनकी जीविका में सुधार हो सके। समझौता ज्ञापन के उद्देश्य तथा लक्ष्य निम्नलिखित थे-

- लक्षित समूहों के लिए शिक्षा/साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करने में सहायता प्रदान करना।
- अल्पसंख्यक समुदायों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रमों तथा नीतियों की सुलभता तथा प्रभाव में वृद्धि करना।
- वर्तमान अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करके सक्रिय अधिवक्तृता कार्यक्रम शुरू करना।
- अध्ययन केन्द्रों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार करना और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा संसाधनों की साझेदारी करने के लिए तंत्र विकसित करना ताकि शिक्षा की सुलभता की विशेष रूप से देश के सुदूर, ग्रामीण, जनजातीय तथा लाभ वंचित क्षेत्रों में वृद्धि हो सके।

इस समझौता ज्ञापन के प्रोत्साहन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग ने लक्षित समूहों में शिक्षा संस्थान के द्वारा मान्यता देने के लिए मदरसों की पहचान करने के वास्ते राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की सहायता भी प्रदान की है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के तत्वावधान में बालिका शिक्षा समिति ने 28.12.2011 को 'इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेन्टर, नई दिल्ली में शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक बालिकाओं की सशक्तता' पर नार्थन जोनल सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम और महाराष्ट्र से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिदृश्य में चुनौतियों तथा अड़चनों आदि से संबंधित बातों का अध्ययन करना था । सम्मेलन का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के हित की रक्षा करने हेतु एक मंच प्रदान करना था, ताकि भारत में राष्ट्रीय सदभाव और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु नीतियां बनाई जा सके, अपनी जानकारी में वृद्धि कर सके और सूचना का आदान-प्रदान कर सके। सुविख्यात वक्ताओं, शिक्षाविदों मानव-प्रेमियों ने अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए।

आयोग ने 18 जनवरी, 2012 को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 'मदरसों में आधुनिक शिक्षा की शुरूआत' विषय पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सहयोग से एक दिवसीय संगोष्ठी भी आयोजित की। विचार-विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया था कि संघर्षों का निराकरण करने हेतु एक शान्ति प्रिय तथा समावेशी सोसाइटी का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका के प्रति मदरसों के प्रबन्धकों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। सैद्धांतिक शिक्षा के बाहर जाने वाले छात्रों में जांच-पड़ताल करने की एक भावना उनके मन में बैठाने की जरूरत है जिसमें कि वे एक उचित परिप्रेक्ष्य में शान्ति और न्याय के मुद्दों को समझ सके। इस संदर्भ में इस बात पर भी बल दिया गया था कि मदरसा शिक्षा द्वारा एकता, विभिन्नता और बहुलता के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देना चाहिए और इनका गुणगान करना चाहिए। राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्रीय भावना पैदा करने की सच्चाई को प्रदर्शित करना चाहिए और इसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टि कोण को बढ़ावा देना चाहिए और एक उचित पाठ्यचर्या का चयन किया जाना चाहिए।

अध्याय 6 - यात्रा तथा दौरे

माननीय अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा दौरे करने का मूल उद्देश्य विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं/कठिनाइयों को समझने और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने हेतु उनको एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से स्टेकहोल्डरो और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यें के साथ बातचीत करना है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ आयोग की भूमिका तथा जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराने के लिए आयोग को एक अवसर भी प्रदान करता है। इस अवसर का उपयोग विभिन्न राज्य सरकारों में कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा नौकरशाही के बीच बातचीत करने में किया जाता है। आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों की यात्रा तथा दौरे से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में वर्णित अल्पसंख्यक अधिकारें के संबंध में राज्य सरकारों के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने में सहायता मिली है।

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों के किए गए दौरे का ब्यौरा :-

क्रम सं	दौरे की तारीख	दौरा किए गए स्टेशन
1.	15.4.2011 से 16.4.2011 तक	इंदौर
2.	18.4.2011 से 21.4.2011 तक	चंडीगढ़, पटियाला
3.	20.4.11 से 23.4.2011 तक	बंगलौर, मैसूर
4.	30.4.2011 से 3.5.2011 तक	शिलांग
5.	6.5.2011 से 8.5.2011 तक	हैदराबाद
6.	17.5.2011 से 19.5.2011 तक	लखनऊ
7.	19.5.2011 से 30.5.2011 तक	कोच्चि
8.	23.5.2011 से 29.5.2011 तक	तिरुवनंतपुरम, कोच्चि
9.	4.7.2011 से 5.7.2011 तक	लखनऊ
10.	23.7.2011 से 25.7.2011 तक	इलाहाबाद
11.	19.8.2011 से 21.8.2011 तक	चंडीगढ़, यमुना नगर, पटियाला
12.	6.9.2011 से 21.8.2011 तक	जोधपुर
13.	11.9.2011	मुजफ्फरनगर
14.	22.9.2011	पटियाला, मोहाली, चंडीगढ़
15.	23.9.2011 से 27.9.2011 तक	जबलपुर
16.	8.10.2011 से 9.10.2011 तक	नरोरा, बदायूँ
17.	19.10.2011 से 25.10.2011 तक	कोच्चि
18.	21.10.2011	सहारनपुर
19.	27.10.2011	लुधियाना
20.	29.10.2011	लुधियाना
21.	4.11.2011 से 12.11.2011 तक	जबलपुर

क्रम सं	दौरे की तारीख	दौरा किए गए स्टेशन
22.	10.11.2011 से 14.11.2011 तक	गुवाहाटी, शिलांग
23.	14.11.2011	अलीगढ़
24.	19.11.2011 से 21.11.2011 तक	बागडोगरा
25.	24.11.2011 से 26.11.2011 तक	अजमेर, जयपुर
26.	3.12.2011	नूह (हरियाणा)
27.	4.12.2011 से 5.12.2011 तक	भोपाल
28.	6.1.2012 से 8.1.2012 तक	नागपुर
29.	20.1.2012 से 22.1.2012 तक	भोपाल
30.	27.1.2012 से 29.1.2012 तक	कोलकाता
31.	8.2.2012 से 9.2.2012 तक	हैदराबाद
32.	7.3.2012 से 9.3.2012 तक	कोलकाता
33.	10.3.2012 से 12.3.2012 तक	बाराबंकी
34.	1.3.2012 से 4.3.2012 तक	कोच्चि
35.	22.3.2012 से 24.3.2012 तक	कुरुक्षेत्र

हालांकि माननीय अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ स्थानों का दौरा साथ-साथ किया, फिर भी अन्य स्थानों का दौरा माननीय अध्यक्ष/सदस्यों ने अपनी सुविधानुसार और सरकारी कार्य की आवश्यकता के आधार पर पृथक रूप से किया । आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय होने के नाते इसे न्यायालय के रूप में कार्य करना पड़ता है तथा अनेक स्टेकहोल्डरो को याचिकाओं का मसौदा तैयार करने की जानकारी नहां थी। दौरों के दौरान अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई थां उनको आयोग के कार्यों तथा आयोग से सम्पर्क में शामिल प्रक्रिया और औपचारिकताओं से अवगत कराया गया था। आयोग ने शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए एक विशिष्ट फार्मेट तैयार किया है। अनेक मामलों में आयोग पूर्ण ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज दिए बिना पत्र फार्मेट में याचिकाएं/शिकायतें प्राप्त कर रहा था। विभिन्न स्थानों पर हुई बातचीत से इन समस्याओं के निराकरण में सहायता मिली है।

माननीय अध्यक्ष ने मौलाना आजाद शैक्षणिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक सोसाइटी द्वारा आयोजित 'मुस्लिमों के शैक्षिक उत्थान हेतु राष्ट्रीय नीतियां और योजनाएं और उनका कार्यान्वयन और मुस्लिम महिलाओं का सशक्तीकरण तथा केन्द्रीय योजनाओं पर राष्ट्रीय सेमीनार' के संबंध में 15.4.2011 से 16.4.2011 तक इन्दौर का दौरा किया। माननीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में संविधान के अनुच्छेद 30(1) में यथा वर्णित अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में उनके अधिकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की भूमिका तथा कार्यक्षेत्र से श्रोताओं को अवगत कराया।

माननीय अध्यक्ष ने रिफा-हुल मुस्लिमीन शैक्षिणक न्यास द्वारा आयोजित मुस्लिम अल्पसंख्यक बालिकाओं की समस्याओं पर सेमीनार के संबंध में 20.4.2011 से 23.4.2011 तक बंगलौर तथा मैसूर का दौरा किया। अध्यक्ष ने अपने मूल भाषण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के कार्यक्षेत्र और लक्ष्य के बारे

में श्रोताओं को अवगत कराया। माननीय अध्यक्ष ने मुस्लिम बालिकाओं की साक्षरता दर के बारे में चिन्ता व्यक्त की। उच्च शिक्षा में मुस्लिम बालिकाओं द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के बारे में विशेष उल्लेख किया गया। अध्यक्ष ने बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु श्रोताओं को प्रोत्साहित किया।

अप्रैल 2011 में माननीय सदस्य डा. मोहिन्दर सिंह को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध लाभों पर चर्चा करने हेतु गुरु गोविन्द सिंह महिला कालेज चंडीगढ़ द्वारा आमंत्रित किया गया था। अपने दौरे के दौरान सिखों के अन्य पिछड़े समुदायों विशेष रूप से बंजारा तथा सिकलीगर सिखों के सदस्यों से भी मिले। उन्होंने बाबा मक्खन शाह लुबाना भवन का भी दौरा किया और बंजारा समुदायों के नेताओं से भी मिले और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।

माननीय अध्यक्ष ने 30.4.2011 से 3.5.2011 तक गुवाहाटी तथा शिलांग का दौरा किया। 30.4.2011 को माननीय अध्यक्ष ने शैक्षिक अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान (ईआरडीएफ) द्वारा आयोजित गुवाहाटी में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं और अन्य शिक्षाविदों के साथ बातचीत की थी। बैठक को संबोधित करते समय माननीय अध्यक्ष ने अनुच्छेद 30 पर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों के ब्यौरे के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने रा.अ.शै.सं. आयोग अधिनियम के तहत आयोग की शक्तियों के बारे में बताया और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कहा। उपस्थित सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया जिनमें शैक्षिक संस्थाओं में पदों को भरने में विलम्ब, एमएससी जारी करने में विलम्ब, सहायता अनुदान देने से मनाही, सीबीएसई से संबंधन के लिए एनओसी संबंधी समस्याएं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन न देना, विश्वविद्यालय संबंधन आदि शामिल है। अध्यक्ष महोदय ने उठाए गए सभी मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया और सदस्यों से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों के विरूद्ध इन मुद्दों पर कार्रवाई किए जाने हेतु आयोग में उचित याचिकाए भेजे । 1.5.2011 को माननीय अध्यक्ष ने उमशायर पी कालेज द्वारा आयोजित शिलांग में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों पर एक सेमीनार का उद्घाटन किया । माननीय अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 का दायरा तथा सीमा पर बल दिया । शिक्षा के क्षेत्र में इसाई समुदाय द्वारा किए गए जबरदस्त योगदान की सराहना करते समय अध्यक्ष ने शिक्षा के वाणिज्यीकरण के बारे में उनको सचेत किया । अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा अनेक शैक्षिक संस्थाओं का संचालन किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे अन्य समुदायों के बच्चों की तुलना में बराबरी संख्या में स्कूलों में दाखिला नहीं ले रहे हैं । उन्होंने प्रबन्धन पर जोर दिया कि वे गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों की कमी का भी उल्लेख किया और मुस्लिम छात्रों विशेष रूप से मुस्लिम बालिकाओं की पढ़ाई बीच में छोड़ने की ऊंची दर पर चिन्ता व्यक्त की।

माननीय अध्यक्ष ने मेसको द्वारा आयोजित शिक्षा में परिवर्तन और चुनौतियों पर 3 दिवसीय सम्मेलन के संबंध में 6.5.2011 से 8.5.2011 तक हैदराबाद का दौरा किया। माननीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में शिक्षा के क्षेत्र में हैदराबाद में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। अपने भाषण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के कार्य तथा उद्देश्यों के बारे में बताया और अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक समुदाय को यह सलाह दी कि उनके उत्थान से ज्ञान तथा शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। उन्हें उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए।

मई 2011 में माननीय सदस्य, डॉ. मोहिन्दर सिंह को गुरु नानक खालसा कालेज, यमुना नगर में एक मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और शिक्षा के विकास में अल्पसंख्यकों की भूमिका पर बोले और रारे गुरु ग्रन्थ साहिब बीर की झांकियों पर पॉवर प्वाइंट में प्रस्तुती की। इस दौरे के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पाओन्ता साहिब में एक समारोह में भाग लिया और वे सिखों की शैक्षिक विरासत पर भी बोले।

माननीय अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था संघ द्वारा आयोजित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों पर सेमीनार के संबंध में 17.5.2011 से 19.5.2011 तक लखनऊ का दौरा किया। माननीय अध्यक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में उनके अधिकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की भूमिका और कार्यक्षेत्र के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया । सेमीनार के दौरान मुस्लिम समुदाय के बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई थी। इस बात का उल्लेख किया गया कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य सख्त नियमों तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने में असमर्थ है। शिक्षा एक अधिकार है और अनुच्छेद 21 के समुचित शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की राज्य पर जिम्मेदारी डालता है ।

माननीय सदस्य डॉ सिरियक थॉमस ने दिनांक 20.5.2011 को कन्नूर, केरल का दौरा किया और केरल के स्वतंत्रता सेनानी श्री के. केलाप्पन, जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान आम तौर से केरल के गांधी के नाम से जाना जाता था, के सम्मान में "मूल्य अवधारणाओं में प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राजनीति-समसामयिक परिवर्तन" विषय पर एक स्मारक व्याख्यान दिया ।

दिनांक 21.5.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने मनंथावाड़ी (जिला वायनाड) केरल के कैथोलिक धर्म प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया जिसमें धर्म प्रदेश प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों ने भाग लिया था । इस सम्मेलन में माननीय सदस्य ने उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की शक्तियों तथा कार्यों की जानकारी प्रदान की और यह भी बताया कि संविधान द्वारा यथा प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यह आयोग किस प्रकार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

दिनांक 24.5.2011 को माननीय अध्यक्ष के साथ माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने सायरो-मालंकर चर्च के कैथोलिक आर्कबिशप हाऊस में त्रिवेन्द्रम के मुख्य आर्कबिशप द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया।

माननीय अध्यक्ष ने 23.5.2011 से 29.5.2011 तक त्रिवेन्द्रम, कोच्ची तथा कालीकट का दौरा किया। माननीय अध्यक्ष ने मोरोन मोर बेसिलिओस क्लीमिस कैथोलिकोस जो केरल में इसाई समुदाय के एक धार्मिक प्रमुख हैं, के साथ बैठक की और चर्चा की। माननीय अध्यक्ष ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में उल्लिखित अधिकारों के बारे में बताया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनिमय के प्रावधानों तथा आयोग के कार्यों का भी उल्लेख किया। इसाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई थी। चर्चा किए गए मुद्दों में सीबीएसई, आईसीएसई जैसी केन्द्रीय संस्थाओं से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलम्ब, राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ का अनुमोदन प्राप्त न होना आदि शामिल है।

25.5.2011 को माननीय अध्यक्ष ने अलुवा, केरल में स्थित एम.ई.एस. कालेज मारामपल्ली द्वारा आयोजित शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं की सशक्तता पर एक सेमीनार का उद्घाटन किया। अपने भाषण में उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के महत्व पर बल दिया जो सामान्य जनता विशेष रूप से मुस्लिमों में शिक्षा सुलभता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई राज्य नीति का एक अभिन्न भाग है। मुस्लिम बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करने की जरुरत पर बल दिया गया जो गरीबी, अल्प विकास तथा सामाजिक विषमता की शिकार है। इस बात पर भी बल दिया गया था कि समुदाय को यह सुनिश्चित करना है कि बालिकाओं द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर विशेष रूप से मुस्लिम बालिकाओं द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी आए। माता-पिताओं को उच्च शिक्षा के लिए अपनी बेटियों को भेजने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को शिक्षा के जरिए मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु नवाचारी योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

25.5.2011 को माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के साथ डॉ. सिरियक थॉमस ने एमईएस कालेज मारापल्ली (अलवाये) केरल स्थित एमईएस द्वारा आयोजित बालिका शिक्षा पर एक सेमीनार को संबोधित किया।

26.5.2011 को माननीय अध्यक्ष ने मल्लापुरम स्थित मेदिनू स्सक्वाफती स्सन्निय्या द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया और इस समारोह में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। माननीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम के तहत गठित आयोग की भूमिका तथा कार्यों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार और शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्त करने पर बल दिया।

26.5.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने कैथोलिक डायोसीज आफ बतेरी द्वारा आयोजित सुल्तान बतेरी में अल्पसंख्यक इसाई संस्थाओं के शिक्षकों पर एक सेमीनार को संबोधित किया।

28.5.2011 को माननीय अध्यक्ष ने कालीकट में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के शैक्षिक अधिकार और चुनौतियों पर एक सेमीनार में एक मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अध्यक्ष महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में यथा उल्लिखित अल्पसंख्यक के रूप में उनके अधिकार तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की भूमिका और अधिकार क्षेत्र से श्रोताओं को अवगत कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा की। प्रत्येक को एक उत्कृष्ट वैश्विक स्तर का विश्वविद्यालय विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं को इस प्रकार का बनाना चाहिए कि वे उच्चतर शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दे सके ।

2.6.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने रुहालया कैथोलिक मेजर सेमीनार, इन्दौर में वार्षिक दीक्षान्त भाषण दिया।

माननीय अध्यक्ष ने 4.7.2011 से 5.7.2011 तक लखनऊ का दौरा किया और लखनऊ स्थित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के संबद्ध पक्षों के साथ एक बैठक की और बातचीत में अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने, शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने, शैक्षणिक संस्थाओं को संबंधन प्रदान करने, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र से संबंधित मुद्दों, शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति, शुल्क ढांचा तथा दाखिला संबंधी नीतियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई थी।

माननीय अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था संघ द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23.7.2011 से 25.7.2011 तक इलाहाबाद का दौरा किया। सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा सामना की जा रहीं सामान्य समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। शैक्षिक संस्था स्थापित करने में एक मुख्य रुकावट दो एकड़ जमीन की आवश्यकता है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खरीदना असंभव है। बिना मान्यता के संस्थाएं कोई भी लाभ प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। सम्मेलन में उठाए गए मुद्दे मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं की कम प्रतिशतता और स्कूलों की मान्यता प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब आदि से संबंधित थे।

25.7.2011को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने विश्वजीत कालेज आफ इंजीनियरिंग एन्ड टेक्नोलॉजी मुवाट्टूपुजा के शैक्षिक वर्ष का उद्घाटन किया और 'गुणवत्ता परक शिक्षा तथा उत्कृष्टता के स्तर' पर भाषण दिया।

29.7.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थामस ने दक्षिण भारत के चर्च के आमंत्रण पर बिशप स्पीचली कॉलेज, कोट्टायम में एक यादगार व्याख्यान दिया।

माननीय अध्यक्ष ने मड़वाड़ मुस्लिम शैक्षिक और कल्याण सोसाइटी द्वारा आयोजित उर्दू शिक्षकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन के संबंध में 5.9.2011 से 8.9.2011 तक जोधपुर का दौरा किया। श्रोताओं को संबोधित करते समय अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की। कानून में अस्थायी अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने पर रोक है। अनुच्छेद 15(5) आरक्षण नीति से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थओं को छूट प्रदान करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय टीएमएपाई फाउन्डेशन फैसले में अनुच्छेद 30(1) के तहत विशिष्ट अधिकारों को बताया गया है जिसमें प्रबन्धन समिति गठित करने की स्वतंत्रता शामिल है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नियम तथा विनियम तर्कसंगत बनाया जाना है और इनका उद्देश्य शैक्षिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करना होना चाहिए। वे अनुच्छेद 10(1) के तहत गारंटी प्रदान किए गए अधिकारों को समाप्त या कम नहीं कर सकते है।

सितम्बर, 2011 को माननीय सदस्य डॉ. मोहिन्दर सिंह ने बोर्ड के अध्यक्ष के आमंत्रण पर चंडीगढ़ यात्रा के दौरान पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, मोहाली का दौरा किया।

11.9. 2011 को माननीय अध्यक्ष ने मुजफ्फर नगर में एक समारोह में भाग लिया। अध्यक्ष ने अपने भाषण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम के तहत स्थापित आयोग की भूमिका तथा कार्यों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों और शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्त करने पर बल दिया।

14 सितम्बर, 2011 के माननीय सदस्य को पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला में द्वितीय डॉ. गण्डा सिंह स्मारक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जो कि विश्वविद्यालय की एक वार्षिक विशेषता है । यह व्याख्यान डॉ. गण्डा सिंह पंजाब के एक प्रसिद्व इतिहासकार की स्मृति में दिया गया था।

6.10.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने 'द् मलयालम मनोरमा' पहला मलयालम दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित विद्यारामबाम महोत्सव में भाग लिया और 7.10.2011 को मंडीराम हास्पीटल ओडीटोरियम पुतुपल्ली कोट्टायम, केरल में आयोजित अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर न्यू विजन मैग्जीन द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया।

माननीय अध्यक्ष ने असीम सिद्दक शिक्षा न्यास द्वारा संचालित असीम सिद्दक न्यास डिग्री कालेज के उद्घाटन के संबंध में 8.10.2011 से 19.10.2011 तक नरोरा बदायूँ का दौरा किया जहां उन्होंने भारत जैसे विकासशील देश में ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में श्रोताओं को अवगत कराया।

19.10.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने मुम्बई में केनन विधि विशेषताओं के सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय कैथोलिक विशेष सम्मेलन द्वारा की गई।

21.10.2011 को माननीय अध्यक्ष ने सहारनपुर स्थित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मुख्य मुद्दे जिनमें गैर संबंधन, अल्पसंख्यकों के लिए नए स्कूल संस्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार की अनिच्छुकता, प्रक्रिया का सरलीकरण आदि शामिल है । माननीय अध्यक्ष ने उठाए गए सभी मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया और सदस्यों से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारयों के विरूद्ध मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु आयोग में उचित याचिकाएं भेजें।

21.10.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने केरल में इसाई व्यावसायिक संस्थाओं और राज्य सरकार के साथ कार्यात्मक विवाद से संबंधित मुद्दों पर अध्यक्ष इन्टर चर्च शिक्षा परिषद, केरल तथा आर्कविशप मार जोसफ पोवाथिल के साथ विचार-विमर्श किया।

29.10.2011 को माननीय अध्यक्ष ने सोहराब पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के संबंध में लुधियाना में आयोजित एक समारोह में भाग लिया। समारोह के दौरान माननीय अध्यक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 30 पर रोशनी डाली। यह चर्चा की गई थी कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं कई समस्याओं का सामना कर रही हैं जिसका मुख्य कारण मामलों से संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों को ठीक प्रकार से बताया नहीं जाता है और न ही संवेदनशील बनाया जाता है। आयोग के कार्य तथा ड्यूटी बताते समय उन्होंने कहा कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए याचिकाएं तैयार किए गए मसौदे में ही भेजे। उन्होंने मान्यता, संबंधन, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया।

29.10.2011 को माननीय सदस्य डॉ. मोहिन्दर सिंह, गुरु नानक गुजरावालां खालसा कालेज, लुधियाना में मुख्य अतिथि थे। वे अपने इसी दौरे के दौरान सोहराब पब्लिक स्कूल मलेरकोटला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानीय अतिथि थे । माननीय अध्यक्ष ने इस समारोह की अध्यक्षता की।

30.10.2011 को माननीय सदस्य डॉ. मोहिन्दर सिंह को सिक्ख समुदाय की शैक्षिक विरासत पर चर्चा करने के लिए आयोजित समारोह में एक मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय भटिण्डा द्वारा आमंत्रित किया गया था । प्रो. जय रूप सिंह कुलपति ने इस समारोह की अध्यक्षता की

7.11.2011 को माननीय सदस्य, डॉ. सिरियक थॉमस ने विश्व ज्योति कालेज मुवाट्टुपजा (केरला) दशक समारोह का उद्घाटन किया जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री श्री पी जे जोसफ द्वारा की गई।

माननीय अध्यक्ष ने 14.11.2011 को अलीगढ़ का दौरा किया और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के साथ बातचीत की। माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम को विस्तार पूर्वक समझाया और टीएमएपाई फाउन्डेशन तथा अन्य मामलों में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के बारे में भी उल्लेख किया। उनको यह बताया गया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं आरक्षण के दायरे से मुक्त है।

माननीय अध्यक्ष ने इंसान फाउन्डेशन द्वारा आयोजित वर्षगांठ समारोह के उद्घाटन के संबंध में 19.11.2011 से 21.11.2011 तक बागडोगरा, किशनगंज का दौरा किया। माननीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में आयोग की शक्तियों तथा कार्यों तथा भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।

माननीय अध्यक्ष ने 24.11.2011 से 26.11.2011 तक अजमेर और जयपुर का दौरा किया। चर्चा किए मुद्दों में शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में विलम्ब, अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब, उर्दू शिक्षकों तथा उर्दू पुस्तकों की सुलभता संबंधी समस्याएं, सहायता अनुदान, नई शैक्षिक संस्थाओं के लिए अनुमोदन, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक स्कूलों की आवश्यकता, आदि शामिल हैं। आयोग ने उठाए गए सभी मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया।

3.12.2011 को माननीय अध्यक्ष ने भारतीय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित शैक्षिक जागरुकता कार्यक्रम के संबंध में नूह (हरियाणा) का दौरा किया। माननीय अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के जन समूह तथा मुस्लिम धार्मिक विद्वानों को संबोधित किया। उनको आयोग में मामलों का शीघ्र निपटान हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया से भी अवगत कराया।

माननीय अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों द्वारा आयोजित समारोह के संबंध में 4.12.2011 से 5.11.2011 तक भोपाल का दौरा किया।

5.12.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने भोपाल का दौरा किया और भोपाल सामाजिक विज्ञान संस्थान में वार्षिक दीक्षांत भाषण दिया।

माननीय अध्यक्ष ने इसाई समुदाय द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक शैक्षिक सेमीनार के संबंध में 6.1.2012 से 8.1.2012 तक नागपुर का दौरा किया। उन्होंने अपने भाषण में समुदाय की शिक्षा के प्रति इसाई समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं को छात्र समुदाय को बदलकर ज्ञान सोसाइटी कर देना चाहिए। आयोग की शक्तियों तथा कार्यों के बारे में श्रोताओं को अवगत कराते समय उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत शैक्षिक अधिकारों के बारे में भी बताया।

20.12.2011 को माननीय सदस्य डॉ. सिरयिक थॉमस ने उत्कृष्ट कालेज शिक्षक के लिए बेचमान पुरस्कार देने के अवसर पर सेंट बरचंस कालेज, चंगना चेरी में आधार भाषण दिया ।

जनवरी, 2012 में माननीय सदस्य डॉ. मोहिन्दर सिंह ने थाई अंतर्राष्ट्रीय सिख विद्यालय में सिखों की शैक्षिक विरासत पर एक व्याख्यान दिया। दौरे के दौरान एस्सप्पशन विश्वविद्यालय बैंकोक द्वारा आयोजित विद्बत सम्मेलन में भाग लिया। यह विद्बत सम्मेलन सभी एशियाई परम्पराओं में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों हेतु खोज पर आधारित था। उनकी यात्रा तथा खाना और रहने से संबंधित सभी खर्च आयोजकों द्वारा उठाया गया था।

माननीय अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों द्वारा आयोजित समारोह के संबंध में 27.1.2012 से 29.1.2012 तक कोलकाता का दौरा किया। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत के दौरान माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के मानदण्ड में सुधार करना एक बड़ी चुनौती है। इन संस्थाओं में आधुनिकीकरण तथा अपर्याप्त अवसंरचना की कमी उद्धृत करते हुए उन्होंने इन शैक्षिक संस्थाओं की बेहतरी हेतु उदारतापूर्वक दान करने हेतु समुदाय के धनी वर्ग से

अपील की। उन्होंने मुस्लिम छात्रों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर ऊंची होने पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों को उद्धृत किया जहां यह प्रकट किया गया है अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य समुदायों के छात्रों की तुलना में मुस्लिम छात्र अधिक तेज गति से स्कूलों को छोड़ रहे हैं। उन्होंने नोट किया कि देश के दक्षिण भाग में मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाएं उत्तर भारत में अपने सहयोगियों की तुलना में बेहतर ढंग से संचालित की जा रही हैं। यह आवश्यक है कि प्रबन्धकों को गुणवत्ता परक शिक्षा पर बल देना चाहिए । केवल अच्छी शिक्षा ही मुस्लिम समुदाय के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकती है । उन्होंने उद्धृत किया कि संविधान का अनुच्छेद 51क अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के वास्ते अभिभावकों पर जिम्मेदारी डालता है।

3.2.2012 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने "भूमि कानूनों में सुधारः मानव अधिकार संबंधी आयाम" पर विधि विभाग, केरल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक सेमीनार में भाषण दिया।

माननीय अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के संबंध में 8.2.2012 से 9.2.2012 तक हैदराबाद का दौरा किया। बैठक में उठाए गए मुद्दे जिनमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रिंसिपल तथा शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति, राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक उत्पीड़न, स्थायी आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र जारी करना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों से दाखिला लेने वाले छात्रों का प्रतिशत, सहायता अनुदान आदि शामिल है। अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया और बताया कि उपचारात्मक उपाय करने हेतु आयोग में याचिकाएं भेजें।

9.2.2012 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने 'शिक्षा में अल्पसंख्यकों की भूमिका और अल्पसंख्यक अधिकरों के लिए संवैधानिक सुरक्षापाय' पर बोलते हुए हैदराबाद में मोनफोर्ट शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों के सेमीनार का उद्घाटन किया।

फरवरी, 2012 में माननीय सदस्य डॉ. मोहिन्दर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा आयोजित पंजाब इतिहास सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया। डॉ. जसपाल सिंह, कुलपति ने इस समारोह की अध्यक्षता की।

3.3.2012 को माननीय सदस्य डॉ. मोहिन्दर सिंह त्रिचुर केरल में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता थे। जहां दूसरे माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थामस ने एक विशेष भाषण दिया।

3.3.2012 को माननीय सदस्य डॉ. सिरियक थॉमस ने कालेज की प्लेटीनम जयन्ती में सेंट थामस कालेज त्रिचुर, केरल द्वारा आयोजित शैक्षिक सेमीनार को संबोधित किया।

माननीय अध्यक्ष ने 7.3.2012 से 9.3.2012 तक कोलकाता का निरीक्षण किया और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को संबोधित किया । अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर चर्चा की गई थी। यह उल्लेख किया गया था कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा अलपसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र देने हेतु दिशा-निर्देश अधिसूचित कर दिए हैं फिर भी आवेदनों पर कार्रवाई करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। बैठक में उठाए गए मुद्दों में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण रोस्टर के कार्यान्वयन करने में राज्य प्राधिकारियों के आग्रह, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी करने में अत्यधिक विलम्ब, उर्दू भाषा

शिक्षकों से संबंधित समस्याएं, मुस्लिम विधार्थियों के लिए बालिका विद्यालयों की कमी, छात्रवृत्तियां देने में भेदभाव, मदरसों को मान्यता प्रदान न करना, शिक्षकों के पद को संस्वीकृत न करना, सहायता अनुदान प्राप्त करने में समस्याएं आदि शामिल हैं।

माननीय अध्यक्ष ने एरम शैक्षणिक सोसाइटी द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक शिक्षा, इसके परिप्रेक्ष्य तथा समस्याएं पर भाषण के संबंध में 10.3.2012 से 12.3.2012 तक बाराबंकी का दौरा किया। अध्यक्ष ने आयोग के कार्यों तथा शक्तियों तथा आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं का मसौदा तैयार करने हेतु फार्मेट के बारे में श्रोताओं को बताया। उठाए गए मुद्दों में अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब, स्कूलों के स्तरोन्नत करने संबंधी अनुमति प्रदान करने में विलम्ब, शिक्षण स्टाफ के वेतनमान बढ़ाने की आवश्यकता, सहायता अनुदान जारी करने में विलम्ब, सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार जो कार्य में एक अड़चन पैदा करता है, उर्दू भाषा की उपेक्षा, उर्दू भाषा में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की आवश्यकता, मदरसा शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाना आदि शामिल हैं। उठाए गए मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिए गए थे और व्यवस्थापकों से कहा गया था कि वे आयोग में उचित याचिकाएं स्वीकार करें।

22.3.2012 को माननीय सदस्य डॉ. मोहिन्दर सिंह को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने हेतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया था। भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों से प्रतिनिधियों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत्त) डा. डी. डी. एस. सन्धू, कुलपति ने इस समारोह की अध्यक्षता की।

26.3.2012 को राजदूत (सेवा निवृत्त) श्री टी. पी. श्री निवासन, अध्यक्ष केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के साथ माननीय सदस्या डॉ. सिरियक थामस ने शरजाह एमिरेट्स नेशनल स्कूल तथा जूनियर कालेज शरजाह वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया और 27.3.2012 को भारतीय शिक्षकों के एक विशेष सम्मेलन को संबोधित किया।

अध्याय 7 – वर्ष के दौरान प्राप्त याचिकाओं तथा शिकायतों का विश्लेषण

आयोग अपनी स्थापना से ही कलैंडर वर्षवार मामलों को दर्ज करता है । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने 2338 मामले पंजीकृत किए और 2746 मामलों का निपटान किया । निपटाए गए कुछ मामले पिछले वर्ष की याचिकाओं से संबंधित थे। निपटाए गए 2746 मामलों में से 1845 मामले अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित थे। आयोग ने विभिन्न विषयों पर मामले पंजीकृत किए हैं जैसे राज्य सरकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करना, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब, अल्पसंख्यक दर्जा जारी करने में इंकार व विलंब, अल्पसंख्यकों द्वारा नए कॉलेज/स्कूल/संस्थाएं खोलने के लिए अनुमति से इंकार, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम की अनुमति से इंकार,सहायतानुदान से इंकार/विलंब, वित्तीय सहायता देने से इंकार, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी अध्यापकों के नए पदों के सृजन की अनुमति से इंकार, अध्यापकों की नियुक्ति के अनुमोदन से इंकार किया जाना, सरकारी स्कूल अध्यापकों की तुलना में अल्पसंख्यक स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों में असमानता, कंप्यूटर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि जैसी अध्यापन सहायता/अन्य सुविधाओं को सरकारी संस्थाओं के समतुल्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को देने से इंकार, उर्दू-स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों पर उर्दू में पुस्तकों की अनुपलब्धता, उर्दू जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति न करना, अल्पसंख्यक स्कूल अध्यापकों के समतुल्य मदरसा शिक्षकों को भुगतान करना, मदरसा कर्मचारियों को पर्याप्त भुगतान करना, मदरसों को सहायता अनुदान न देना, अल्पसंख्यक स्कूलों के अध्यापकों और गैर-अध्यापन स्टाफ को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करना, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं, विशेषकर जो दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, में सर्व शिक्षा अभियान सुविधाओं का विस्तार इत्यादि ।

कुछ याचिकाएं रा. अ. शै. सं. आ. अधिनियम में विद्यमान आयोग की शक्तियों के संज्ञान से बाहर थीं । वे मामले, जो उस राज्य सरकार प्राधिकारियों से संबंधित थे, उन्हें याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए विभाग के संबंधित प्राधिकारियों के पास समुचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया । कुछ याचिकाएं/आवेदन मौलाना आजाद प्रतिष्ठान, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड आदि से संबंधित थीं और याचिकाओं को कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दिया गया । भाषाई अल्पसंख्यक शामिल हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं उनके द्वारा भेजी गई याचिकाएं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लौटा दी गई थीं।

आयोग द्वारा पारित कुछ आदेशों का सार नीचे दिया गया है-

2010 का मामला सं. 795

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा उर्दू मीडियम जूनियर कालेज की स्थापना हेतु अनुमति देने के बावत राज्य को निदेश दिए जाने हेतु याचिका

याचिकाकर्ता

1. राष्ट्रीय जूनियर कालेज (उर्दू) बामनवाड़ा, डा. चुनाला, तालुका राजुरा जिला चन्दपुर, महाराष्ट्र
2. समानता बहुउद्देशीय एजूकेशन सोसाइटी, जवाहर नगर बार्ड, मस्जिद के निकट, तालुका राजुरा, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र, अपने अध्यक्ष श्री मोहम्मद महमूद मोहम्मद मुसा माध्यम से

प्रतिवादी

1. द् डायरेक्टर आफ एजूकेशन, मिडिल एन्ड हायर एजूकेशन, शिक्षा मंत्रालय, पुणे, महाराष्ट्र
2. प्रधान सचिव, मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई-32 महाराष्ट्र
3. शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला परिषद चन्द्रपुर, महाराष्ट्र

इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता, समानता बहुउद्देशीय एजूकेशन सोसाइटी, जवाहर नगर बार्ड, तालुका राजुरा, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम जूनियर कालेज की स्थापना के लिए अनुमति देने के बावत राज्य सरकार को निदेश देने की मांग करता है। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी को राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया है, चूंकि आस-पास कोई उर्दू मीडियम स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं है, याचिकाकर्ता ने बामनवाड़ा में प्रस्तावित कालेज की स्थापना के लिए अनुमति देने हेतु प्रतिवादियों को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित कालेज के पास सभी बुनियादी सुविधाएं और संस्थागत सुविधाएं हैं। आगे यह अभिकथित है याचिकाकर्ता गैर अनुदान आधार पर उपर्युक्त कालेज को संचालित करना चाहता है और प्रतिवादियों से कोई वित्तीय अनुदान की मांग कभी नहीं करेगा। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादियों से दिनांक 26.6.2009 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया कि जिला स्तरीय समिति इस प्रस्ताव को इस आधार पर नामंजूर कर चुकी है कि आवेदन के संबंध में प्रस्तुत तुलन पत्र अद्यतन नहीं है और आवेदन के साथ तीन वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है। आगे यह भी अभिकथित है कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को गलत ढंग से नामंजूर कर दिया है। याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को नामंजूर करने में प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित अलपसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का अतिलंघन है।

प्रतिवादी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि याचिकाकर्ता का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित नहीं है क्योंकि आवेदन के साथ प्रस्तुत तुलनपत्र अद्यतन नहीं है और आवेदन के साथ तीन वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्टें भी नही भेजी गई हैं। आगे यह अभिकथित है कि बामनवाड़ा और राजुरा के बीच की दूरी केवल दो किमी. है जहां जिला परिषद का उर्दू मीडियम माध्यमिक स्कूल पहले से ही मौजूद है। जिला स्तरीय समिति ने इस नियम के आधार पर प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की थी कि एक ही तरह का दूसरा स्कूल 10 किमी. की परिधि के भीतर नहीं होना चाहिए।

प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने इस बात को दुहराया है कि प्रतिवादी द्वारा उल्लिखित करने के तुरन्त वाद तीन वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अद्यतन तुलन-पत्र तथा कार्यक्रम की एक प्रति प्रस्तुत कर दी गई। यह भी अभिकथित है कि प्रतिवादियों ने चन्द्रपुर जिले के अन्य जूनियर कालेजों अर्थात् जय हिन्द कनिष्ठा महाविद्यालय चन्द्रपुर, जे.पी. कनिष्ठा महाविद्यालय, चन्द्रपुर, मोहसिन बाई झावेरी कनिष्ठा महाविद्यालय तुकुम, चन्द्रपुर, इन्दिरा कनिष्ठा महाविद्यालय, महेश नगर चन्द्रपुर, आईकोन इन्टरनेशनल पब्लिक जूनियर कालेज, वारोरा, और शिवाजी कनिष्ठा महाविद्यालय, वरोरा की अनुशंसा की है। याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को नामंजूर करने में प्रतिवादियों की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का अतिलंघन भी है। राजुरा का उर्दू मीडियम हाय सेकन्डरी स्कूल 2 किमी. की दूरी पर है और उस स्कूल की Xवीं कक्षा में 41 में से 33 छात्र बल्लारपुर के हैं जो 10 किमी. की दूरी पर है। चूंकि उस क्षेत्र में कोई जूनियर कालेज नहीं है। छात्र वहां दाखिला लेने के लिए मजबूर हैं। अतः प्रस्तावित कालेज उस क्षेत्र की शैक्षिक जरुरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

विचारार्थ मुद्दा यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा मांगी गई अनुमति न दिए जाने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ?

संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को 'उनकी पसन्द' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है"। संविधान के अनुच्छेद 30(1) का मूलाधार अल्पसंख्यकों को उनकी पसन्द की शैक्षणिक संस्था के संचालन के लिए संरक्षण प्रदान करना है । इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरूद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है। यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है, जो कि संविधान के अध्याय III के अधीन प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि,नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य एआईआर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को है तथा धार्मिक के अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को देश का संपूर्ण पुरूष या महिला बनाने के लिए उन्हें सर्वोतम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें अपनी पंसद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा संचालन से रोका नहीं गया है । देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण प्रदान किया गया है । सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व का वास्तविक अभिप्राय है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. सी.जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> "विचाराधीन अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद' के शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।"

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य ऊपर के मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धत करना उपयोगी होगा :-

"..... अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार है :

(i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सके, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्था अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी।"

इस प्रकार, 'उनकी पसन्द की' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अथवा भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते है कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।

यहां पर इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है याचिकाकर्ता का विचाराधीन प्रस्ताव निम्नलिखित आधार पर नामंजूर किया जाता है।

(i) प्रस्ताव के समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तुलन-पत्र अद्यतन नहीं था।

(ii) पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई थीं।

जहां तक कमी सं.1 का संबंध है याचिकाकर्ता ने सोसाइटी के अध्यक्ष श्री मोहम्मद महमूद मोहम्मद मुसा के शपथ पत्र पर विश्वास किया है जिन्होंने शपथ पत्र में कहा है कि सोसाइटी के खाते में 100000रु. है जो दिनांक 9.5.2008 के आदेश सं.ओ. डब्ल्यू सं शिसा/नप्रसा/प्रि/से./हा से./15के (05-62777) द्वारा निदेशालय को नए स्थायी गैर अनुदान वाले प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार है।

जहां तक पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने का संबंध है, याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि ये लेखा परीक्षा रिपोर्ट, शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम यह देखने के लिए बाध्य है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों से याचिकाकर्ता वंचित

करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य की जानबूझकर अवहेलना की है। अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं और यह निर्णय देते हैं कि विचाराधीन याचिकाकर्ता का प्रस्ताव नामंजूर करने में प्रतिवादी के आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का अतिलंघन है।

पूर्वोक्त कारणों से हम राज्य सरकार से बामनवाड़ा, डाकघर चुनाला, तालुका राजुरा, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में स्थायी गैर अनुदान आधार पर चलाए जाने वाले एक उर्दू माध्यम जूनियर कालेज की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किए जाने हेतु याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता सोसाइटी द्वारा मांगी गई अनुमति को प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है।

2009 का मामला सं. 194

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा डी.एड कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति एवं मान्यता दिए जाने हेतु रा.अ.शि.प. को निदेश देने की याचिका

याचिकाकर्ता : हलिमा शिक्षा सोसाइटी, मनोरा, जिला वाशिम, महाराष्ट्र ।

प्रतिवादी : सचिव, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश ।

इस याचिका द्वारा हलिमा शिक्षा सोसाइटी, मनोरा, जिला-वाशिम, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने तंदोली, जिला-यवतमाल मे डी.एड. कॉलेज की स्थापना हेतु अनुमति और मान्यता दिए जाने के लिए रा.अ.शि.प. भोपाल को निदेश देने की मांग की है । याचिकाकर्ता सोसाइटी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 3.1.2007 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है । याचिकाकर्ता सोसाइटी ने प्रतिवादी परिषद को शैक्षिक वर्ष 2007-08 से डी.एड. कॉलेज प्रारंभ करने के लिए आवेदन किया था । प्रतिवादी परिषद ने याचिकाकर्ता को कतिपय कमियों को 90 दिन की अवधि के भीतर दूर करने का निदेश दिया । याचिकाकर्ता ने इन कमियों को 111 दिन के भीतर ठीक कर दिया और प्रतिवादी को दिनांक 27.9.2007 को जवाब भेजा । यह अभिकथित है कि प्रतिवादी परिषद तकरीबन एक वर्ष तक चुप रही । तदुपरांत, 3.7.2008 को याचिकाकर्ता को प्रतिवादी परिषद से यह उल्लेख करते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ कि परिषद द्वारा भवन का निरीक्षण किया जाएगा । तथापि, दिनांक 17.10.2008 को प्रतिवादी परिषद द्वारा भवन का निरीक्षण किया गया । दिनांक 21.4.2009 को प्रतिवादी परिषद ने राज्य सरकार से प्राप्त नकारात्मक सिफारिश के आधार पर याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए अंतिम रूप से आदेश पारित किया । याचिकाकर्ता के अनुसार, इसमे राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है और प्रतिवादी परिषद का निर्णय इसके द्वारा किए गए निरीक्षण पर आधारित होना चाहिए । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए प्रतिवादी परिषद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) मे प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारो का उल्लंघन है ।

प्रतिवादी परिषद ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता इसके द्वारा अनुमत्य समय के भीतर कमियों को दूर करने मे असफल रहा था । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नकारात्मक सिफारिशों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था ।

निर्धारण, के लिए मुद्दा यह है कि क्या प्रस्तावित कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की प्रतिवादी परिषद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है?

यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि इस मामले के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर प्रतिवादी परिषद द्वारा पुनः विचार किया गया और इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता संस्था के पास आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को पंजीकृत दस्तावेज के अंतर्गत अपेक्षित भूमि नहीं थी । यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि पहले याचिकाकर्ता ने तंदोली जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में स्थापना के लिए प्रस्तावित डी.एड. कॉलेज को मान्यता प्रदान करने के लिए दिनांक 03.1.2007 को प्रतिवादी परिषद को आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी परिषद के सम्मुख फाइल किए गए उपर्युक्त आवेदन की जेरोक्स प्रति संलग्न की है । आधार भूत सुविधा की उपलब्धता से संबंधित कॉलम सं.03 के अंतर्गत कॉलम सं 3.1 है । उपर्युक्त कॉलम को निम्नानुसार पुनः दोहराया जाता है :-

> "कृपया दर्शाएं कि क्या संस्था के नाम पर मालिकाना अथवा लंबी अवधि के लिए पट्टे आधार पर भूमि उपलब्ध है ।"

इस कॉलम को याचिकाकर्ता द्वारा खाली छोड़ दिया गया है ।

दिनांक 2.2.2007 के पत्र द्वारा, प्रतिवादी परिषद ने आवेदित पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए याचिकाकर्ता को अपेक्षित भूमि एवं भवन के विधि सम्मत कब्जे को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज दायर करने का निदेश दिया । इसने याचिकाकर्ता को विनियमन (मान्यता, प्रतिमानक एवं प्रक्रिया) 2006 की धारा 4 के अंतर्गत इसकी पात्रता सिद्ध करने के लिए 5 लाख रूपए की मूल एफ डी आर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 03 लाख रुपए, शपथ आयुक्त द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित 100/- रु. के स्टांप पेपर पर मूल शपथ-पत्र इस भूमि की सही जगह, भूमि का कुल क्षेत्र और वास्तविक कब्जे में भूमि एवं भवन का कुल क्षेत्र उल्लेख करते हुए और संस्था की अपनी वेबसाइट प्रारंभ करने संबंधी दस्तावेज जमा कराने का निदेश दिया । याचिकाकर्ता को 90 दिन के भीतर उक्त कमियों को दूर करने का निदेश दिया गया । निःसंदेह याचिकाकर्ता उक्त कमियां दूर नहीं कर पाया और दिनांक 10.8.2007 के पत्र के अंतर्गत उक्त कमियों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को आगे 21 दिन का समय दिया गया । दिनांक 31.8.2007 के पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी परिषद के क्षेत्रीय निदेशक को यह सूचित करते हुए पत्र लिखा कि याचिकाकर्ता के पास रा.अ.शि.प. के मानकों (मानदण्डों) के अनुसार तंदोली, जिला यवतमाल में पर्याप्त भवन नहीं है । इसलिए, उन्होंने प्रस्तावित कॉलेज का पता तंदोली, जिला यवतमाल से बदलकर मनोरा, जिला वाशिम कर दिया । दिनांक 03.7.2008 के पत्र के द्वारा प्रतिवादी परिषद ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि प्रस्ताव के साथ आवेदन प्रपत्र के लिए 1000/- रु. का शुल्क जमा नहीं किया गया था । याचिकाकर्ता को निरीक्षण दल द्वारा भवन के निरीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमोदित भवन पर निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया गया था । भवन के निरीक्षण के उपरांत याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नकारात्मक संस्तुति के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और नामंजूरी के आदेश की सूचना याचिकाकर्ता को दिनांक 21.4.2009 के पत्र के अंतर्गत दी गई थी । याचिकाकर्ता ने इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका दिनांक 16.3.2009 को दायर की थी । तथापि, निःसंदेह याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर प्रतिवादी परिषद द्वारा पुनः विचार किया गया और दिनांक 26.8.2010 के आदेश द्वारा इसे इस

आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को याचिकाकर्ता के पास पंजीकृत दस्तावेज के अंतर्गत अपेक्षित भूमि नहीं थी ।

जैसा कि पहले बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी परिषद को दिनांक 31.8.2007 के पत्र के अंतर्गत यह सूचित किया था कि इसके पास तंदोली, जिला यवतमाल में डी.एड. कॉलेज की स्थापना के लिए रा.अ.शि.प. के मानकों (मानदंडों) के अनुसार पर्याप्त भवन नहीं है । इसलिए याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित कॉलेज का पता परिवर्तित कर दिया और मनोरा, जिला वाशिम में डी.एड. कॉलेज की स्थापना के लिए प्रतिवादी परिषद के पास अपेक्षित दस्तावेज जमा कराए । दिनांक 21.4.2009 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को राज्य सरकार से प्राप्त नकारात्मक सिफारिश के आधार पर नामंजूर कर दिया गया । याचिकाकर्ता के विद्वान वकील दिनांक 21.4.2009 के आदेश को इस आधार पर नकारना चाहते हैं कि राज्य सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की जांच प्रतिवादी परिषद के निरीक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर की जानी चाहिए । यह उल्लेख करना संगत है कि उस राज्य में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है । किसी विशेष राज्य में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं । परिणामस्वरूप, किसी विशेष राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षण संस्था को मान्यता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार की सिफारिशें संगत हैं । मामले के इस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और अन्य बनाम श्री श्याम शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और अन्य 2011 ए आई आर एससीडब्ल्यू 1075 मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय से सशक्त हुए हैं । अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है तथा यह निर्णय देते है कि दिनांक 21.4.2009 के आदेश में कोई विधिक खामी नहीं है ।

तथापि, इस मामले के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर प्रतिवादी परिषद द्वारा पुनः विचार किया गया और दिनांक 26.8.2010 को इसे इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि संस्था के पास रा.अ.शि.प. के मानदण्डों के अनुपालन में पंजीकृत दस्तावेज के अंतर्गत अपेक्षित भूमि नहीं थी। याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध करने के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि संस्था के नाम से मालिकाना अथवा लंबी अवधि के लिए पट्टे के आधार पर अपेक्षित भूमि उपलब्ध है । याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 1.9.2010 के शपथ-पत्र में कहा है कि इस संस्था के पास 50 वर्ष का पट्टा विलेख है । आश्चर्य है कि शपथ-पत्र में दिए गए उपर्युक्त कथन के समर्थन में कोई भी ऐसा पट्टा विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । तदुपरांत, स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण साक्ष्य की अनुपस्थिति में हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता संस्था के पास परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त भूमि है ।

पूर्वोक्त कारणों से यह याचिका खारिज की जाती है ।

2010 का मामला सं. 1209

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य को निदेश देने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : तंजीम-ए-वालिदेन उर्दू मदरिस (पलक संघ उर्दू शाला पुणे), पूणे-35, घोरपड़ी पेठ, पुणे-411042, इसके सचिव श्री इश्क शरफुद्दीन शेख के माध्यम से

प्रतिवादी : 1. प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई-32, महाराष्ट्र ।

2. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई-32, महाराष्ट्र

3. निदेशक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, महाराष्ट्र ।

4. मंडलीय क्षेत्रीय उप निदेशक, शिक्षा, पुणे क्षेत्र, पुणे ।

5. शिक्षा अधिकारी, सेकेंडरी जिला परिषद्, पुणें ।

इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता सचिव, तंजीम-ए-वालिदेन उर्दू मदरिस, पूणे, महाराष्ट्र ने ग्राम कटराज, पुणे शहर में कक्षा VI से X तक एक नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निदेशे देने की मांग की है । याचिकाकर्ता सोसायटी, बॉम्बे लोक न्यास अधिनियम 1950 के अंतर्गत पंजीकृत एक जन धमार्थ ट्रस्ट है और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है । याचिकाकर्ता सोसाइटी को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.5.2009 के प्रमाणपत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है । याचिकाकर्ता सोसाइटी ने वर्ष 1991 में ग्राम कटराज, पुणे में एक उर्दू माध्यम प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधिवत मान्यता दी हुई है । शैक्षिक वर्ष 2008-09 के लिए नए माध्यमिक विद्यालयों को प्रारंभ करने हेतु इच्छुक पार्टियों से प्रस्ताव मंगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने ग्राम कटराज, पुणे शहर में प्रस्तावित नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । प्रस्ताव को शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) जिला परिषद, पुणे को सभी अपेक्षित दस्तावेजों और 5000/- रु. की प्रोसेसिंग फीस के साथ निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 08.5.2008 को प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रस्ताव का निदेशक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र सरकार, पुणे द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि घोरपडे पेठ के क्षेत्र के आस पास एक अन्य माध्यमिक विद्यालय विद्यमान है । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता का प्रस्ताव ग्राम कटराज में एक उर्दू माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु था और न कि घोरपडे पेठ में और इस प्रकार निदेशक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 11.2.2010 के आदेश के अंतर्गत याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को गैरकानूनी रूप से अस्वीकार किया है । यह भी अभिकथित है कि ग्राम कटराज से 10 कि.मी. तक के क्षेत्र के आसपास कोई भी उर्दू माध्यम विद्यालय विद्यमान नहीं है । इस आधार पर यह भी अभिकथित है कि निदेशक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, महाराष्ट्र पुणे का ग्राम कटराज में एक नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला दिनांक 11.2.2010 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लघंन है ।

जिला शिक्षा अधिकारी, सेकेंडरी, जिला परिषद् पुणे ने इस याचिका का इस आधार पर प्रतिरोध किया कि दिनांक 16.6.2009 को राज्य सरकार ने नए मराठी माध्यम माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को नामंजूर करने का नीतिगत निर्णय लिया था । यह अभिकथित है कि राज्य सरकार के उक्त निर्णय पर कार्रवाई करते हुए प्रस्तावित उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का याचिकाकर्ता का

प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया । यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता विद्यालय के प्रस्तावित स्थान के नजदीक उर्दू माध्यम माध्यमिक स्कूल की सुविधा मौजूद है और इस लिए राज्य सरकार ने प्रस्तावित नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु याचिकाकर्ता का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया ।

प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रस्तावित विद्यालय में सभी आधारभूत सुविधाएं मौजूद हैं और इसलिए याचिकाकर्ता ग्राम कटराज, पुणे शहर में प्रस्तावित विद्यालय की स्थापना हेतु हकदार है ।

विचारार्थ मामला यह है कि क्या ग्राम कटराज में एक नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का याचिकाकर्ता का प्रस्ताव नामंजूर करने में निदेशक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार का दिनांक 11.2.2010 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ?

संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसंद' की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसके संचालन का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे औचित्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था को चलाने की सुरक्षा प्रदान करना है । इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिषेध के माध्यम और लागू करने के वचन से सुरक्षित किया गया है । प्रतिषेध अनुच्छेद 13 में समाहित है जो राज्य को ऐसे किसी भी कानून या नियम बनाने से रोकते है जो संविधान के अध्याय-III के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संकुचित करते हैं या इससे असंगत किसी कानून, नियम या विनियम को वीटों की धमकी देते हैं ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में सामान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "इस अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित

करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> ".....अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :
>
> ii) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसन्द के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रस्तावित उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का याचिकाकर्ता का प्रस्ताव निम्नलिखित आधार पर नामंजूर कर दिया गयाः-

1. यह कि दिनांक 16.6.2009 को आयोजित हुई मंत्रिमंडल बैठक के निर्णय के अनुसार, एक नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करने का याचिकाकर्ता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

2. यह कि याचिकाकर्ता संस्था के प्रस्तावित स्थान के नजदीक उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की सुविधा मौजूद है और इसलिए याचिकाकर्ता प्रस्तावित उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने का हकदार नहीं है ।

दिनांक 16.6.2009 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार नए मराठी माध्यम माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करने के प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया था । निःसंदेह याचिकाकर्ता

का प्रस्ताव ग्राम कटराज पुणे शहर में नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए था । जाहिर है कि प्रस्तावित उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करने का याचिकाकर्ता का प्रस्ताव राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय के आधार पर प्रस्तावित उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को नामंजूर करने में प्रत्यक्ष रूप से अवैध कार्य किया है ।

जहाँ तक आधार सं. 2 का प्रश्न है, प्रतिवादी द्वारा यह अभिकथित है कि घोरपडे पेठ के नजदीक एक अन्य माध्यमिक विद्यालय विद्यमान है और इसलिए नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु याचिकाकर्ता का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया था । यह कहना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता ने ग्राम कटराज में और न कि घोरपडे पेठ में एक नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । ऐसा होते हुए, प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को उक्त आधार पर नामंजूर कर देने से इस मामले की जड़ों को हिला कर रख दिया है । याचिकाकर्ता ने वर्णित किया है कि ग्राम कटराज के 10 कि.मी. के क्षेत्र में कोई भी उर्दू माध्यम विद्यालय नहीं है ।

पूर्वोक्त कारणों से हम यह टिप्पणी करने के लिए विवश हैं कि ग्राम कटराज, पुणे शहर में एक नए उर्दू माध्यम सेकेंडरी स्कूल की स्थापना हेतु याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को नामंजूर करने में निदेशक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे का दिनांक 11.2.2010 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लघंन है ।

इसलिए, हम राज्य सरकार को ग्राम कटराज, पुणे शहर में एक उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति दिए जाने के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की संस्तुति करते हैं, क्योंकि ग्राम कटराज में एक नए उर्दू माध्यम माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु निदेशक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार का दिनांक 11.2.2010 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लघंन है ।

2010 का मामला संख्या 981

अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एम बी ए कॉलेज की स्थापना के लिए मान्यता प्रदान करेन हेतु अ.भा.त.शि.प. को निदेश देने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : डॉ. डी. वाई. पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च केन्द्र, मुंशी विद्याधाम दहेज बाईपास रोड, बहरूच, गुजरात ।

प्रतिवादी : 1. सेन्ट्रल रिजीनल ऑफिसर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, टैगोर हॉस्टल-2, शामला हिल्स, भोपाल ।

2. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली ।

इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता समन्वयक, मुंशी मनुबरवाला मेमौरियल चेरिटेबल ट्रस्ट ने शैक्षिक वर्ष 2010-11 से एमबीए कॉलेज प्रारंभ करने हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को निदेश देने की मांग की है । याचिकाकर्ता के अनुसार, यह याचिका उक्त उद्देश्य हेतु अ.भा.त.शि.प. के दिशा-निर्देश के अनुसार वेब

पॉर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी । उक्त आवेदन डॉ. डी.वाई पाटिल एजुकेशनल इंटरप्राइजेज प्रा.लि., बेलापुर, नवी मुम्बई द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र से समर्थित था । दिनांक 11.2.2010 के पत्र द्वारा, प्रतिवादी ने इस आवेदन को दस्तावेजों और देना बैंक के नाम में देय 80,000/- रु. के दिनांक 6.2.2010 के डिमांड ड्राफ्ट सं. 887613 सहित इस अभ्युक्ति के साथ लौटा दिया कि प्रतिवादी परिषद द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले नए मानदण्डों के अनुसार इसे पुनः प्रस्तुत करें । यह अभिकथित है कि प्रतिवादी परिषद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लघंन है ।

नोटिस तामील कराने के बावजूद प्रतिवादी की तरफ से कोई भी उत्तर दाखिल नहीं किया गया है । अतः मामले पर एकतरफा कार्रवाई की गई ।

विचारार्थ बिन्दु यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा डॉ. डी.वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुंशी विद्याधाम के नाम से एक नई एमबीए संस्था की स्थापना के लिए दाखिल आवेदन को लौटाने की प्रतिवादी परिषद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लघंन है ।

याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध करने के लिए कि डॉ. डी. वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड रिसर्च सेन्टर, देहज बाईपास रोड, बहरूच की स्थापना और उसका संचालन मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, श्री पटेल सुलेमान आदम के 03 शपथ-पत्र दाखिल किए हैं । ये शपथ-पत्र आगे सिद्ध करते हैं कि उक्त संस्था के लाभार्थी मुस्लिम समुदाय के सदस्य हैं । यह कहना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध करने के लिए कि प्रस्तावित कॉलेज के पास प्रतिवादी परिषद द्वारा निर्धारित सन्नियमों के अनुसार सभी आधारभूत सुविधाएं एवं अनुदेशात्मक सुविधाएं है कोई भी शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया है । दिनांक 11.2.2010 के पत्र द्वारा प्रतिवादी परिषद ने इस आवेदन को दस्तावेजों और देना बैंक के नाम देय 80,000/- रु. के डिमांड ड्राफ्ट सहित इस अभ्युक्ति के साथ लौटा दिया कि प्रतिवादी परिषद द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सन्नियमों के अनुसार इसे पुनः प्रस्तुत करें । रिकॉर्ड में यह दर्शाने अथवा सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि उक्त पत्र के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने डॉ. डी.वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड रिसर्च सेन्टर के नाम से एक नई एमबीए संस्था की स्थापना के लिए मान्यता देने के लिए कोई नया आवेदन प्रस्तुत किया हो । मामले के इस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में इस मामले में इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

पूर्वोक्त कारणों से यह याचिका खारिज की जाती है ।

2009 का मामला संख्या 438

अल्पसंख्यक संस्था द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 50% विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति न देने के आदेश के विरूद्ध राज्य को निदेश देने हेतु याचिका

याचिकाकर्ता : होली क्रॉस बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पाथलगाँव, जिलाः जशपुर, छत्तीसगढ़

प्रतिवादी : 1. निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

इस याचिका में निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर, छत्तीसगढ़ के दिनांक 28.4.2009 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक समुदाय के 50% विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी गई है । याचिकाकर्ता संस्था को राज्य सरकार के दिनांक 4.10.2008 के आदेश सं. ए.एस./151/08/7990 के अंतर्गत अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता संस्था की प्रबंधन समिति के पास संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समूह के 50% विद्यार्थियों को प्रवेश देने का मौलिक अधिकार है । याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक समूह से 50% विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति देने हेतु प्रतिवादी, निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ को दिनांक 4.12.2008 एवं दिनांक 22.4.2009 को आवेदन किया था । दिनांक 28.4.2009 के पत्र के द्वारा याचिकाकर्ता का अनुरोध इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि याचिकाकर्ता संस्था एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने के नाते अल्पसंख्यक समूह से विद्यार्थियों को प्रवेश देने की हकदार नहीं है जैसा कि इसने मांग की है । यह अभिकथित है कि दिनांक 28.4.2009 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लघंन है ।

"प्रतिवादी, निदेशक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर ने इस आधार पर इस याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता एक अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्था होने के नाते अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को प्रवेश देने की हकदार नहीं है जैसा कि उसने मांग की है । धारा 2(छत्ती.) छत्तीसगढ़ डी.एड प्रवेश नियम 2007 (संक्षेप में नियम) और टी.एम.ए.पाई फाऊंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002(8) एस सी सी 481 व पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एस सी सी 537 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा गया है । नियमों की धारा 5 में डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों में ऊर्ध्वाकार और समस्तरीय आरक्षण का प्रावधान है । निःसंदेह, याचिकाकर्ता संस्था एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है । उच्चतम न्यायालय द्वारा पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) (ऊपर) के मामले में निर्णय दिया गया है कि राज्य से सहायता प्राप्त करने मात्र से ही संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है । माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया है कि "अल्पसंख्यक संस्था द्वारा सहायतानुदान लेते ही उसका अल्पसंख्यक स्वरूप समाप्त नहीं हो जाता। अतः सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यक समुदाय से संबंद्ध छात्रों को प्रवेश देने की हकदार होगी और साथ ही उसे गैर-अल्पसंख्यक छात्रों को तर्कसंगत सीमा तक प्रवेश देना होगा, ताकि अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकारों का पर्याप्त रुप से हनन न हो और यह भी कि अनुच्छेद 29 (2) के तहत नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लंघन न हो । यह तर्कसंगत सीमा क्या होगी, यह संस्था के स्वरूप, शिक्षा के पाठ्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है और शैक्षिक जरुरतों जैसे अन्य तथ्यों के अनुसार अलग-अलग होगी । **संबंधित राज्य सरकार को उपर्युक्त अवलोकनों के दृष्टिगत प्रवेश दिए जाने वाले गैर अल्पसंख्यक छात्रों की प्रतिशतता को अधिसूचित करना होता है।**"

विद्वान न्यायाधीशों ने आगे टिप्पणी की है अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए। अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले

अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं : (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना।"

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि अपने उत्तर में प्रतिवादी ने टी.एम.ए.पाई फाऊंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002(8) एस सी सी 481 व पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एस सी सी 537 के मामले में इन दावों के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है कि याचिकाकर्ता संस्था एक अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्था होने के नाते अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के अधिकार की हकदार नहीं है । यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का गलत अर्थ लगा लिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने निर्णयों में साफ-साफ कहा है कि न तो राज्य द्वारा आरक्षण की नीति लागू की जा सकती है और न ही राज्य द्वारा एक अल्पसंख्यक अथवा गैर-अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में कोई कोटा अथवा प्रवेश का प्रतिशत ही निर्धारित किया जा सकता है । वास्तव में, प्रतिवादी द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभिवचन (तर्क) कि दिनांक 28.4.2009 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा आधारित होता है । इस परिस्थिति में हम संविधान के अनुच्छेद 15 का उप अनुच्छेद(5) भी उद्धृत कर सकते है जो एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को प्रवेश में आरक्षण की नीति से छूट प्रदान करता है । अनुच्छेद 15 का उप-अनुच्छेद(5) नीचे दिए गए अनुसार है :-

> खण्ड(4) के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 के पश्चात् संशोधन, निम्नलिखित उप वाक्य जोड़ा जाए अर्थात्
>
> "(5) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 19 के खण्ड(1) के उप-खण्ड(छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए, विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी जहां तक कि ऐसे विशेष उपबंध निजी शैक्षणिक संस्थाओं, चाहे वे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त हैं अथवा अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा हैं, सहित शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित है ।"
>
> (बल दिया गया)

निःसंदेह, याचिकाकर्ता संस्था एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था है, संविधान का अनुच्छेद 29(2) याचिकाकर्ता संस्था को गैर अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को एक युक्तियुक्त सीमा तक प्रवेश देने के लिए विवश करता है । न्यायधीशों ने निर्णय दिया है कि जैसे ही एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को सहायता-अनुदान दिया जाता है, उस संस्था को गैर अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को एक युक्तियुक्त सीमा तक प्रवेश देना होगा, ऐसा करने से उस संस्था का स्वरूप समाप्त नहीं होता है और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 29(2) में प्रतिष्ठापित नागरिकों के अधिकारों का हनन नही होता है ।

राज्य सरकार वह क्षेत्र जहाँ वह संस्था स्थित है की जनसंख्या एवं शैक्षणिक आवश्यकाताओं को ध्यान में रखते हुए किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश देने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिशतता निर्धारित कर सकती है । प्राथमिक स्तर से कॉलेज स्तर तक और सम्पूर्ण राज्य के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के प्रकार (किस्म) के संबंध में कोई एक समान नियम अथवा विनियम नहीं हो सकता

है जो कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में एक समान सीमा निर्धारित कर सके। अतः दो उद्देश्यों- अपने समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित रखना और अपनी संस्थाओं में बाहरी मेधावी विद्यार्थियों को इस शर्त पर प्रवेश देना कि इस प्रकार के प्रवेश का तरीका और संख्या उस संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का उल्लघंन न करें ।

पूर्वोक्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और यह निर्णय देते हैं कि प्रतिवादी, निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर, छत्तीसगढ़ का दिनांक 28.4.2009 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । संविधान अनुच्छेद 13 राज्य सरकार को किसी कानून, नियम अथवा विनियमों जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा अप्रतिष्ठित हैं को अधिनियमनित करने से व्यादेशित करता है । अनुच्छेद 13 के खण्ड (1) में प्रवाधान है कि वर्तमान कानून, नियम एवं विनियम जो संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के पालन में टकराव करते हैं तो वे उस हद तक अमान्य रहेंगे ।

पूर्वोक्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और यह निर्णय देते हैं कि प्रतिवादी, निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर, छत्तीसगढ़ का दिनांक 28.4.2009 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । याचिकाकर्ता संस्था के प्रबंधन को अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिकार है और साथ ही साथ गैर-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भी एक युक्तियुक्त सीमा तक प्रवेश देना अक्षेपित होगा ।

2009 का मामला संख्या 163

अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक नए मराठी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : अध्यक्ष, आधुनिक शिक्षण प्रसारक मंडल, कार्यालय सं.1, प्रथम तल, अमोदी परिसर, जूना बाजार, औरंगाबाद महाराष्ट्र, आर.एम.शेख मराठी प्राथमिक विद्यालय, डाकघरः उपली तालुका, वादवानी, जिलाः बीड (महाराष्ट्र) के लिए

प्रतिवादी : 1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, 5वां तल, कमरा नं. 518 (मुख्य) मंत्रालय, मुम्बई-32 ।

2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं खेलकूद और युवा मामले विभाग, महाराष्ट्र सरकार, चौथा तल, कमरा नं. 424, मंत्रालय, मुम्बइ-32 ।

3. शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक विद्यालय विभाग), बीड जिला परिषद, शिवाजी पुतले के नजदीक, शिवाजी चौक, बीड-431122 (महाराष्ट्र) ।

इस याचिका द्वारा अध्यक्ष, आधुनिक शिक्षण प्रसारक मंडल, जूना बाजार, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड महाराष्ट्र में एक नए मराठी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है । याचिकाकर्ता सोसाइटी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 17.2.2008 के पत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यका दर्जा प्रदान किया गया है । दिनांक 12.5.2008 को याचिकाकर्ता सोसाइटी ने उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड में एक नए मराठी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत

किया था । यह प्रस्ताव सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित जिला परिषद, बीड को प्रस्तुत किया गया । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी के पास 3,81,000/- रु. का बैंक बेलेंस है जबकि उसकी जरूरत 1,00,000/- रु. के बैंक बेलेंस की है, और उसके पास प्रस्तावित स्कूल की स्थापना हेतु सभी आधारभूत सुविधाएं हैं । यह भी अभिकथित है कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित स्कूल की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान नहीं की है और इस प्रकार राज्य सरकार की याचिकाकर्ता के द्वारा मांगी गई अनुमति प्रदान न करने संबंधी आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

नोटिस तामिल कराने के बावजूद भी, प्रतिवादियों ने कोई भी उत्तर दाखिल नहीं किया ।

विचारार्थ बिंदु यह है कि डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड महाराष्ट्र में एक नए मराठी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने की अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसंद' की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसके संचालन का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे औचित्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था को चलाने की सुरक्षा प्रदान करना है । इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिषेध के माध्यम और लागू करने के वचन से सुरक्षित किया गया है । प्रतिषेध अनुच्छेद 13 में समाहित है जो राज्य को ऐसे किसी भी कानून या नियम बनाने से रोकते है जो संविधान के अध्याय-III के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संकुचित करते हैं या इससे असंगत किसी कानून, नियम या विनियम को वीटों की धमकी देते हैं ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में सामान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "इस अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है। यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।"

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> ".....अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :
>
> (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसंद के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

इस प्रकार, याचिकाकर्ता सोसाइटी को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड में स्थायी गैर-सहायता अनुदान के आधार पर एक नए मराठी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए मौलिक अधिकार है । श्री फारुक शेख ने निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करने के लिए यह शपथ-पत्र दाखिल किया है :-

(i) यह कि याचिकाकर्ता के पास प्रस्तावित स्कूल के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं एवं अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं ।

(ii) यह कि प्रस्तावित स्कूल की स्थापना सदृश शैक्षणिक संस्थाओं में एक विकृत प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं करेगी ।

(iii) यह कि वर्तमान में वहां एक मराठी प्राथमिक विद्यालय है लेकिन जनसंख्या एवं उस स्थान के घेरे के अनुसार वहाँ दो मराठी प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है । वर्तमान विद्यालय में प्रति कक्षा विद्यार्थी क्षमता करीब 80 विद्यार्थी है । प्रति कक्षा 30 विद्यार्थियों की क्षमता आवश्यक है और वर्तमान विद्यालय के दबाव को कम करने के लिए एक नए मराठी विद्यालय की आवश्यकता है ।

(iv) यह कि इस संस्था के पास 41600 वर्ग फुट भूमि है और भवन 30000 वर्ग फुट में है ।

(v) यह कि पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर कक्ष अलग से उपलब्ध हैं ।

(vi) यह कि छात्र (छात्राओं) के लिए पृथक पृथक प्रसाधन (टॉयलट) हैं । स्कूल भवन के नजदीक खेलकूद मैदान की सुविधा विद्यमान है ।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यात्मक आधार का खण्डन करने के लिए उत्तर भी दाखिल नही किया है । श्री शेख फारूख के अविवादित शपथ-पत्र पर भरोसा करते हुए हमारा यह मत है कि प्रस्तावित मराठी प्राथमिक विद्यालय को स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता सोसाइटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

पूर्वोक्त कारणों से, हम राज्य सरकार को उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड, महाराष्ट्र में स्थायी रुप से गैर सहायता अनुदान आधार पर संचालित किए जाने हेतु मराठी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की संस्तुति करते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता सोसाइटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

2009 का मामला संख्या 162

अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक नए उर्दू हाई स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : अध्यक्ष, आधुनिक शिक्षण प्रसारक मंडल, कार्यालय सं. 1, प्रथम तल, अमोदी परिसर, जूना बाजार, औरंगाबाद महाराष्ट्र, आर.एम.शेख उर्दू हाई स्कूल, डाकघरः उपली तालुका, वादवानी, जिलाः बीड (महाराष्ट्र) के लिए

प्रतिवादी : 1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, 5वां तल, कमरा नं. 518 (मुख्य) मंत्रालय, मुम्बई-32।

2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं खेलकूद और युवा मामले विभाग, महाराष्ट्र सरकार, चौथा तल, कमरा नं. 424, मंत्रालय, मुम्बई-32 ।

3. शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक विद्यालय विभाग), बीड जिला परिषद, शिवाजी पुतले के नजदीक, शिवाजी चौक, बीड-431122 (महाराष्ट्र) ।

इस याचिका द्वारा अध्यक्ष, आधुनिक शिक्षण प्रसारक मंडल, जूना बाजार, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड महाराष्ट्र में एक नए उर्दू हाई स्कूल की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है । याचिकाकर्ता सोसाइटी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 17.2.2008 के पत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यका दर्जा प्रदान किया गया है । दिनांक 12.5.2008 को याचिकाकर्ता सोसाइटी ने उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड में एक नए उर्दू हाई स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । यह प्रस्ताव सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित जिला परिषद, बीड को प्रस्तुत किया गया । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी के पास 3,81,000/- रु. का बैंक बेलेंस है जबकि उसकी जरूरत 1,00,000/- रु. के बैंक बैलेंस की है, और उसके पास प्रस्तावित स्कूल की स्थापना हेतु सभी आधारभूत सुविधाएं हैं । यह भी अभिकथित है कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित स्कूल की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान नहीं की है और इस राज्य सरकार की याचिकाकर्ता के द्वारा मांगी गई अनुमति प्रदान न करने की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

नोटिस तामिल कराने के बावजूद भी, प्रतिवादियों ने कोई भी उत्तर दाखिल नहीं किया ।

विचारार्थ बिंदु यह है कि डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड महाराष्ट्र में एक नए उर्दू हाई स्कूल की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसंद' की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसके संचालन का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे औचित्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था को चलाने की सुरक्षा प्रदान करना है । इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिषेध के माध्यम और लागू करने के वचन से सुरक्षित किया गया है । प्रतिषेध अनुच्छेद 13 में समाहित है जो राज्य को ऐसे किसी भी कानून या नियम बनाने से रोकते है जो संविधान के अध्याय-III के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संकुचित करते हैं या इससे असंगत किसी कानून, नियम या विनियम को वीटों की धमकी देते हैं ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "विचाराधीन अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।"

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य ऊपर मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> ".....अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :
>
> (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसन्द के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

इस प्रकार, याचिकाकर्ता सोसाइटी को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड में स्थायी गैर-सहायता अनुदान के आधार पर एक नए उर्दू हाई स्कूल की स्थापना के लिए मौलिक अधिकार है । श्री शेख फारूक ने निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करने के लिए यह शपथ-पत्र दाखिल किया है :-

(i) यह कि याचिकाकर्ता के पास प्रस्तावित स्कूल के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं एवं अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं ।

(ii) यह कि प्रस्तावित स्कूल की स्थापना सदृश शैक्षणिक संस्थाओं में एक विकृत प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं करेगी ।

(iii) यह कि प्रस्तावित हाई स्कूल से 20 कि.मी. की परिधि के भीतर कोई अन्य उर्दू हाई स्कूल नहीं है और नया उर्दू हाई स्कूल स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है ।

(iv) यह कि इस संस्था के पास 41600 वर्ग फुट भूमि है और भवन 30000 वर्ग फुट में है ।

(v) यह कि पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर कक्ष अलग से उपलब्ध हैं ।

(vi) यह कि छात्र छात्राओं के लिए पृथक पृथक प्रसाधन (टॉयलट) हैं । स्कूल भवन के नजदीक खेलकूद मैदान की सुविधा विद्यमान है ।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यात्मक आधार का खण्डन करने के लिए उत्तर भी दाखिल नही किया है । श्री शेख फारूख के अविवादित शपथ-पत्र पर भरोसा करते हुए हमारा यह मत है कि प्रस्तावित उर्दू हाई स्कूल को स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ता सोसाइटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

पूर्वोक्त कारणों से, हम राज्य सरकार को उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड, महाराष्ट्र मे स्थायी रुप से गैर सहायता अनुदान आधार पर संचालित किए जाने हेतु उर्दू हाई स्कूल की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की संस्तुति करते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता सोसाइटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

2009 का मामला संख्या 161

अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक नए उर्दू प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : उर्दू प्राथमिक विद्यालय, डाकघरः उपली तालुका, वादवानी, जिलाः बीड (महाराष्ट्र) के लिए इसके अध्यक्ष, आधुनिक शिक्षण प्रसारक मंडल, कार्यालय सं. 1, प्रथम तल, अमोदी परिसर, जूना बाजार, औरंगाबाद महाराष्ट्र के माध्यम से

प्रतिवादी : 1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, 5वां तल, कमरा नं. 518 (मुख्य) मंत्रालय, मुम्बई-32 ।

2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं खेलकूद और युवा मामले विभाग, महाराष्ट्र सरकार, चौथा तल, कमरा नं. 424, मंत्रालय, मुम्बई-32 ।

3. शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक विद्यालय विभाग), बीड जिला परिषद, शिवाजी पुतले के नजदीक, शिवाजी चौक, बीड-431122 (महाराष्ट्र) ।

इस याचिका द्वारा अध्यक्ष, आधुनिक शिक्षण प्रसारक मंडल, जूना बाजार, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड महाराष्ट्र में एक नए उर्दू प्राइमरी स्कूल की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को निदेश देने की मांग की है । याचिकाकर्ता सोसाइटी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 17.2.2008 के पत्र द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है । दिनांक 12.5.2008 को याचिकाकर्ता सोसाइटी ने उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड में एक नए उर्दू प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । यह प्रस्ताव सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित जिला परिषद, बीड को प्रस्तुत किया गया । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी के पास 3,81,000/- रु. का बैंक बैलेंस है जबकि उसकी जरूरत 1,00,000/- रु. के बैंक बैलेंस की है, और उसके पास प्रस्तावित स्कूल की स्थापना हेतु सभी आधारभूत सुविधाएं हैं । यह भी अभिकथित है कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित स्कूल की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान नहीं की है और इस प्रकार राज्य सरकार की याचिकाकर्ता के द्वारा मांगी गई अनुमति प्रदान न करके की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

नोटिस तामिल कराने के बावजूद भी, प्रतिवादियों ने कोई भी उत्तर दाखिल नहीं किया ।

विचारार्थ बिंदु यह है कि डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड, महाराष्ट्र में एक नए उर्दू प्राइमरी स्कूल की स्थापना करने की अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसंद' की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसके संचालन का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे औचित्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था को चलाने की सुरक्षा प्रदान करना है । इन अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में प्रतिषेध के माध्यम और लागू करने के वचन से सुरक्षित किया गया है । प्रतिषेध अनुच्छेद 13 में समाहित है जो राज्य को ऐसे किसी भी कानून या नियम बनाने से रोकते है जो संविधान के अध्याय-III के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संकुचित करते हैं या इससे असंगत किसी कानून, नियम या विनियम को वीटों की धमकी देते हैं ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में सामान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "इस अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।"

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> ".....अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :
>
> (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसन्द के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

इस प्रकार, याचिकाकर्ता सोसाइटी को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार डाकघर उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड में स्थायी गैर-सहायता अनुदान के आधार पर एक नए उर्दू प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए मौलिक अधिकार है । श्री फारुक शेख ने निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करने के लिए

यह शपथ-पत्र दाखिल किया है । श्री शेख फारुख ने यह उल्लेख करते हुए शपथ पत्र दाखिल किया है कि बदवानी, जिला बीड में एक और उर्दू प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है और याचिका सोसाइटी के पास प्रस्तावित विद्यालय के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं । उसके शपथ पर उक्त कथन का प्रतिवादियों ने खंडन नहीं किया है । परिणामस्वरूप हमें श्री शेख फारुख के उक्त अकाट्य कथन पर भरोसा करने में कोई हिचक नहीं है ।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और यह निर्णय देते है कि वाड़वानी, जिला बीड़ में प्रस्तावित उर्दू प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु याचिकाकर्ता सोसाइटी को अनुमति न देने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

पूर्वोक्त कारणों से, हम राज्य सरकार को उपली, तालुका बदवानी, जिला बीड, महाराष्ट्र मे स्थायी रुप से गैर सहायता अनुदान आधार पर संचालित किए जाने हेतु उर्दू प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की संस्तुति करते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता सोसाइटी को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

2010 का मामला संख्या 2700

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : सरदार केवल सिंह प्रबंधन एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान, ग्राम/डाकघर किरमच, कुरूक्षेत्र, हरियाणा ।

प्रतिवादी : वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार चण्डीगढ़ ।

2010 का मामला संख्या 2701

याचिकाकर्ता : सरदार केवल सिंह पॉलिटेक्निक, किरमच, करूक्षेत्र, हरियाणा ।

प्रतिवादी : वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

दिनांक 28.4.2011 के आदेश द्वारा मामलों के इस बैच का निपटारा एक समान आदेश के द्वारा किया गया । अतएव उनका निपटारा एक समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

याचिकाकर्ता संस्थाओं ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। याचिकाओं में यह कहा गया है कि दिनांक 19.10.2010 को, याचिकाकर्ता संस्थाओं ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया था और ये अभी भी लंबित हैं । नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की स्थिति से आयोग को अवगत कराने में असफल हुए हैं । उक्त आवेदन की इतनी असंगत लम्बी अवधि के लिए विचाराधीनता याचिकाकर्ता को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने में स्पष्ट रूप से सरकार की अरूचि दर्शाती है । अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में याचिकाकर्ता के अधिकार को लटकाकर नहीं रखा जा सकता है । इस मामले में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले में हस्तक्षेप करना न्यायसंगत एवं उचित समझते हैं ।

याचिकाकर्ता संस्थाओं ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि उनकी स्थापना हो चुकी है और उनका संचालन सरदार केवल सिंह मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक पंजीकृत ट्रस्ट है, और इसका गठन सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है । उक्त ट्रस्ट के सभी न्यासी सिख समुदाय से हैं । इन याचिकाओं में किए गए ऊपर उल्लिखित प्रकथन की याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं श्री गुरमीत सिंह के शपथ-पत्रों से पर्याप्त पुष्टि की जा सकती है । श्री गुरमीत सिंह के शपथ पत्र आगे यह सिद्ध करते हैं कि याचिकाकर्ता संस्थाओं के लाभार्थी सिख समुदाय के सदस्य हैं । रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो कि याचिकाकर्ता संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन कर सके ।

हम पहले ही दिनांक 6.7.2010 को निर्णित 2009 के मामले सं. 1320 (बुकले प्राइमरी स्कूल बनाम सरकार के प्रधान सचिव, स्कूल एवं मास एजुकेशन विभाग, उड़ीसा सरकार) में निर्णय दे चुके हैं कि एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवेश को नियंत्रत करने वाले राज्य सरकार द्वारा प्रतिशत नियत करने के लिए पहचान करने संबंधी मानदंड को ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे के निर्धारण हेतु सूचक (इंडिशिया) में शामिल नहीं किया जा सकता है ।

याचिकाकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्त अकाट्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है और यह निर्णय देते है कि सरदार केवल सिंह मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित सरदार केवल सिंह प्रबंधन एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान, ग्राम/डाकघर किरमच, कुरुक्षेत्र हरियाणा और सरदार केवलसिंह पॉलिटक्निक, किरमच, कुरुक्षेत्र, हरियाणा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किए जाने हेतु पात्र हैं । परिणामस्वरूप, सरदार केवल सिंह प्रबंधन एवं प्रोद्यौगिकी संस्थान और सरदार केवलसिंह पॉलिटक्निक को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ के भीतर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं घोषित किया जाता है । तद्नुसार प्रमाणपत्र जारी किया जाए ।

मामले सं. 2701/2010 के रिकार्ड में इस आदेश की प्रति रख दी जाए ।

2010 का मामला संख्या 1790

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : नुरूल इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल, नेलीकुन्नु, जलालिया जामा मस्जिद समिति, वलायापुरम, डाकघरः वेंगूर, मल्लापुरम, केरल द्वारा संचालित ।

प्रतिवादी : सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग, केरल सरकार सचिवालय, तिरूवन्तपुरम, केरल।

याचिकाकर्ता संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है । याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दिनांक 12.04.2010 को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया था और यह अभी भी लंबित हैं । नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी आयोग को उक्त आवेदन की स्थिति के बारे में अवगत कराने में असफल हुए हैं । उक्त आवेदन की इतनी असंगत अवधि के लिए विचाराधीनता याचिकाकर्ता को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने में स्पष्ट रूप से सरकार की अरूचि दर्शाती है । अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में याचिकाकर्ता के अधिकार को काफी लम्बी अवधि तक लटकाकर नहीं रखा जा

सकता है । इस मामले में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले में हस्तक्षेप करना न्यायसंगत एवं उचित समझते हैं ।

याचिकाकर्ता संस्था ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि उसकी स्थापना हो चुकी है और उसका संचालन जलालिया जामा मस्जिद समिति द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक पंजीकृत सोसाइटी है, इसका गठन मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है । इस याचिका में किए गए ऊपर उल्लिखित प्रकथन की याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं श्री कुंजीमौहम्मद हाजी एवं श्री शेख मौहम्मद के शपथ-पत्रों से पर्याप्त पुष्टि की जा सकती है । श्री कुंजीमौहम्मद हाजी का शपथ पत्र आगे यह सिद्ध करता है । कि याचिकाकर्ता संस्था के लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से हैं । रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो कि याचिकाकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन कर सके ।

हम पहले ही दिनांक 6.7.2010 को निर्णित 2009 के मामले सं. 1320 (बुकले प्राइमरी स्कूल बनाम सरकार के प्रधान सचिव, स्कूल एवं मास एजुकेशन विभाग, उड़ीसा सरकार) में निर्णय दे चुके हैं कि एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवेश को नियंत्रत करने वाले राज्य सरकार द्वारा प्रतिशत नियत करने के लिए पहचान करने संबंधी मानदंड को ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे के निर्धारण हेतु सूचक (इंडिशिया) में शामिल नहीं किया जा सकता है ।

याचिकाकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्त अकाट्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है और यह निर्णय देते है कि जलालिया जामा मस्जिद समिति द्वारा संचालित नुरूल इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल, नेलीकुन्न, वल्यापुरम, वेंगूर (डाकघर), मल्लापुरम, केरल धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किए जाने हेतु पात्र हैं । परिणामस्वरूप, नुरूल इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ के भीतर एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं घोषित किया जाता है । तदनुसार, प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाए ।

2010 का मामला संख्या 253

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : सेंट अनीस ए.यू.जी. स्कूल, पल्लीकारा, नीलेश्वर, केरल ।

प्रतिवादी : सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग, केरल सरकार सचिवालय, तिरूवन्तपुरम, केरल ।

याचिकाकर्ता संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है । इस याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दिनांक 12.07.2008 को राज्य सरकार को आवेदन किया था इसे दिनांक 26.8.2008 के आदेश के अंतर्गत यह कहकर लौटा दिया कि इसे उचित माध्यम से भेजा जाए । हम यह समझने में असफल हुए हैं कि क्यों याचिकाकर्ता द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए दाखिल याचिका राज्य सरकार द्वारा इसे उचित माध्यम से भेजने के लिए लौटा दी गई । उक्त आदेश का भाव याचिकाकर्ता को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने में स्पष्ट रूप से सरकार की अरूचि दर्शाती है । अतः आयोग द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए यह उचित मामला है ।

याचिकाकर्ता संस्था ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि उसकी स्थापना हो चुकी है और इसका संचालन सेंट अनीस कान्वेट द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक पंजीकृत सोसाइटी है और इसका गठन ईसाई समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है । इस याचिका में किए गए ऊपर उल्लिखित प्रकथन की याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं सेंट अंगेलिका के शपथ-पत्रों से पर्याप्त पुष्टि की जा सकती है । सेंट अंगेलिका का शपथ पत्र आगे यह सिद्ध करता है कि याचिकाकर्ता संस्था के लाभार्थी ईसाई समुदाय से हैं । रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो कि याचिकाकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन कर सके ।

हम पहले ही दिनांक 6.7.2010 को निर्णित 2009 के मामले सं. 1320 (बुकले प्राइमरी स्कूल बनाम सरकार के प्रधान सचिव, स्कूल एवं मास एजुकेशन विभाग, उड़ीसा सरकार) में निर्णय दे चुके हैं कि एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवेश को नियंत्रत करने वाले राज्य सरकार द्वारा प्रतिशत नियत करने के लिए पहचान करने संबंधी मानदंड को ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे के निर्धारण हेतु सूचक (इंडिशिया) में शामिल नहीं किया जा सकता है ।

याचिकाकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्त अकाट्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है और यह निर्णय देते है कि सेंट अनीस कान्वेट द्वारा संचालित सेंट अनीस ए.यू.जी. स्कूल, पल्लीकारा, नीलेश्वर, केरल धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किए जाने हेतु पात्र है । परिणामस्वरूप, सेंट अनीस ए.यू.जी. स्कूल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ के भीतर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं घोषित किया जाता है । तदनुसार, प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।

2010 का मामला संख्या 873

अल्पसंख्यक संस्था को संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश देने हेतु याचिका

याचिकाकर्ता : मुस्लिम कन्या डिग्री कॉलेज, सर सैय्यद नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, इसके अध्यक्ष मोहम्मद असलम शमसी के माध्यम से ।

प्रतिवादी : 1. उप कुलपति, एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश ।

2. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

इस याचिका द्वारा, मुस्लिम कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद जो कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है के अध्यक्ष ने याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम की संबद्धता रद्द करने के बारे में प्रतिवादी विश्वविद्यालय की सिफारिशों को चुनौती दी है । रिकार्ड से यह पता चलता है कि उसमें उठाए गए मुद्दों का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गई रिट याचिकाओं में विरोध किया गया था और इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी कुछ निदेश दिए गए हैं । मामले को इस नजरिए से देखते हुए, आयोग द्वारा इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा । तदनुसार, इस याचिका का निपटारा किया जाता है ।

2010 का मामला संख्या 2068

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने हेतु राज्य को निदेश देने के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : 1. जनता पॉलिटेक्निक

2. जी.बी.एस. एजुकेशन सोसाइटी, थाना छप्पर रोड, ग्रा. व डाकघर मुस्तफाबाद, तहसीलः जगाधरी, जिलाः यमुनानगर, हरियाणा ।

प्रतिवादी : 1. प्रधान सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सिविल मिनी सचिवालय, सेक्टर 17, बस स्टैंड के नजदीक, चण्डीगढ़ ।

2. महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, बेज 7-12, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा ।

3. सदस्य-सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (आ.भा.त.शि.प.), सातवां तल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली ।

याचिका सं. 2 जी.बी.एस. एजुकेशन सोसाइटी मुस्तफाबाद, जिलाः यमुनानगर सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसाइटी है । दिनांक 8.12.2008 को याचिकाकर्ता सं. 2 को उच्चतर शिक्षा आयुक्त हरियाणा सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया था । याचिकाकर्ता ने डिप्लोमा इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में अनुदेश देने के लिए मुस्तफाबाद, जिलाः यमुनानगर (हरियाणा) में जनता पॉलिटेक्निक की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए दिनांक 28.12.2009 को प्रतिवादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 2 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । याचिकाकर्ता सं.1 के पास प्रतिवादी परिषद अर्थात् अ.भा.त.शि.प. द्वारा निर्धारित सन्नियमों के अनुसार सभी आधारभूत एवं अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं । हरियाणा सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति ने इसकी दिनांक 28.1.2010 को आयोजित हुई बैठक में इस प्रस्ताव को लौटा दिया । याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी परिषद द्वारा निर्धारित संशोधित सन्नियमों के अनुसार शैक्षणिक सत्र-2010-11 के लिए सभी विवरण देते हुए दिनांक 20.3.2010 के पत्र के अंतर्गत एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए अनुस्मारक के अनुसरण में प्रतिवादी सं. 2 से दिनांक 26.8.2010 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता से दिनांक 31.8.2010 को होने वाली संवीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित होने एवं सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी । तदनुसार, याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हुए और कुछ छोटी-मोटी कमियां उक्त समिति द्वारा उजागर की गईं जिन्हें तदनुपरांत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 13.9.2010 को दूर कर दिया गया । उसके पश्चात् याचिकाकर्ता को दिनांक 24.9.2010 को एक अन्य पत्र. 6649 प्राप्त हुआ जिसमें प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उजागर की गई कमियों को बताया गया था । उसके पश्चात् याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं. 2 को सूचित किया कि दिनांक 27.9.2010 के पत्र के अंतर्गत सभी कमियों को दूर कर लिया गया है । यह अभिकथित है कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस आवेदन को दाखिल करने के 90 दिन के भीतर प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा जारी नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता यह घोषित करने के लिए कि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता संस्था को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया मान लिया है रा.अ.शै. सं. आयोग अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (3) के उपबंधो का अवलम्ब लेने का हकदार है ।

प्रतिवादी सं. 2 ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया है कि प्रतिवादी परिषद ने अनुपालन किए जाने वाले विशेष दिशा-निर्देशों के साथ राज्य स्तरीय समिति को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अपनी अनुमोदित शक्तियां प्रत्यायोजित की थी । तद्नुसार, सत्र 2010-11 के लिए प्रतिवादी सं. 2 द्वारा याचिकाकर्ता के प्रस्ताव सहित कुछ प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे और प्रतिवादी परिषद द्वारा उनके लिए निर्धारित सन्नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई की गई । संवीक्षा समिति द्वारा याचिकाकर्ता के प्रस्ताव में कमी पाई गई और इसमें सुधार हेतु इसके बारे में याचिकाकर्ता को सूचित किया गया । याचिकाकर्ता द्वारा कमियों को ठीक कर देने के पश्चात् यह प्रस्ताव दिनांक 26.11.2010 को आयोजित हुई संवीक्षा समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इस आशय का पत्र जारी करने हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा संवीक्षा समिति के अंतिम निर्णय पर विचार किया गया ।

प्रतिवादी अ.भा.त.शि.प. ने अपने उत्तर में कहा है कि इसने डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए प्रणाली को विकेंद्रीकृत कर दिया था और कतिपयों शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं । तथापि, प्रतिवादी परिषद ने दिनांक 20.9.2010 को हुई अपनी बैठक में उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया और परिषद ने दिनांक 24.11.2010 को हुई बैठक में राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों को वापिस लेने का निर्णय लिया । तद्नुसार, प्रतिवादी अ.भा.त.शि.प. ने दिनांक 23.1.2011 के पत्र के अंतर्गत राज्य सरकारों को इंजीनियरी एवं प्रोद्यौगिकी, फार्मेसी, होटल प्रबंधन एवं भोजन-प्रबंध प्रोद्यौगिकी, वास्तुकला, एप्लाइड आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट तथा चिकित्सा प्रयोगशाला प्रोद्यौगिकी में डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को सौंपी गई शक्तियों को वापिस लेने के बारे में सूचित किया है । प्रतिवादी परिषद ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि हरियाणा सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें दिनांक 23.8.2010 और 26.11.2010 को हुई संवीक्षा के अनुसार इस आशय का पत्र जारी करने के लिए जनता पॉलिटेक्निक के प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी । तथापि, क्षेत्रीय कार्यालय ने इस आशय का पत्र जारी नहीं किया था क्योंकि प्रतिवादी परिषद ने डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियां वापिस ले ली थीं ।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान में रखते हुए विचारार्थ मुद्दा यह है किः क्या इस आशय का पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिशों पर कार्रवाई न करने की प्रतिवादी परिषद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है

संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसंद' की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसके संचालन का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे औचित्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था को चलाने की सुरक्षा प्रदान करना है । इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिषेध के माध्यम और लागू करने के वचन से सुरक्षित किया गया है । प्रतिषेध अनुच्छेद 13 में समाहित है जो राज्य को ऐसे किसी भी कानून या नियम बनाने से रोकता है जो संविधान के अध्याय-III के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संकुचित करते हैं या इससे असंगत किसी कानून, नियम या विनियम को वीटों की धमकी देते हैं ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद

की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में सामान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊमर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "विचारार्थ अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है। यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।
>
> सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।"

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य ऊपर मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> ".....अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :
>
> (iv) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसन्द के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं

का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

ये विवाद से परे है कि दिनांक 26.2.2002 के पत्र द्वारा प्रतिवादी परिषद ने राज्य सरकारों के सभी सचिवों को निम्नलिखित पत्र भेजा थाः

उपर्युक्त संदर्भित विषय पर यह हमारे दिनांक 27 मार्च, 2001 के पत्र सं. 711-005/ जीडीआईपी/ईटी/2001 के पूर्व पत्र के अनुक्रम में है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु इंजीनियरी एवं प्रोद्यौगिकी, फार्मेसी, होटल प्रबंध एवं भोजन प्रबंध प्रोद्यौगिकी, वास्तुकला, एप्लाइड आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स तथा चिकित्सा प्रयोगशाला प्रोद्यौगिकी में डिप्लोमा स्तर संबंधी अनुमोदन की प्रक्रिया को आगे विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया है

1. नए संस्थानों की स्थापना;
2. वर्तमान संस्थाओं की प्रवेश देने की क्षमताओं में परिवर्तन;
3. वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम आरंभ करना ;
4. वर्तमान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों/प्रवेश देने की क्षमताओं को पुनः समायोजित करना;
5. शैक्षिक वर्ष 2002-03 के लिए वर्तमान संस्थाओं के अनुमोदन में विस्तार ।

उक्त निर्णय के अनुपालन में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दिशा-निर्देश तैयार किए हुए हैं और उसकी प्रति इसके साथ संलग्न है । यह अनुरोध है कि इन दिशा-निर्देशों, आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए सूची एवं कार्यक्रम, सन्नियम और मानकों के आधार पर राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशें अनुमोदन/वापसी/कोई प्रवेश नहीं/ प्रवेश देने की क्षमता/पाठ्यक्रमों/प्रवेश देने की क्षमता इत्यादि में समायोजन के पत्र इस परिषद को सूचित करते हुए संबंधित अ.भा.त.शि. परिषद को भेज दिए जाएंगे ।

आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर उपर्युक्त व्यवस्था के संबंध में अपनी सहमति भेज सकते हैं जिसके अभाव में परिषद नए आवेदन तैयार करने/अनुमोदन प्रदान करने पर कार्रवाई करेगी ।

इन दिशा-निर्देशों में घोषित किसी भी बात के होते हुए भी समय-समय पर यथा संशोधित परिषद के सन्नियम एवं दिशा-निर्देश लागू होंगे । इस प्रक्रिया की समीक्षा 10 वर्ष बाद की जाएगी ।

यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी परिषद ने दिनांक 24.11.2010 को आयोजित हुई अपनी बैठक में दिनांक 26.2.2002 के पत्र सं. 711-005/जीडीआईपी/ईटी/2002 के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित उक्त शक्तियों को वापस लेने का निर्णय लिया । यह भी निर्विवाद है कि प्रतिवादी परिषद के उक्त निर्णय की सूचना राज्य सरकारों को दिनांक 23.1.2011 के पत्र के द्वारा दी गई थी । यह स्वीकार्य स्थिति भी है कि प्रतिवादी परिषद द्वारा राज्य सरकारों की प्रत्यायोजित शक्तियों को वापस लेने से संबंधित दिनांक 23.1.2011 के आदेश की सूचना से पूर्व जनता पॉलिटेक्निक के नाम एवं पदवी के अंतर्गत प्रस्तावित पॉलिटेक्निक की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता को इस आशय का पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकारों की सिफारिशें प्राप्त हुई थीं । प्रतिवादी परिषद की तरफ से यह प्रतिवादित है कि चूंकि प्रतिवादी परिषद ने अपनी दिनांक 24.11.2010 को हुई अपनी बैठक में राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियों को वापस लेने का निर्णय लिया था, राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को इस आशय का पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव संस्तुत करने की शक्ति नहीं थी । हमारे विचार में प्रतिवादी परिषद के विद्वान वकील की उक्त दलील का कोई आधार नहीं है । यह विवादरहित है कि राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियों को वापस लेने संबंधी आदेश की सूचना दिनांक 23.1.2011 के पत्र के अंतर्गत दी गई थी । ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सिफारिशें प्रतिवादी परिषद के कार्यालय में दिनांक 23.1.2011 के आदेश की सूचना से बहुत पहले प्राप्त हो गई थीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा एआई आर 1951 एससी 467 मामले में निर्णय दिया गया है कि "प्राकृतिक न्याय अपेक्षा करता है कि किसी भी कानून के लागू होने से पूर्व, यह प्रख्यापित अथवा प्रकाशित किया जाए । इसे कुछ अभिज्ञेय तरीके से प्रसारित किया जाए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि यह क्या है अथवा कम से कम ऐसा कुछ विशेष नियम अथवा विनियम अथवा प्रचलित माध्यम हो जिसके माध्यम से अधिकतम ज्ञान पर्याप्त परिश्रम का प्रयोग करते हुए प्राप्त किया जा सके ।"

यह अब सुस्थापित है कि प्रत्यायोजित शक्तियां वापस लेने संबंधी प्रतिवादी परिषद का दिनांक 24.11.2010 का आदेश इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों को वापस लेने संबंधी उक्त आदेश पूर्व में प्रकाशित नहीं किया गया था और कोई भी आदेश तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक कि इसके बारे में सभी को जानकारी न हो । उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एमआर मंडल एआईआर 2001 एससी 347 में निर्णय दिया है कि संबंधित व्यक्ति को सूचित किए बिना पारित कोई आदेश किंन्तु जिसे फाइल में रखा हुआ है का कानून में कोई भी प्राधिकार अथवा वैध अस्तित्व नहीं है । (महाराष्ट्र राज्य अथवा मेयर हंस जॉर्ज ए आई आर 1965 एससी 722 भी देखें)। उच्चतम न्यायालय के ऊपर उदृत निर्णयों पर भरोसा करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और यह निर्णय देते हैं कि राज्य सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियां वापस लेने संबंधी प्रतिवादी परिषद का दिनांक 24.11.2010 का आदेश दिनांक 23.1.2011 के आदेश के अंतर्गत राज्य सरकार को इसकी सूचना देने से पूर्व लागू नहीं हो सकता है । चूंकि प्रतिवादी परिषद को याचिकाकर्ता को इस आशय का पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिशें दिनांक 23.1.2011 के आदेश की सूचना दिए जाने से पूर्व प्राप्त हो गई थीं, प्रतिवादी परिषद उक्त सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य थी । वास्तव में, राज्य सरकार ने प्रस्तावित पॉलिटेक्निक की स्थापना करने के लिए याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया था। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी परिषद राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र पर कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी । याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सिफारिशों पर कार्रवाई न करने की प्रतिवादी परिषद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

पूर्वोक्त कारणों से हम प्रतिवादी परिषद को मुस्तफाबाद जिला यमुनानगर, हरियाणा में प्रस्तावित जनता पॉलिटेक्निक की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर कार्रवाई करने की सिफारिश करते हैं ।

2010 का मामला संख्या 1356

राजकीय उर्दू माध्यम विद्यालय में उर्दू भाषा के जानकार प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों की तैनाती हेतु राज्य को निदेश देने के लिए याचिका ।

याचिकाकर्ता : अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू (आ.प्र.)IV 258 एवेन्यू रोड मदनपाल्ले, जिला-चित्तूर, आंध्र प्रदेश-517325 ।

प्रतिवादी : 1. सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, कमरा सं. 312, जे ब्लाक सचिवालय भवन, हैदराबाद-500022

2. सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वां तल पर्यावरण भवन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर नई दिल्ली-110 003

3. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, विद्यालय शिक्षा, कडापा, आंध्र प्रदेश ।

4. अध्यक्ष, मदनपाल्ले नगर पालिका, मदनपाल्ले, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश ।

5. निदेशक, विद्यालय शिक्षा, आंध्र प्रदेश सरकार टेलीफोन भवन के पास, सैफाबाद, हैदराबाद ।

इस याचिका द्वारा अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू के अध्यक्ष ने राजकीय उर्दू माध्यम विद्यालयों में उर्दू भाषा के जानकार प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों की तैनाती को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को निदेश देने की मांग की है, याचिकाकर्ता ने उर्दू माध्यम विद्यालयों में उर्दू के जानकार प्रधानाध्यापकों/ शिक्षकों की तैनाती के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों को उद्धरित किया है । उनके अनुसार, दिनांक 2.12.1971 का जी.ओ.एम.एस. 1800-शिक्षा यह आदेश देता है कि उर्दू माध्यम संस्थाओं में प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों सहित शिक्षकों की भर्ती के लिए, उन्हें उर्दू भाषा में अवश्य प्रवीण होना चाहिए । दिनांक 19.3.1980 का आदेश संख्या 654/स्था.IX /80-1 भी उक्त टिप्पणी को दोहराता है । आयुक्त तथा निदेशक, विद्यालय शिक्षा की दिनांक 19.2.2001 की उनकी आर.सी.संख्या 173/यूसी-2/2000 के द्वारा कार्यवाही में भी इस प्रकार के निर्देश हैं । इसके अतिरिक्त, दिनांक 19.1.2009 की आर.सी.संख्या 173/यूसी-2/2000 के तहत निदेशक विद्यालय शिक्षा की कार्यवाही, उर्दू अकादमी, हैदराबाद से दिनांक 28.1.2009 के पत्र सं. 54-सी/यूएएवी/2008-09 और शिक्षा/सेवा-II विभाग के जी ओ एमएस 183 के तहत पठित दिनांक 23.1.2009 के जीओएमएस सं.12 को पूर्वोक्त प्रतिविरोधों के समर्थन में उद्धृत किया गया है ।

यह अभिकथित है कि उक्त उद्धृत आदेशों के बावजूद, उर्दू माध्यम वाले विद्यालयों में किसी उर्दू के जानकार प्रधानाध्यापक/शिक्षक को तैनात नहीं किया गया है, जो कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी पूर्वोल्लिखित आदेशों का उल्लंघन है ।

मदनपाल्ले नगर पालिका के आयुक्त ने उत्तर में शाहजहाँ का मामला उद्धृत किया है, जो कि प्रधानाध्यापक के पद के लिए पदोन्नति हेतु उम्मीदवारों में से एक है तथा उसने आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष याचिका दायर की है । उसने जी ओ परिपत्रों तथा मदनपाल्ले नगर पालिका, जिसने एक उर्दू माध्यम विद्यालय में तेलूगू की जानकार प्रधानाध्यापिका को तैनात किया है, की कार्यवाही को चुनौती देते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका भी दायर की है ।

सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानाध्यापक के रूप में शिक्षक की पदोन्नति की कार्यप्रणाली का उल्लेख किया है । उन्होंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि आंध्र प्रदेश अधिकरण, हैदराबाद द्वारा जारी कतिपय आदेशों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रतिविरोध स्वीकृति योग्य नहीं है ।

किसी भी विद्यालय के लिए प्रधानाध्यापक का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है, संस्था उनके मार्ग दर्शन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती है । विद्यालय की परम्पराओं की निरन्तरता, अनुशासन का अनुपालन तथा इसके शिक्षण की कुशलता प्रधानाध्यापक पर निर्भर करती है । शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन और प्रशासन में प्रधानाध्यापक की मुख्य भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उर्दू माध्यम वाले विद्यालय का प्रधानाध्यापक उर्दू भाषा में प्रवीण होना चाहिए । याचिकाकर्ता ने कुछ प्रधानाध्यापकों के विशेष उदाहरणों को उद्धरित किया है, जिन्हें उर्दू माध्यम वाले विद्यालयों में तैनात किया है लेकिन उन्हें उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं है ।

पूर्वोक्त कारणों से आयोग राज्य सरकार को इस बात की सिफारिश करता है कि शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन और प्रशासन में प्रधानाध्यापक की मुख्य भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार, पंचायत राज विभाग के दिनांक 19.03.1980 के ज्ञापन संख्या 654/स्था.IX/80-1 के साथ पठित दिनांक 2.12.1971 के जी.ओ.एम.एस.1800-शिक्षा, दिनांक 23.1.2009 के जी ओ एम एस सं.12, दिनांक 19.2.2001 की आर सी संख्या 173/यूसी-2/2000 के तहत आयुक्त तथा निदेशक, विद्यालय शिक्षा की कार्यवाही तथा दिनांक 19.1.2009 की आर सी संख्या 173सी/यूसी-2/2000 के तहत निदेशक, विद्यालय शिक्षा की कार्यवाही द्वारा अपेक्षित है, किसी उर्दू माध्यम वाले विद्यालय में तैनात किए जाने वाला प्रधानाध्यापक अनिवार्य रूप से उर्दू भाषा में प्रवीण होना चाहिए ।

2008 का मामला संख्या 727,728,729,730

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए याचिका

2008 का मामला संख्या 727

याचिकाकर्ता	:	श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज, नॉर्थ केम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
प्रतिवादी	: 1.	सहायक शिक्षा निदेशक (एक्ट), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा न. 214ए पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
	2.	दिल्ली विश्वविद्यालय, कुल-सचिव के माध्यम से
दस्तंदाज	: 1.	श्री एन.एस.कपूर, के यू-6, पीतमपुरा दिल्ली-110 088
	2.	श्री सैकत घोष, दूसरा तल एनेक्सी, 18 बनारसी दास इस्टेट, तिमारपुर, दिल्ली-54
	3.	डॉ. वीणा अग्रवाल, रीडर, हिन्दी विभाग, श्री गुरू तेग बहादुर खालस कॉलेज

2008 का मामला संख्या 728

याचिकाकर्ता	:	**श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ।**
प्रतिवादी	: 1.	सहायक शिक्षा निदेशक (एक्ट), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा न. 214ए पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
	2.	दिल्ली विश्वविद्यालय, कुल-सचिव के माध्यम से
दस्तंदाज	: 1.	श्री एन.एस.कपूर, के यू-6, पीतमपुरा, दिल्ली-110 088
	2.	श्री सैकत घोष, दूसरा तल एनेक्सी, 18 बनारसी दास इस्टेट, तिमारपुर, दिल्ली-54
	3.	डॉ. वीणा अग्रवाल, रीडर, हिन्दी विभाग, श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज

2008 का मामला संख्या 729

याचिकाकर्ता	:	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज, देव नगर, दिल्ली ।
प्रतिवादी	: 1.	सहायक शिक्षा निदेशक (एक्ट), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा न. 214ए पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
	2.	दिल्ली विश्वविद्यालय, कुल-सचिव के माध्यम से
दस्तंदाज	: 1.	श्री एन.एस.कपूर, के यू-6, पीतमपुरा दिल्ली-110 088
	2.	श्री सैकत घोष, दूसरा तल एनेक्सी, 18 बनारसी दास इस्टेट, तिमारपुर, दिल्ली-54
	3.	डॉ. वीणा अग्रवाल, रीडर, हिन्दी विभाग, श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज

2008 का मामला संख्या 730

याचिकाकर्ता	:	माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन, माता सुंदरी लेन, नई दिल्ली-110002 ।
प्रतिवादी	: 1.	सहायक शिक्षा निदेशक (एक्ट), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा न. 214ए पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
	2.	दिल्ली विश्वविद्यालय, कुल-सचिव के माध्यम से
दस्तंदाज	: 1.	श्री एन.एस.कपूर, के यू-6, पीतमपुरा दिल्ली-110 088
	2.	श्री सैकत घोष, दूसरा तल एनेक्सी, 18 बनारसी दास इस्टेट, तिमारपुर, दिल्ली-54
	3.	डॉ. वीणा अग्रवाल, रीडर, हिन्दी विभाग, श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज

दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (संक्षिप्त रूप में दि सि गु प्र स) ने श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री गुरू नानक देव पी.जी.कॉलेज, श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स तथा माता सुन्दरी कॉलेज फॉर वूमेन के साथ मिलकर इस घोषणा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में संयुक्त रूप से रिट याचिका (सी) सं. 2008 का 4584 (दि सि गु प्र स तथा अन्य बनाम् भारत संघ तथा अन्य) दायर की थी कि पूर्वोक्त चार महाविद्यालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम (संक्षिप्त रूप में अधिनियम) की धारा 2(छ) तथा केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 2(च) के अर्थ के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं हैं और इस प्रकार प्रवेश में आरक्षण की केन्द्रीय सरकार की आरक्षण नीति को इन संस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता । यह निदेश देने की भी मांग की गई है कि प्रतिवादियों अर्थात भारत संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को

पूर्वोक्त शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती और/अथवा प्रवेश की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए । रिट याचिका के साथ-साथ, एक प्रार्थनापत्र भी दायर किया गया था जिसमें प्रवेशों में आरक्षण की नीति का पालन करने के लिए पूर्वोक्त महाविद्यालयों को निदेश दे रहे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिनांक 18.6.2008 के पत्र के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई थी ।

दिनांक 25.7.2008 के आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायधीश ने उक्त महाविद्यालयों द्वारा दायर स्थगन प्रार्थनापत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में उनके दर्जे के संबंध में, वे प्रथम दृष्टया मामले का पता लगाने में असफल रहे और इस प्रकार वे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 के उपबंधों के अनुसार प्रवेशों में आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के लिए आबद्ध हैं । तथापि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में उनके दर्जे की घोषणा हेतु इन महाविद्यालयों को समुचित न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी । फलस्वरूप, याचिकाकर्ताओं ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में अपने दर्जे की घोषणा के लिए याचिकाएं दायर की थी । इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एलपीए सं. 472/2008 भी दायर की । दिनांक 1.12.2008 के आदेश द्वारा, एल पी ए का निम्नलिखित आदेश द्वारा निपटान किया गयाः

आदेश

1.12.2008

पक्षकारों के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान वकील ने हमें सूचित किया है कि अपीलार्थी संख्या 2 से 5 ने अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा की मांग करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (इसमें इसके पश्चात रा.अ.शै.सं. आ के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के समक्ष पहले ही याचिकाएं दायर कर दी हैं । प्रबंधक, सेंट थॉमस यू.पी. विद्यालय केरल तथा अन्य बनाम् आयुक्त तथा सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग (2002)2 एससीसी 497 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 11(च) के निबंधनों के अनुसार उस अवधारण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग सक्षम न्यायालय है । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों के बारे में निर्णय यथा संभव शीघ्र ही और अधिमानतः आज से तीन माह की अवधि के भीतर किया जाए । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थना पत्रों के बारे में निर्णय करते समय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विद्वान एकल न्यायधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा जो कि उन्होंने अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनापत्र के बारे में निर्णय करते समय अपने आदेश में की थी, जो कि अनंतिम तथा प्रथम-दृष्टया टिप्पणियां हैं । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2008 को प्रदान की गई अंतरिम राहत, रिट याचिका की विचाराधीनता के दौरान जारी रखने के लिए थी । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के निर्णय के पश्चात, अंतरिम राहत को रद्द/परिवर्तन करने के लिए विद्वान एकल न्यायधीश के समक्ष आवेदन करने हेतु पक्षकारों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने बताया है कि वह अपील पर बल देना नहीं चाहता है ।

उपरोक्त निदेशों के साथ अपील का निपटारा किया जाता है क्योंकि अपील पर बल नहीं दिया गया है ।

मुख्य न्यायमूर्ति

दिसम्बर 01, 2008 **एस.मुरलीधर, जे**

याचिकाकर्ता महाविद्यालयों ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने हेतु आवेदन किया है कि उन्हें सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है तथा उनका संचालन दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किया जा रहा है, जो कि दिल्ली में सिख गुरूद्वारों तथा गुरूद्वारा सम्पत्ति के यथोचित प्रबन्धन के लिए दिल्ली सिख गुरूद्वारा अधिनियम 1971 के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय है । चूंकि इन सभी मामलों में विधि और तथ्यों का सामान्य प्रश्न शामिल है, अतः इन्हें सुनवाई के लिए एक साथ लिया गया था तथा इस समान आदेश द्वारा इनका निपटान किया जा रहा है ।

नोटिस तामील कराने के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कार्यवाही का प्रतिवाद नहीं किया । दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस आधार पर याचिकाओं का प्रतिरोध किया कि इन महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें सिख समुदाय के लाभ के लिए स्थापित नहीं किया गया था । इन महाविद्यालयों ने सिख समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को कभी भी कोई विशेष लाभ अथवा आरक्षण नहीं दिया । यह अभिकथित है कि ये महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922 के उपबंधों का अनुसरण कर रहे हैं तथा प्रवेशों से संबंधित सभी मामलों में विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है । अकादमिक परिषद ने सिख समुदाय के विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार की छूट दिए जाने का अनुमोदन नहीं किया था । 2009-10 की विवरण पत्रिका में, श्री गुरू तेग बहादुर, खालसा कॉलेज ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य जुटाने के लिए दुर्भावपूर्ण नीयत से सिख समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए कुछ छूट प्रकाशित की थी । सूचना का अधिकार के अंतर्गत महाविद्यालय द्वारा दी गई दिनांक 12/24 अक्तूबर 2008 की सूचना का सहारा लिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक प्रवेश, जाति और धर्ममत के किसी भेदभाव के बिना तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अधीन महाविद्यालय द्वारा घोषित कट ऑफ सूचियों के अनुसार महाविद्यालय की प्रवेश परिषद् द्वारा किया गया है

मामलों की विचाराधीनता के दौरान, दस्तंदाजों सर्व श्री एन.एस. कपूर, श्री सैकत घोष तथा डा. वीणा अग्रवाल को मामला संख्या 727/2008 (श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज बनाम् दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य) की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई । श्री एन.एस.कपूर, श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं । श्री सैकत घोष तथा डा. वीणा अग्रवाल उक्त महाविद्यालय के शिक्षक हैं । यह अभिकथित है कि श्री एन.एस. कपूर सिख समुदाय के सदस्य हैं तथा वह वर्ष 1976-77 के दौरान श्री गुरूतेग बहादुर खालसा कॉलेज की शासी निकाय के सदस्य भी थे । श्री एन.एस. कपूर और श्री सैकत घोष ने क्रमशः रिट याचिका (सी) सं. 15788/2006 और 8568/2008 दायर की थी तथा उनका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2008 और 3.12.2008 के आदेशों के तहत यह निर्णय देते हुए निपटारा किया गया था कि एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में उसके दर्जे की घोषणा करने से पहले, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में एक संस्था के संस्थापक (संस्थापकों) की नीयत के प्रश्न का अध्ययन किया जाए । दस्तंदाजों के अनुसार, श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में परिकल्पना भी नहीं की गई थी क्योंकि इसकी स्थापना पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए की गई थी। यह अभिकथित है कि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, जिसने उक्त महाविद्यालय की स्थापना की थी, इसके अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में अथवा महाविद्यालय को दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति को सौंपने के बारे में कोई संकल्प पारित नहीं किया था और इस प्रकार दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के पास उक्त महाविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने के बारे में सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है । यह भी अभिकथित है कि महाविद्यालय के प्रबंधन ने इसके अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने के उनके अधिकार

का परित्याग कर दिया था, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सी.डब्ल्यू.पी.सं. 1493/73 और सी. डब्ल्यू पी. सं. 491/75 से संबंधित घटनाओं द्वारा साक्ष्यित है तथा यह महाविद्यालय के गैर-अल्पसंख्यक दर्जे को जारी रखने की उनकी अभिलाषा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है । यह भी अभिकथित है कि यह सिद्ध करने के लिए लिखित में कोई तर्कपूर्ण और स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि महाविद्यालय के हिताधिकारी सिख समुदाय के सदस्य हैं । डा.वीणा अग्रवाल, रीडर, हिन्दी विभाग, श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज तीसरी दस्तंदाज हैं । उन्होंने याचिकाकर्ता का इस आधार पर प्रतिरोध किया कि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियमों अध्यादेशों, विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का पालन करने के बारे में एक बिना शर्त वचनपत्र दिया था । इन महाविद्यालयों के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्रों की प्राप्ति द्वारा, दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंधों, उसके परिनियमों तथा अध्यादेशों से छूट चाहता है जो कि अन्यथा याचिकाकर्ता महाविद्यालयों के लिए आबद्धकर हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी द्वारा की गई थी । सोसाइटी में वह व्यक्ति शामिल थे जो सिख नहीं थे तथा यह तथ्य अपने आप इसके धर्म निरपेक्ष स्वरूप को दर्शाता है । यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने से, शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति और सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अंतर्गत आते हैं ।

निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गई तथा हमारे निष्कर्षों को, इसके नीचे दिए गए कारणों से प्रत्येक के सामने अभिलिखित किया गया है :-

1. क्या याचिकाकर्ता महाविद्यालयों को सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है ?
2. क्या याचिकाकर्ता महाविद्यालयों का सिख समुदाय द्वारा संचालन किया जा रहा है ?
3. क्या याचिकाकर्ता महाविद्यालयों के हिताधिकारी सिख समुदाय के सदस्य हैं ?

विवाद्यक संख्या 1 और 2 :

चूंकि दोनों विवाद्यक आपस में जुड़े हैं अतः मामले के तथ्यपरक मैट्रिक्स के यथोचित मूल्यांकन के लिए इन्हें एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है । प्रारंभ में, हमें यह अवश्य स्पष्ट कर लेना चाहिए कि यह एक स्वीकार की गई स्थिति है कि दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना दिल्ली सिख गुरूद्वारा अधिनियम (संक्षिप्त रूप में दि.सि.गु. अधिनियम) की धारा 3 के अंतर्गत की गई है । दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति, दिल्ली में स्थित सिख गुरूद्वारों और उनकी सम्पत्तियों के यथोचित प्रबंधन के लिए स्थापित सिख समुदाय की सर्वोच्च धार्मिक निकाय है । दिल्ली सिख गुरूद्वारा अधिनियम की धारा 24, जो कि दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति की शक्तियों और कार्यों को विहित करती है, निम्नानुसार है :-

समिति की शक्तियां और कार्य

24. इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, दिल्ली में सभी गुरूद्वारों तथा गुरूद्वारों की सम्पत्ति पर नियंत्रण, निदेशन और सामान्य अधीक्षण, समिति में निहित होगा तथा समिति का यह कर्तव्य होगा-

(i) गुरूद्वारों में धार्मिक अनुष्ठानों तथा समारोहों के यथोचित निष्पादन के लिए व्यवस्था करना ।

(ii) गुरूद्वारों में श्रद्धालुओं द्वारा उपासना करने के लिए सुविधाएं मुहैआ करना ।

(iii) इसकी निधियों, चल तथा अचल सम्पत्तियों, जमा राशियों नकद या वस्तु के रूप में चढ़ावे की संरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करना ।

(iv) ऐसे सभी कार्य करना, जो कि समिति के अधीन गुरूद्वारों, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाओं तथा उनकी सम्पत्तियों के कार्य कलापों के दक्ष प्रबंधन अथवा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आनुषंगिक या सहायक हो ।

(v) तीर्थ यात्रियों के लिए उपयुक्त आवास तथा सुविधाएं मुहैआ करना।

(vi) निःशुल्क लंगरों का खर्च देना ।

(vii) ऐतिहासिक तथा अन्य गुरूद्वारों, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाओं तथा उनकी सम्पत्तियों का ऐसे तरीके से प्रबंध करना, ताकि उन्हें सिख परम्परा, संस्कृति और धर्म का प्रेरक केन्द्र बनाया जा सके ।

(viii) अपने प्रबन्धन के अधीन गुरूद्वारों, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाओं में व्यवस्था, अनुशासन तथा समुचित स्वास्थ्य कर परिस्थितियों के रखरखाव को सुनिश्चित करना ।

(ix) निःशुल्क औषधालयों को खोलना ।

(x) शिक्षा, विशेषतः गुरूमुखी लिपि में पंजाबी के ज्ञान का प्रसार करना ।

(xi) शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान केन्द्रों और पुस्तकालयों की स्थापना करना।

(xii) धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं, सोसाइटी और जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

(xiii) गरीब तथा सुपात्र विद्यार्थियों को वज़ीफा देना ।

(xiv) सिख समुदाय के उन्नयन और सिख धर्म के प्रवर्धन के मामले में सहायता प्रदान करना।

(xv) ऐसे अन्य कार्य का निष्पादन करना तथा ऐसे धार्मिक अथवा परमार्थ कार्यों को करना जो इस अधिनियम के प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया हो ।

धारा 24 के पाठन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति की शक्तियों में ऐसे सभी कार्यों को करने की शक्ति भी निहित है जो कि समिति के प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन, गुरूद्वारों, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाओं और उनकी सम्पत्तियों के कार्यकलापों के दक्ष प्रबंधन के लिए आनुषंगिक या सहायक हो । यह दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति को शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि की स्थापना करने तथा धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं, सोसाइटियों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की शक्ति भी देती है ।

श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली

यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय की सन् 1951 में स्थापना की गई थी । याचिकाकर्ता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सरदार जसविन्दर सिंह ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि सन् 1945 से पूर्व, दिल्ली में गुरूद्वारों का प्रबंधन, सिख गुरूद्वारा अधिनियम,1925 के अधीन गठित शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर के मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जा रहा था । उक्त समिति ने पंजाब और दिल्ली में सभी गुरूद्वारों के प्रबंधन और नियंत्रण को अपने अधिकार में लेने के लिए एक अभियान शुरू किया । अन्ततः, सन् 1945 में दिल्ली राज्य के लिए एक पृथक गुरूद्वारा समिति गठित की गई तथा इसे सोसाइटी

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया । उक्त सोसाइटी के उद्देश्यों में से एक दिल्ली के सिख समुदाय के बीच शिक्षा का प्रसार करना था । सरदार जसविन्दर सिंह ने अपने शपथपत्र में यह उल्लेख भी किया है कि उन सिखों के शैक्षणिक प्रोफाइल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जिन्हें पश्चिम पंजाब (पाकिस्तान) से बेघर किया गया था, और दिल्ली में बसाया गया था, सन् 1951 में गुरूद्वारा समिति दिल्ली द्वारा याचिकाकर्ता महाविद्यालय की स्थापना की गई थी । सरदार जसविन्दर सिंह के साक्ष्य का खंडन करने के लिए, लिखित में रत्ती भर साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि दर्शाने या इंगित करने के लिए लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालयों की सिख समुदाय द्वारा स्थापना नहीं की गई थी ।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय के उप-कुल सचिव श्री दीपक वत्स ने खण्डन में अपना शपथ पत्र दायर किया है । उन्होंने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय की स्थापना एक सोसाइटी अर्थात श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज नई दिल्ली द्वारा की गई थी । श्री दीपक वत्स के शपथपत्र के समर्थन में उक्त सोसाइटी के संगम ज्ञापन की फोटो प्रति दायर की गई है । उक्त सोसाइटी का संगम ज्ञापन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसका गठन सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया था । मौजूदा मामले में, इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि क्या याचिकाकर्ता महाविद्यालय की स्थापना गुरूद्वारा समिति दिल्ली द्वारा अथवा श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज सोसाइटी द्वारा की गई थी । किसी भी स्थिति में केवल एक निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय की सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापना की गई थी । यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय के परिसर के भीतर एक गुरूद्वारा है तथा दिल्ली सिख गुरूद्वारा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित समिति दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है । यहां यह कहना अनावश्यक है कि उक्त समिति के सभी सदस्य सिख समुदाय से हैं । इस प्रकार, सरदार जसविन्दर सिंह के शपथपत्र को पारिस्थितिक साक्ष्य से भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है । सरदार जसविन्दर सिंह के शपथपत्र पर विश्वास रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और निर्णय देते हैं कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था तथा इसका उसी समुदाय द्वारा प्रबंधन भी किया जा रहा है ।

श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पीतमपुरा

महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सरदार जे.बी. सिंह ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि इस महाविद्यालय को दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा सन् 1984 में स्थापित किया गया था तथा इसका प्रबंधन भी उक्त समिति द्वारा किया जा रहा है। यह एक स्वीकार की गई स्थिति है कि इस महाविद्यालय के परिसर में एक गुरूद्वारा भी है । सरदार जे.बी. सिंह ने अपने शपथपत्र में यह उल्लेख भी किया है कि दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन याचिकाकर्ता महाविद्यालय का उद्देश्य श्री गुरू ग्रंथ साहेब में दी गई सिख गुरूओं की शिक्षा को निरन्तर प्रचारित करना है। उनके अनुसार महाविद्यालय में गुरूद्वारा का निर्माण किया गया है, जहां सिख समुदाय के धर्म, संस्कृति और भाषा को सुरक्षित रखने, बढ़ावा देने और परिरक्षित रखने के लिए विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जबकि इसके विरूद्ध प्रतिवादी विश्वविद्यालय के उप-कुल सचिव, श्री दीपक वत्स ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था । उक्त प्रतिविरोध के समर्थन में, उक्त सोसाइटी के संगम ज्ञापन की फोटो प्रति को प्रस्तुत किया गया है । यह निर्विवाद है कि उक्त सोसाइटी के सभी सदस्य सिख समुदाय के हैं । बहस करने के लिए यदि यह मान लिया जाता है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को उक्त सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित किया गया था, तो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था ।

यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सरदार जे.बी.सिंह ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि भूमि, जिस पर महाविद्यालय का निर्माण किया गया था, वह दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति की थी तथा पूरी परियोजना के लिए धनराशि भी उक्त समिति द्वारा मुहैआ की गई थी । उन्होंने अपने शपथपत्र में यह उल्लेख भी किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय का प्रबन्धन उक्त समिति द्वारा किया जा रहा है । श्री दीपक वत्स ने अपने शपथपत्र में इन तथ्यों का खण्डन नहीं किया है । हमारी विचारित राय में, श्री दीपक वत्स का शपथपत्र, सरदार जे.बी.सिंह के वास्तविक साक्ष्य को मात देने में अपर्याप्त है, जिसे लिखित परिस्थितिक साक्ष्य से भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है । फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और निर्णय देते हैं कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है तथा इसका प्रबंधन सिख समुदाय द्वारा किया जा रहा है ।

श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज, देव नगर, दिल्ली

महाविद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मनमोहन कौर ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को सन् 1973 में स्थापित किया गया था तथा दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है । उन्होंने यह उल्लेख भी किया है कि दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन महाविद्यालय का उद्देश्य, सिख समुदाय के धर्म संस्कृति और भाषा को निरन्तर प्रचारित करना, बढ़ावा देना और परिरक्षित करना है । विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के परिसर में एक गुरूद्वारा का निर्माण भी किया गया है । जबकि इसके विरूद्ध, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के उप-कुल सचिव, श्री दीपक वत्स ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय द्वारा कभी भी सिख समुदाय को कोई विशेष लाभ या आरक्षण नहीं दिया गया । यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि श्री दीपक वत्स ने अपने शपथ पत्र में किसी भी स्थान पर यह उल्लेख नहीं किया कि उक्त महाविद्यालय को सिख समुदाय द्वारा स्थापित नहीं किया गया था तथा इसका दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा प्रबंधन नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार, श्री दीपक वत्स का शपथपत्र, श्रीमती मनमोहन कौर के वास्तविक साक्ष्य को मात देने में पूर्णतः अपर्याप्त है, जो कि परिस्थितिक साक्ष्य से भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त करता है । परिणामस्वरूप, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और निर्णय देते हैं कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय की स्थापना सिख समुदाय द्वारा की गई थी तथा इसका प्रबंधन सिख समुदाय द्वारा किया जा रहा है ।

माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन, दिल्ली

महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डा.कवर जीत कौर ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को सन् 1967 में गुरूद्वारा प्रबंधक समिति दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया था तथा अब इसका प्रबंधन दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किया जा रहा है । उन्होंने यह उल्लेख भी किया है कि महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य श्री गुरू ग्रंथ साहेब में दी गई सिख गुरूओं की शिक्षा को निरन्तर प्रचारित करना है । विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा सिख समुदाय के धर्म, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने तथा परिरक्षित करने के लिए महाविद्यालय में एक गुरूद्वारा का निर्माण भी किया गया है । जबकि इसके विरूद्ध, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के उप-कुल सचिव श्री दीपक वत्स ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि महाविद्यालय को माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था । यह निर्विवाद है कि उक्त सोसाइटी को सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित किया गया था। बहस करने के लिए यदि यह मान लिया जाता है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को उक्त सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उक्त महाविद्यालय को सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है । जो कुछ भी हो, श्री दीपक वत्स का शपथपत्र, डा. कवर जीत

कौर के वास्तविक साक्ष्य को मात देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो कि पारिस्थितिक साक्ष्य से भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त करता है । सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम् दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) एससीसी 558 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि सेंट स्टीफन कॉलेज इस आधार पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है कि इसकी स्थापना तथा संचालन ईसाई समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया था । अतः यही वो संकेत थे जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा तय करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए थे और इन्हें अधिनियम की धारा 2(छ) में समाविष्ट भी किया गया है। यह विवाद से परे है कि सिख समुदाय को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) की यह अभिधारणा है कि धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक सदस्यों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार है । संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना ही इस मामले का प्रमाण है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही संबंधित संस्था की स्थापना की गई जो इसके संचालन का दावा भी करता है । संस्था के संचालन के अधिकार का दावा करने की पहली शर्त यही है कि संस्था की स्थापना के तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए । इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बन जाती है जो यह दावा करता है कि अमुक संस्था अल्पसंख्यक संस्था है । टी.के.वी.टी.एस.एस. मेडिकल एजुकेशनल तथा चेरिटेबल ट्रस्ट बनाम् तमिलनाडु राज्य ए आई आर 2002 मद्रास 42 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की डिविजन खंडपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया कि "यदि एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि संस्था किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित की गई और उस अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित की जाती है तो ऐसी स्थिति में यह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रत्याभूत मूल अधिकार का दावा करने के लिए पर्याप्त माना जाएगा।" आन्ध्र प्रदेश क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार ए आई आर 1986 एससी 1490 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकार, विश्वविद्यालय और अंततः न्यायालय इस दावे की जांच कर सकते हैं कि विचाराधीन संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था है तथा इस बात की "जांच पड़ताल करके अपनी संतुष्टि कर सकतें है कि किया गया दावा उचित है अथवा अनुचित ।" एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा बना रहता है चाहे सरकार इसे इस रूप में घोषित करे अथवा न करे । जब सरकार एक शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित करती है तो उस समय वह सिर्फ एक तथ्यात्मक स्थिति को मान्यता देती है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा इसकी स्थापना कर इसका संचालन किया जा रहा है । यह घोषणा उस संस्था के कानूनी स्वरूप को खुली स्वीकृति देना मात्र है जिसने ऐसी घोषणा पाने के लिए आवश्यक पूर्ववृत प्रस्तुत किए हैं (एन. अम्मद बनाम् एमजे हाई स्कूल (1998) 6 एससीसी 674) ।

अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों वाली एक सोसायटी अथवा न्यास अथवा अल्पसंख्यक समुदाय का कोई एक सदस्य भी, संस्था की स्थापना कर सकता है । इस स्थिति को केरल राज्य बनाम् मदर प्राविन्शियल ए आई आर 1970 एससी 2079 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने पाया :

> "स्थापना से तात्पर्य संस्थान को अस्तित्व में लाने से है तथा यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की जाए । इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकमात्र लोकोपकारी व्यक्ति अपने साधनों से संस्था की स्थापना करे अथवा समूचे रूप में समुदाय निधियों का अंशदान करे । **कानून भी यही कहता है परन्तु किसी भी स्थिति में उस समुदाय के किसी सदस्य द्वारा संस्था की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के आशय से ही होनी चाहिए ।** यहां यह इस अधिकार के लिए उतना ही अप्रासंगिक है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य अथवा बहुसंख्यक समुदाय तक का कोई सदस्य इन संस्थाओं का लाभ उठा सकता है ।"
>
> (बल दिया गया)

क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि "महत्वपूर्ण क्या है और अनिवार्य क्या है, से संबंधित कुछ ऐसे वास्तविक अभिसूचक होने चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्था के रूप में किसी संस्था की पहचान की जा सके ।" यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित तथा संवर्धित करके उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए ही बने हैं । संस्था तथा उस अल्पसंख्यक समुदाय विशेष के बीच आपस में संबंध होना चाहिए जिससे जुड़े होने का वह दावा करता है । किसी शैक्षणिक संस्था का संचालन करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का दावा करने का अधिकार, उस संस्था की स्थापना के प्रमाण पर निर्भर करता है ।

दस्तंदाजों की ओर से प्रतिवाद किया गया है कि श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रबंधन ने महाविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने के उनके अधिकार का परित्याग कर दिया है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सी डब्ल्यू पी 1493/73 तथा सी डब्ल्यू पी 491/75 से संबंधित घटनाओं द्वारा साक्ष्यित है तथा यह महाविद्यालय के गैर-अल्पसंख्यक दर्जे को जारी रखने की उनकी वास्तविक अभिलाषा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है । हम दस्तंदाजों की ओर से विद्वान वकील के उक्त अनुरोध का समर्थन करने में असमर्थ हैं । यह उल्लेख करना सुसगंत है कि अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य (1974)1 एससीसी 717 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि "यह संदेहपूर्ण है कि क्या अनुच्छेद 30 (1) के अधीन मौलिक अधिकार की किसी स्वैच्छिक कार्य द्वारा अदला-बदली की जा सकती है अथवा इसे अभ्यर्पित किया जा सकता है अथवा उसे अधित्यक्त किया जा सकता है । इसका कारण यह है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के अनेकत्व में इकाई के रूप में अथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि आवश्यकतः अस्थिर व्यक्तियों के समुदाय में निहित है । क्या अल्पसंख्यक समुदाय के वर्तमान सदस्य अपने भावी सदस्यों को एक इकाई के रूप में बांधने के लिए, अनुच्छेद के अधीन अधिकार की अदला-बदली अथवा उसे अभ्यर्पित कर सकते हैं? मौलिक अधिकार वर्तमान पीढ़ी के लिए हैं । धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित तथा संचालित एक शैक्षणिक संस्था की संबद्धता के स्वैच्छिक कृत्य द्वारा, समुदाय के पूर्व सदस्य, उस समुदाय के भावी सदस्यों के अधिकार का अभ्यर्पण नहीं कर सकते । समुदाय के भावी सदस्य, उत्तराधिकार अथवा विरासत द्वारा अनुच्छेद 30 (1) के अधीन अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं ।"

ओल्गा टैलिस बनाम् बम्बई नगर निगम ए आई आर 1986 एस सी 180 मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि "इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि याचिकाकताओं को प्रतिवाद के रूप में अपने मौलिक अधिकारों को जताने से विबद्ध किया गया है । संविधान के प्रति कोई विबध नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अभिवेदन करता है जिसके विश्वास पर पश्चात्कथित अपने पूर्वाग्रह के अनुसार कार्यवाही करता है तो पूर्वकथित उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन से पीछे नहीं हट सकता । उसे इसे अवश्य पूरा करना चाहिए । इस सिद्धांत का मौलिक अधिकारों के प्राख्यान अथवा प्रवर्तन के संबंध में किए गए अभिवेदनों के लिए अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता । लेकिन बृद्दउद्देश्य, जो संविधान मौलिक अधिकारों को देकर प्राप्त करना चाहता है, वह न केवल किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का है, बल्कि समुदाय के बृहत्तर हितों को सुनिश्चित करना है । कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा उसे प्रदान की गई स्वतंत्रता की अदला-बदली नहीं कर सकता । परिणामस्वरूप, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और निर्णय देते हैं कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय को सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था और इसका प्रबंधन सिख समुदाय द्वारा किया जा रहा है ।"

विवाद्यक संख्या 3 :

हमने यह निर्णय पहले ही दे दिया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालयों को सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है तथा इनका प्रबंधन सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है । प्रतिवादी विश्वविद्यालय के विद्वान वकील तथा दस्तंदाजों ने जोरदार अनुरोध किया है कि केवल वे संस्थाएं जो कि न केवल अधिसूचित

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित की गई हैं बल्कि एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की गई हैं, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत सांविधानिक संरक्षण का दावा कर सकती हैं । यह प्रतिवाद किया गया कि इनमें से किसी भी शैक्षणिक संस्था के संगम ज्ञापन और उप विधियों में यह नहीं दर्शाया गया है कि इनमें से किसी को मुख्य रूप से सिख समुदाय के विद्यार्थियों के हित के लिए स्थापित किया गया था । प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा, श्री दीपक वत्स, उप-कुल सचिव के शपथ पत्र के साथ याचिकाकर्ता महाविद्यालयों (श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज, दिल्ली को छोड़कर) के संगम ज्ञापन और उप-विधियों की प्रतियां दायर की गई हैं । प्रतिवादी विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने आगे अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के विकास और रखरखाव तथा उनके कार्य कलापों का प्रबंध, पर्यवेक्षण तथा संचालन करने के लिए स्थापित किया गया है । उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि सभी याचिकाकर्ता महाविद्यालय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहें हैं और वे प्रवेश प्रदान करने में आरक्षणों से संबंधित प्रतिवादी विश्वविद्यालय के सभी सन्नियमों और विनियमों का अनुसरण कर रहे हैं । इस आधार पर यह प्रतिवाद किया जाता है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालयों को अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ के भीतर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है ।

निस्संदेह, याचिकाकर्ता महाविद्यालय सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं । यह सुस्थापित है कि जिस समय संस्था द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है तो उस संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं हो जाता। अतः एक सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन सांविधानिक संरक्षण का दावा करने की हकदार है । (टी एम ए पाई फाउण्डेशन बनाम् कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481) तथा पी ए इनामदार बनाम् महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एस सी सी 537) । यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय प्रतिवादी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध हैं । सिर्फ तथ्य यह है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय की कुछ संविधियों को महाविद्यालयों की प्रबंधन समितियों द्वारा अपनाया गया था और वे एक परिपाटी के रूप में उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य थे जिससे उनका सांविधिक दर्जा अथवा स्वरूप में बदलाव नहीं होगा । केवल यह तथ्य याचिकाकर्ता महाविद्यालयों के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त नहीं कर सकता । वैश्य डिग्री कॉलेज बनाम् लक्ष्मी नारायण एआईआर 1976 एससी 888 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि संस्था के सांविधिक निकाय बनने से पहले इसे अवश्य ही परिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सृजित किया जाए तथा उसका अस्तित्व परिनियम के कारण होना चाहिए । यहां एक संस्था जिसे परिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सृजित नहीं किया गया है लेकिन वह संस्था के उचित रखरखाव व प्रशासन के लिए कतिपय सांविधिक उपबंधों द्वारा शासित है के बीच पृथक्करण अवश्य किया जाए । इस परिस्थिति में, हम वैश्य डिग्री कॉलेज (ऊपर) मामले में न्यायधीशों की निम्नलिखित टिप्पणियों को उपयोगी तरीके से उद्धृत कर सकते हैं :

> "ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिन्हें हालांकि किसी परिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सृजित नहीं किया गया है तथा उन्होंने कतिपय सांविधिक उपबंधों को अपनाया है, लेकिन हमारी राय में, वह अपने आप में संस्था को सांविधिक स्वरूप का आवरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुखदेव सिंह बनाम् भगत राम सरदार सिंह रघुवंशी ए आई आर 1975 एस सी 1331 मामले में पृष्ठ 1339 पर इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सांविधिक निकाय का गठन कैसे होता है। इस संबंध में माननीय न्यायाधीश ए.एन.रे., सी.जे. द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी की गईः
>
> "कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित कम्पनी को कम्पनी अधिनियम द्वारा सृजित नहीं किया जाता है, बल्कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्तित्व में आती है । यह एक सांविधिक निकाय नहीं है क्योंकि इस परिनियम द्वारा सृजित नहीं किया गया है । यह परिनियम के उपबंधों के अनुसार सृजित एक निकाय है ।"

अतः यह स्पष्ट है कि वह निकाय, जिसे परिनियम द्वारा सृजित किया गया है तथा वह निकाय जिसके अस्तित्व में आने के पश्चात् परिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे शासित किया जाता है, के बीच सुस्पष्ट भिन्नता है । अन्य शब्दों में, स्थिति ऐसी प्रतीत होती है कि संबंधित संस्था का अस्तित्व परिनियम के कारण होना चाहिए, जो कि उसकी शक्तियों का मूल स्रोत होगा । ऐसे मामलों में यह प्रश्न पूछा जाए कि यदि कोई परिनियम नहीं है तो क्या संस्था का कोई विधिक अस्तित्व होगा । यदि उत्तर नकारात्मक है तो निस्सन्देह यह एक सांविधिक निकाय है, लेकिन यदि संस्था का संबंधित परिनियम के साथ किसी संबंध के बिना स्वयं अपने आप में एक पृथक अस्तित्व है, लेकिन वह सांविधिक उपबंधों द्वारा मात्र शासित की जाती है तो उसे सांविधिक निकाय नहीं कहा जा सकता ।"

यह ध्यान में रखा जाए कि सम्बद्धता एक सुविधा है जो विश्वविद्यालय द्वारा एक शैक्षणिक संस्था को प्रदान की जाती है । विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता मात्र से ऐसी शैक्षणिक संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं हो जाता ।

याचिकाकर्ता महाविद्यालयों के हिताधिकारियों के विषय में प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने उनके तर्कों के समर्थन में श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज सोसाइटी, श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स सोसाइटी तथा माता सुंदरी कॉलेज ऑफ वूमेन सोसाइटी के संगम ज्ञापनों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि उनमें यह नहीं दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालयों के हिताधिकारी सिख समुदाय के सदस्य हैं । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि उक्त सोसाइटियों के संगम ज्ञापनों में सिख समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में किसी आरक्षण अथवा किसी विशेष लाभ का प्रावधान नहीं किया गया है । याचिकाकर्ता महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों सर्व श्री सरदार जसविन्दर सिंह, सरदार जे.बी.सिंह, श्रीमती मनमोहन कौर तथा डा. कवर जीत कौर ने अपने शपथ पत्रों में उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालयों ने, प्रवेश के मामलों में सिख समुदाय के विद्यार्थियों को निरन्तर छूट प्रदान की है तथा सिखों के धर्म संस्कृति और भाषा को सुरक्षित रखने, बढ़ावा देने और उसका संवर्धन करने के लिए, विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों के परिसर में गुरूद्वारों का निर्माण किया गया है ।

यह उल्लेख करना सुसंगत है कि एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना उसकी स्थापना के प्रयोजन में सहायक होने अथवा आगे बढ़ाने के लिए की जाती है । जबकि अल्पसंख्यकों को इन आकांक्षाओं के साथ उनकी अपनी पंसद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है कि उनके बच्चों का उचित तरीके से पालन-पोषण किया जाए, तथा वे उच्चतर शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें और ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों से सज्जित होकर संसार में बाहर जाएं जो कि उन्हें लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए योग्य बनाएगी, इस प्रकार निश्चित रूप से उनके अपने समुदाय के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल कर्तव्य को ऐसे मौलिक अधिकार में अवश्य अंतर्निहित किया जाए । अतः उनकी पंसद की शैक्षणिक संस्थाएं, अल्पसंख्यक समुदाय, जिसने संस्था की स्थापना की है, की आवश्यकताओं को अनिवार्य रूप से पूरा करेगी ।

चिक्काला सैमुअल बनाम् जिला शिक्षा अधिकारी, हैदराबाद ए आई आर 1982 ए पी 64 मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 30 (1) के लाभ का दावा करने के लिए सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा प्रदान कर रही अल्पसंख्यक संस्था को यह अवश्य दर्शाना चाहिए कि वह अल्पसंख्यक समुदाय अथवा उसके एक पर्याप्त भाग के हितों को किसी रूप में पूरा करती है अथवा बढ़ावा देती है । यह टिप्पणी की गई कि ऐसे प्रमाण के बिना संस्था तथा ऐसे समुदाय के बीच कोई अन्तर्सम्बंध नहीं होगा । इस निर्णय को सेंट स्टीफेंस मामले (ऊपर) में अनुमोदन सहित उद्धरित किया गया है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम् गुजरात राज्य 1974(1) एससीसी 717 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है :

> "कि सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा को प्रदान कर रही अल्पसंख्यक संस्था का अंतिम लक्ष्य विद्या का अभिवर्धन है । इस न्यायालय द्वारा सतत् रूप से निर्णय दिया गया है कि शिक्षा के मानकों में उत्कृष्टता तथा एकरूपता प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक तथा शैक्षिक मामलों में हर बात का विनियमन करना न केवल अनुज्ञेय है बल्कि वांछनीय भी है ।"

इस परिस्थिति में, हम सेंट स्टीफेंस मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उपयोगी तौर से उद्धृत कर सकते हैं :

> ".....धर्म निरपेक्ष स्वरूप के साथ राष्ट्र निर्माण में, सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए साम्प्रदायिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय, अलगाऊ संकाय अथवा विश्वविद्यालय अवांछनीय हैं तथा वे धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र को क्षीण कर सकते हैं । वे संविधान में सन्निहित धर्म निरपेक्षता तथा समानता की मूलधारणा के साथ असंगत होंगे । प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, चाहे वह जिस किसी भी समुदाय से संबंधित हो, हमारे राष्ट्रीय जीवन का सदैव एक क्रियाशील भाग है । अध्यापक तथा विद्यार्थी इसके महत्वपूर्ण अवयव हैं । वहां पर वे अन्य लोगों की संस्कृतियों तथा उनकी धारणाओं के प्रति सम्मान तथा सहिष्णुता विकसित करते हैं । अतः यह परमावश्यक है कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न समुदायों के विद्यार्थियों का उचित मिश्रण होना चाहिए ।"

टी.एम.ए.पाई मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि "भारत में धर्म निरपेक्षवाद का मूलतत्व अलग-अलग भाषाओं तथा विभिन्न धारणाओं वाले विभिन्न तरह के लोगों को सम्मान देना तथा उनका प्रतिरक्षण करना और उन्हें एक साथ संगठित करना है ताकि एक सम्पूर्ण तथा संगठित भारत का निर्माण हो सके । अनुच्छेद 29 तथा 30 में लोगों में विद्यमान विभिन्नताओं का परिरक्षण करने तथा साथ ही साथ एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने के लिए लोगों को संगठित करना ही लक्षित है ।"

यह उल्लेख करना सुसंगत है कि अनुच्छेद 30 (1) के अधीन अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करने का संपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिसंख्यक तथा अल्पसंख्यक के बीच समानता होगी । यदि अल्पसंख्यकों के पास ऐसा विशेष संरक्षण नहीं है तो वे समानता से वंचित कर दिए जाएंगे । अतः अनुच्छेद 30 (1) की परिधि से धर्म निरपेक्ष शिक्षा को अपवर्जित करना बिल्कुल संभव नहीं है । जहां तक अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं का संबंध है, उनके अधिकारों के परिरक्षण के मामले में संविधान में एक मुक्त, उदारवादी तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है । अनुच्छेद 30 (1) वास्तविक अभिप्राय के लिए अभीष्ट था तथा इसका ऐसे तरीके से अर्थ निकालना अनुज्ञेय नहीं है जो उस अभिप्राय को ही समाप्त कर दे । अनुच्छेद 30 (1) के अधीन अधिकारों के अर्थपूर्ण उपयोग में अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की मान्यता सम्मिलित होगी और अनिवार्य रूप से होनी भी चाहिए, जिसके बिना यह अधिकार अर्थहीन साबित होगा ।

हमारी सुविचारित राय में, अभिलिखित पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ पठित याचिकाकर्ता महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों अर्थात् सरदार जसविन्दर सिंह, सरदार जे.बी.सिंह, श्रीमती मन मोहन कौर तथा डा. कवर जीत कौर के शपथपत्र यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि याचिकाकर्ता संस्थाओं को सिख समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है तथा इनका प्रबंधन, दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, हम इन्हें अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ के भीतर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के

रूप में घोषित करते हैं । अतः यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी किए जाएं ।

2011 का मामला सं. 216

अल्पसंख्यक संस्था के शिक्षा स्नातक और बीटीसी पाठ्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए निदेश संबंधी याचिका

याचिकाकर्ता : अब्दुल अजीज अंसारी डिग्री कॉलेज, मजदीहा, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

प्रतिवादी : वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय उसके कुल सचिव के माध्यम से, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।

इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने शिक्षा स्नातक तथा बी टी सी पाठ्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु अनुमति मांगी है । याचिकाकर्ता महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.8.1998 के आदेश सं.1425/सत्तार-6/98/3(2)/93 के तहत संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित किया गया है । यह महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, उत्तर प्रदेश के साथ संबद्ध है । यह अभिकथित है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जी ओ संख्या 1310/15-11-95-3(101)/92 के अनुसार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रमों में, अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत सीटों का कोटा आरक्षित किया जा सकता है । तथापि, याचिकाकर्ता महाविद्यालय के शिक्षा स्नातक और बी टी सी पाठ्यक्रम के लिए, विश्वविद्यालय की एकल खिड़की कॉउन्सेलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर प्रतिवादी विश्वविद्यालय जोर डाल रहा है । यह अभिकथित है कि वर्ष 2006-07 में केवल 4 मुस्लिम विद्यार्थियों को महाविद्यालय के लिए उपलब्ध किया गया था, वर्ष 2007-08 में मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या केवल 3 थी और वर्ष 2008-09 में याचिकाकर्ता महाविद्यालय को प्रवेश के लिए मुस्लिम समुदाय के केवल 5 विद्यार्थी आबंटित किए गए थे । यह भी अभिकथित है कि वर्ष 2010-11 में प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा काउन्सेलिंग के माध्यम से शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के केवल 06 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है । यह भी अभिकथित है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उसके अधिकार से महाविद्यालय को वंचित करने की प्रतिवादी विश्वविद्यालय की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने इस आधार पर याचिका का प्रतिरोध किया है कि प्रवेश में कदाचारों से बचने के लिए शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु एकल खिड़की प्रणाली आरम्भ की गई है तथा प्रतिवादी विश्वविद्यालय को भी, योग्यता सूची के आधार पर, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सम्बद्ध शिक्षा स्नातक महाविद्यालयों को विद्यार्थी आबंटित करने का निदेश दिया गया है । यह अभिकथित है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों का आबंटन किया जा रहा है।

विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी विश्वविद्यालय की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करती है । टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि राज्य के लिए यह अनुमत्य नहीं है कि वह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर कोटा अथवा स्वयं अपनी आरक्षण नीति लागू करे । पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी 537 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि "एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को स्वयं अपनी पंसद के विद्यार्थियों

को प्रवेश देने का अधिकार है", यह अपनी स्वेच्छा से गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकती है । तथापि गैर-अल्पसंख्यक को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्वेच्छा पर एक मात्र प्रतिबंध, जैसा कि स्वयं अनुच्छेद 30 (1) में व्याख्या की गई है, इस प्रकार है कि "ऐसे प्रवेशों के तरीके तथा संख्या से संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का उल्लंघन नहीं होना चाहिए"। प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा अभिकथित है कि प्रवेशों में कदाचारों से बचने के लिए शिक्षा स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रमों में प्रवेशो को नियंत्रित करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली आरम्भ की गई है । पी ए इनामदार (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि प्रवेशों को नियंत्रित करने वाली एकल खिड़की प्रणाली अपनी पसन्द के छात्रों को प्रवेश देने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार को किसी भी प्रकार से आघात नहीं पहुंचाती। यह चुनाव ऐसे चुने गए छात्रों की परस्पर योग्यता के क्रम को बदले बिना एक समान प्रवेश परीक्षा (सीइटी) में तैयार सफल अभ्यर्थियों की सूची में से किया जा सकता है ।

पी ए इनामदार (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता महाविद्यालय को एक समान प्रवेश परीक्षा में तैयार की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से, इस प्रकार चुने गए छात्रों की परस्पर योग्यता के क्रम को बदले बिना, मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों का चयन करने की अनुमति दी जाती है । यदि याचिकाकर्ता महाविद्यालय, एक गैर-सहायता प्राप्त संस्था है तो यह मुस्लिम समुदाय के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकती है । यदि यह एक सहायता प्राप्त संस्था है तो संविधान का अनुच्छेद 29 (2), याचिकाकर्ता महाविद्यालय को एक युक्तियुक्त सीमा तक गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए बाध्य करता है । प्रतिवादी विश्वविद्यालय को टीएमए पाई फाउंडेशन तथा पी ए इनामदार मामलों (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि को कार्यान्वित करने का निदेश दिया जाता है ।

2011 का मामला संख्या 1083

यह घोषणा किए जाने की याचिका देना कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया मान लिया गया है ।

याचिकाकर्ता : रोकिया एजूकेशनल ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष श्री इरशाद हुसैन के माध्यम से, निवासी- इन्द्रलोक अपार्टमेंट, इलाहाबाद बैंक (यू. शाखा) के सामने, डा. महेन्द्रू थाना-पीराभोर टाउन तथा जिला पटना ।

प्रतिवादी : सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण शिक्षा, बिहार सरकार, पटना, बिहार

इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता एक घोषणा करने की मांग करता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (संक्षिप्त रूप में अधिनियम) की धारा 10 की उप धारा (3) के निबंधनों के अनुसार, बेतिया, पश्चिम चम्पारन, बिहार में प्रस्तावित बेतिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया मान लिया जाए ।

यह अभिकथित है कि मुस्लिम समुदाय के हित के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन के मूलभूत उद्देश्य से, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा रोकिया एजूकेशनल ट्रस्ट, पटना को पंजीकृत ट्रस्ट के रूप में गठित किया गया है । उक्त ट्रस्ट ने बेतिया, पश्चिम चम्पारन, बिहार में एक अस्पताल स्थापित किया है। इसने बेतिया में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए एक भवन का निर्माण भी किया है। दिनांक 25.6.2002 को याचिकाकर्ता ने, प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनापत्ति

प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया था । दिनांक 18.9.2006 को, जब याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को अनुस्मारक भेजा, तो उसे बताया गया कि ऐसे प्रस्तावों को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, बिहार सरकार के माध्यम से भेजा जाए। तद्नुसार 10.11.2006 को याचिकाकर्ता ने एक आवेदन उक्त बोर्ड को भेजा, जिसे बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य विभाग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बिहार सरकार को 24.11.2006 को अग्रेषित किया गया । बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने उक्त आवेदन पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया । यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता ने चिकित्सा महाविद्यालय के लिए सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को आवेदन किया था । उक्त आवेदन पत्र के अनुसरण में, विश्वविद्यालय द्वारा एक निरीक्षण दल का गठन किया गया और दिनांक 1.2.2007 के पत्र के तहत याचिकाकर्ता को सूचित किया गया । उक्त विश्वविद्यालय के निरीक्षण दल ने अनुकूल रिपोर्ट दी और उसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27.3.2010 के पत्र के तहत प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र और सहमति प्रदान कर दी गई । इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने सभी अपेक्षित दस्तावेजों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को प्रस्तुत किया । भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने दिनांक 14.3.2011 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन पत्र पर राज्य सरकार द्वारा जारी अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र के बिना विचार नहीं किया जा सकता । इसलिए यह याचिका दायर की गई है ।

नोटिस तामील कराने के बावजूद, प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । इसलिए मामले पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

यहाँ विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता इस आशय कि "प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया मान लिया गया है", की घोषणा के लिए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(3) के धारणा उपबंध का अवलंब लेने का हकदार है ।

संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसके संचालन का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे औचित्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था को चलाने की सुरक्षा प्रदान करना है । इन अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में प्रतिषेध के माध्यम और लागू करने के वचन से सुरक्षित किया गया है । प्रतिषेध अनुच्छेद 13 में समाहित है जो राज्य को ऐसे किसी भी कानून या नियम बनाने से रोकते है जो संविधान के अध्याय-III के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संकुचित करते हैं या इससे असंगत किसी कानून, नियम या विनियम को वीटों की धमकी देते हैं ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में सामान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की

सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "इस अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफेन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द,अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य (ऊपर) मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> ".....अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :
>
> (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसन्द के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी, जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

अनुच्छेद 30 (1) और 26 के अध्ययन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और उसके प्रबंधन का हकदार है, बशर्ते कि वह समुदाय अथवा सम्प्रदाय ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण और प्रबंधन के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था करने में समर्थ हो । शैक्षिक उत्कृष्टता के हित में अथवा लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित के अलावा, अनुच्छेद 30 (1) के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता । जहां तक अनुच्छेद 30 (1) का संबंध है, न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय, किसी नीतिगत निर्णय द्वारा एक अल्पसंख्यक समुदाय को, विधि के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से रोक सकते हैं ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, सक्षम प्राधिकारी को संगत परिनियम/अध्यादेश/विनियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अथवा मामलों तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए । संसद ने पूरे देश में चिकित्सा, दंत तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विकास की योजना और समन्वय के लिए, तथा ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहन देने तथा उसके मानदंडों और मानकों को नियंत्रित करने तथा यथोचित रूप से जारी रखने की दृष्टि से अन्य के साथ-साथ विभिन्न अधिनियमों को अधिनियमित किया है ।

महाराष्ट्र राज्य बनाम् संत ध्यानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय तथा अन्य (2006) 9 एससीसी(1) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी नीतिगत विचार के आधार पर अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक नए महाविद्यालय की स्थापना के मामले में नीतिगत निर्णय लेना मूलतः केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत आता है ।

याचिकाकर्ता ने याचिका में उल्लेख किया है कि दिनांक 25.6.2002 को उसने बेतिया में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दिया था । दिनांक 18.10.2003 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद, समक्ष प्राधिकारी द्वारा उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया । यह अभिकथित है कि दिनांक 18.9.2006 को जब याचिकाकर्ता ने दोबारा अनुस्मारक भेजा तो उसे राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, बिहार सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । तद्नुसार, दिनांक 11.11.2006 को याचिकाकर्ता ने अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उक्त बोर्ड को आवेदन भेजा । उक्त बोर्ड ने याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर विचार किया तथा इसे दिनांक 24.11.2006 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को अग्रेषित किया । बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया ।

महज इस तथ्य से कि सक्षम प्राधिकारी ने विश्वविद्यालय की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया, याचिकाकर्ता को मुस्लिम समुदाय के हित के लिए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।

स्पष्टतः, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी सांविधिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, 90 दिनों के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया ।

राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को इस विषय में कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि आशय की घोषणा क्यों न कर दी जाए कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा(3) के निबंधनों के अनुसार, प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र

प्रदान कर दिया मान लिया गया है । वह कारण, जिनकी सक्षम प्राधिकारी को अधिक जानकारी हो सकती है, उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया । अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी की रहस्यमय चुप्पी, अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित सांविधानिक गारंटी का वास्तविक हनन करती है ।

स्पष्टतः, सक्षम प्राधिकारी ने आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपने सांविधिक कर्तव्य का प्रयोग करते हुए उस पर किसी आदेश को पारित नहीं किया था । अनुच्छेद 13 के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह राय है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सरकार का कोई कानून अथवा नीति, ऐसे उल्लंघन की सीमा तक निष्प्रभावी होगी । मौलिक अधिकार प्रभावी होने के लिए आशयित है तथा किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के लिए इनमें कटौती नहीं करनी चाहिए । कोई भी प्रशासनिक और वित्तीय असुविधा अथवा कठिनाई, मौलिक अधिकारों के अतिलंघन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, याचिककर्ता अधिनियम की धारा 10 की उप धारा(3) के उपबंध का अवलंब लेने का हकदार है ।

पूर्वोक्त कारणों से, हमारी राय यह है कि चूंकि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त आवेदन की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर, बेतिया में प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया था अतः अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा(3) के निबंधनों के अनुसार, यह मान लिया जाएगा कि अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया है । अधिनियम की धारा 10 की उप धारा(4) उपबंध करती है कि जहाँ कहीं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया मान लिया जाता है, आवेदक, तत्समय पृवत्त किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना को आरम्भ करने तथा उस पर अग्रसर होने का हकदार होगा । तद्नुसार घोषणा का प्रमाणपत्र जारी किया जाए ।

2010 का मामला सं. 678

अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक उर्दू माध्यम हाई स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य के लिए निदेश चाह रही याचिका

याचिकाकर्ता : रज्जाक वेल्फेयर सोसाइटी, भांडेगांव, तालुका-दरवहा, जिला यवतमाल महाराष्ट्र

प्रतिवादी : 1. सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई-32, महाराष्ट्र।

2. शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, पुणे-1 ।

3. शिक्षा उप निदेशक, अमरावती प्रभाग, अमरावती वलगांव रोड, अमरावती, ता. तथा जिला-अमरावती, महाराष्ट्र

4 जिला शिक्षा समिति (मिडिल), जिला परिषद यवतमाल, शिक्षा अधिकारी (मिडिल) के माध्यम से, जिला परिषद् यवतमाल, ता. तथा जिला यवतमाल, महाराष्ट्र ।

5 शिक्षा अधिकारी (मिडिल), जिला परिषद्, यवतमाल तालुका और जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) ।

इस याचिका द्वारा रज्जाक वेल्फेयर सोसाइटी, भांडेगांव, तालुका-दरवहा, जिला यवतमाल महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने भांडेगांव में एक नए उर्दू माध्यम हाई स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र

सरकार के लिए निदेश मांगा है । यह अभिकथित है कि गांव भांडेगांव में मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है । यह भी अभिकथित है कि भांडेगांव अथवा उससे 12 कि.मी. की दूरी तक आसपास के गांवों में कोई भी उर्दू माध्यम हाई स्कूल नहीं है । याचिकाकर्ता सोसाइटी के पास प्रस्तावित उर्दू माध्यम हाई स्कूल की स्थापना के लिए सभी आधारभूत तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं उपलब्ध थी । चूंकि उर्दू माध्यम हाई स्कूल बहुत अधिक दूरी पर उपलब्ध है, इसलिए मुस्लिम समुदाय की पर्दानशीं लड़कियों को विद्यालयों में नहीं भेजा जाता, जो कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं । याचिकाकर्ता सोसायटी ने शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, यवतमाल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे खण्ड विकास अधिकारी, यवतमाल द्वारा संस्तुत किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अनुमति प्रदान नहीं की । इसलिए यह याचिका दायर की गई है ।

प्रतिवादी शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला परिषद् यवतमाल ने इस आधार पर याचिका का प्रतिरोध किया है कि याचिकाकर्ता का प्रस्ताव, जिला स्तर की समिति को प्रस्तुत किया गया था, जिसने प्रस्ताव को इस आधार पर संस्तुत नहीं किया कि स्थानीय स्तर के उर्दू माध्यम कक्षा VIII में मुस्लिम विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं है । यह अभिकथित है कि चूंकि जिला स्तर समिति ने याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की थी अतः राज्य स्तर समिति द्वारा भी उक्त प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की गई ।

प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि चूँकि 10-12 कि.मी. के दायरे में कोई भी उर्दू माध्यम हाई स्कूल नहीं है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थी शिक्षा के मराठी माध्यम का विकल्प देने के लिए विवश हैं और यह कि केवल यही तथ्य पर्दानशीं मुस्लिम लड़कियों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की दर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है ।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी दावों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ विचारार्थ मुद्दा यह है कि : क्या याचिकाकर्ता सोसाइटी द्वारा मांगी गई अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है।

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एससी 959) से उद्धृत उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों जिसकी चरम परिणति पी ए इनामदार बनाम् महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2005) एस सी सी 537 ने फिलहाल तो कानून स्थापित कर दिया है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) पर मामले के कानून का पूरा विकास केरल शिक्षा विधेयक मामला (ऊपर) में अंतःस्थापित कर दिया गया है । संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसन्द' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है"। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का मूलाधार अल्पसंख्यकों को उनकी पसन्द की शैक्षणिक संस्था के संचालन के लिए संरक्षण प्रदान करना है"। इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरूद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है"। यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है, जो कि संविधान के अध्याय III के अधीन किए गए इन उपबंधों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि,नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है"।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य एआईआर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को है तथा धार्मिक के अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को देश का संपूर्ण पुरूष या

महिला बनाने के लिए उन्हें सर्वोतम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें अपनी पंसद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा प्रशासन में रोका नहीं गया है"। देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण प्रदान किया गया है । सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में सामान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व का वास्तविक अभिप्राय है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. सी.जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> "संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद' के शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।"

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धत करना उपयोगी होगा :-

> ".....अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार है :
>
> (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सके, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्था अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी।"

इस प्रकार, 'उनकी पसन्द की' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) ।

इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अथवा भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते है कि उनके विद्यार्थी, जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि उर्दू माध्यम हाई स्कूल की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ढांचागत और अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता न होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया गया था बल्कि इसे पर्याप्त मुस्लिम विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के एक मात्र आधार पर अस्वीकार किया गया था । यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि रज्जाक वेल्फेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ने उर्दू हाई स्कूल के लिए खंड विकास अधिकारी दरवहा, जिला यवतमाल द्वारा तैयार किए गए स्कूल मैपिंग मास्टर प्लान 2010-11 की एक प्रति द्वारा समर्थित अपने शपथपत्र को दाखिल किया था, जो दर्शाता है कि भांडेगांव में 4000 उर्दू भाषी आबादी है तथा वहां 10 कि.मी. के दायरे में कोई उर्दू हाई स्कूल नहीं है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए वहां स्थानीय मुस्लिम विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उर्दू हाई स्कूल की स्थापना की वास्तविक आवश्यकता प्रतीत होती है । परिणामस्वरूप, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और निर्णय देते हैं कि प्रस्तावित उर्दू माध्यम हाई स्कूल की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति न प्रदान करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकारों द्वारा निस्तेज होती है तथा यह तब तक मृतप्राय स्थिति में रहेगी, जब तक मौलिक अधिकार की छाया उस पर पड़ती रहेगी ।

भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप, जरूरत इस बात की है कि हमारे नेता एक नए दृष्टिकोण का परिचय दें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पुराने संकीर्णवादी अतीत में न झांकते रहें बल्कि ऐसे काम करें जिनसे सुनहरा भविष्य का स्वप्न साकार होता हो। सर्वसमावेशी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, उनसे आशा की जाती है कि वे एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का भी विकास करें। हमारे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं ने, सविधान के अनुच्छेद 30 (1) के निर्माण द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति उदार और दूरदर्शी रवैया अपनाया है। अतः सरकार के पदाधिकारी जो संविधान के प्रति शपथ लेते हैं तथा उसमें निष्ठा प्रकट करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करने के अलावा, उनके शैक्षणिक अधिकारों को कायम रखने में भी वैसा ही सकारात्मक और सशक्त रवैया अपनाएं और व्यवहार में लाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी टिप्पणी की गई है कि "भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का अर्थ एक पवित्र कर्तव्य से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को कायम रखा गया है"। संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लागू किया गया है तथा सभी नागरिकों को हमारे साझा लक्ष्य "हमारे सपनों का भारत" को साकार करने में भागीदारी करने हेतु समर्थ बनाया गया है।

इस मामले की अन्य दृष्टिकोण से भी जांच की जा सकती है । उन्नी कृष्णन जे पी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एआईआर 1993 एससी 2178 मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि शिक्षा ज्ञानोदय है। यह व्यक्ति को मान-मर्यादा प्रदान करती है । शिक्षा का मूल उद्देश्य हर समय तथा सभी स्थानों में समान है। यह मानव व्यक्तित्व को शारीरिक विकास की कृत्रिम प्रक्रिया मन के संवर्धन मनोभावों के परिष्कार तथा अन्तरात्मा के प्रदीपन के माध्यम से पूर्णतया के प्रतिमान के रुप में रुपान्तरित करती है । शिक्षा, जीवन निर्वाह

के लिए और जीवन के लिए तैयारी है । एक लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था में, जिसे बनाए रखने के लिए जनसाधारण का जागरुक होना जरुरी है, शिक्षा एक ही समय में सामाजिक और राजनैतिक आवश्यकता है । अतः उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत जीवन के अधिकार से ही शिक्षा का अधिकार निकलता है । मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 1992 एससी 1858 मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा इससे मिलती-जुलती राय प्रकट की गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए बाध्य है ताकि नागरिक उक्त अधिकार का उपयोग करने में समर्थ हों । राज्य अपनी बाध्यता को राज्य के स्वामित्व या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से पूरा कर सकता है। जब राज्य सरकार निजी शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है तो वह संविधान के अन्तर्गत अपनी बाध्यता को पूरी करने के लिए एक एजेन्सी सृजित करती है । इस प्रकार, राज्य सरकार की अपने नागरिकों के लिए सभी स्तरों पर शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास करने हेतु बाध्यता है ।

यहां यह शामिल करना अनावश्यक है कि राज्य सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के जनादेश को देखते हुए, राज्य सरकार अपने बच्चों की उच्च शिक्षा में भाग लेने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद और आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है । प्रशासनिक और वित्तीय संबंधी कोई असुविधा अथवा कठिनाईयां मौलिक अधिकार के उल्लंघन को तर्कसंगत नहीं करतीं । नए डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति देते समय राज्य सरकार सार्वभौम के रुप में कार्य करती है और अपने सवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है । अपनी वित्तीय बाधाओं को सम्मान देते हुए, राज्य सरकार सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं होती है। शिक्षा में भाग लेने का कार्य बड़े पैमाने पर स्वयं नागरिकों के नियंत्रण में रहा है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के जनादेश को देखते हुए, अपने बच्चों की उच्च/व्यावसायिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद और आवश्यकताओं पर विचार करना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है ।

पूर्वोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और निर्णय देते है कि उर्दू माध्यम हाईस्कूल की स्थापना करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमति प्रदान न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की कसौटी पर यथा-परीक्षित, संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को सिफारिश की जाती है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा भांडेगांव, तालुका-दरवहा, जिला यवतमाल महाराष्ट्र में उर्दू माध्यम हाईस्कूल की स्थापना से संबंधित याचिकाकर्ता सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनः विचार करते हुए रा अ शै सं आ अधिनियम की धारा-11 (ख) के निबंधनों अनुसार आयोग के निष्कर्षों को कार्यान्वित करें ।

अध्याय 8 - अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों के वंचन और विश्वविद्यालय से सम्बद्धता संबंधी मामले

यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत, एक धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित व संचालित करने का अधिकार है, यह अधिकार, हालांकि, शैक्षणिक स्तरों की उत्कृष्टता बनाए रखने व उसे सुसाध्य बनाने की राज्य की विनियामक शक्ति के अधीन है। टी.एम.ए. पाई फाऊंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 8 एस सी सी 481 के मामले में उच्चतम न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की खंड पीठ के निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने एक शैक्षणिक संस्था स्थापित व संचालित करने के अधिकार की व्याख्या की है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रयुक्त शब्द में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं-

क. छात्रों को प्रवेश देना;

ख. एक तर्कसंगत शुल्क ढांचा तैयार करना;

ग. शासी निकाय का गठन;

घ. स्टाफ (शिक्षण व गैर शिक्षण) नियुक्त करना; और

ङ. यदि किसी कर्मचारी द्वारा डयूटी में लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई करना ।

आयोग इस दृष्टिकोण का अनुमोदन करता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को प्रबंधन के विशेष अधिकार की आड़ में शैक्षणिक संस्थाओं से उत्कृष्टता के उन मानकों से नीचे नहीं होना चाहिए जिनकी उनसे आशा की जाती है । शैक्षणिक स्तर सुनिश्चित करने और उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विनियामक उपाय संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण के लिए अभिशाप नहीं है । वर्ष के दौरान निपटाए गए कुछ मामले निम्नानुसार हैं :-

2011 की अपील संख्या 04

अल्पसंख्यक संस्था द्वारा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न करने के राज्य के निर्णय के विरूद्ध अपील

याचिकाकर्ता : 1. अल्-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी, गांव धौज, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा ।

2. अल्-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, 274-जामियानगर, ओखला, नई दिल्ली-110 025।

प्रतिवादी : 1. हरियाणा राज्य, माध्यम से

क- वित्त आयुक्त तथा प्रधान सचिव, (तकनीकी शिक्षा विभाग), नया सचिवालय, सेक्टर 17, चण्डीगढ़ ।

ख- निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, खण्ड सं. 7-12, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा ।

ग- सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, माध्यम से, कुल सचिव, रोहतक, हरियाणा ।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (संक्षिप्त रूप में अधिनियम) की धारा 12 क के अंतर्गत दायर इस याचिका में अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर रहे दिनांक 6.1.2010 के आदेश को चुनौती दी गई है । याचिकाकर्ता संस्था को इस आयोग द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है । याचिकाकर्ता महाविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त है तथा यह महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । याचिकाकर्ता महाविद्यालय से बी.टेक पाठ्यक्रम के नौ बैच पहले ही सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हैं तथा यह एम. टेक. और एमबीए पाठ्यक्रमों को भी चला रहा है । याचिकाकर्ता महाविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (ए आई सी टी ई का एन बी ए) से प्रत्यायित हैं । राज्य सरकार की दिनांक 15.9.2009 की अधिसूचना द्वारा याचिकाकर्ता महाविद्यालय को एक स्वायत्त संस्था के रूप में घोषित किया गया है । दिनांक 21.11.2007 को याचिकाकर्ता ने इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को आवेदन भेजा था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने याचिकाकर्ता के उक्त अनुरोध पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाणपत्र मुहैआ करने के लिए कहा । महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय ने दिनांक 29.4.2008 को याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि यदि याचिकाकर्ता को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है तो उसे मौजूदा विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन को जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है । याचिकाकर्ता महाविद्यालय अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क भी कर रहा है । बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, हरियाणा सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया । राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त ने होने से व्यथित, याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगे गए अनापत्ति प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने के अनुरोध के साथ आयोग से संपर्क किया ।

याचिका की विचाराधीनता के दौरान, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 10(3) के उपबंध का अवलंब लेने के लिए याचिका में संशोधन किया । इसके पश्चात् प्रतिवादी सं.1(ख) ने दिनांक 6.1.2010 के पत्र के तहत सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित किया कि अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता महाविद्यालय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामलों की समीक्षा के पश्चात् विचार किया जाएगा । आक्षेपित आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता महाविद्यालय के अध्यक्ष को पृष्ठांकित की गई है । दिनांक 6.1.2010 के उक्त आदेश से व्यथित, याचिकाकर्ता महाविद्यालय ने अधिनियम की धारा 12 क के अधीन अपील दायर की है ।

प्रतिवादी संख्या 1(ग) ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपेक्षित सिफारिश/सलाह प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्रवाई की जाएगी । यह भी अभिकथित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों तथा ऐसे मामलों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों को समीक्षा प्रक्रिया के समाप्त होने तक, आजकल रोका गया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने उत्तर में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करने हेतु, इस विषय में क्रियाविधि, नियमों और विनियमों को स्पष्ट किया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय के मामले पर राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी), तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने अपने उत्तर में, मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से संबंधित आवेदनों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के कुछ उपबंधों को संदर्भित किया है । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता संस्था ने मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके बाद राज्य सरकार की टिप्पणी और अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए भी अनुरोध किया था । तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने याचिकाकर्ता महाविद्यालय के अनुरोध पर विचार किया और क्षमता, शैक्षिक उत्कृष्टता, मानद विश्वविद्यालय के रूप में स्वयं को संपोषित करने और कायम रखने की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया । राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा प्रस्ताव को फाइल करने का निर्णय लिया । याचिकाकर्ता से अनुस्मारक प्राप्त होने पर, प्रस्ताव को दोबारा राज्य सरकार को भेजा गया तथा राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामलों की समीक्षा के पश्चात् याचिकाकर्ता संस्था के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव को दिनांक 6.1.2010 के पत्र द्वारा तदनुसार सूचित किया गया था । यह भी अभिकथित है कि सदृश मामला डब्ल्यू पी(सिविल) 142/2006 जिसका शीर्षक विप्लव शर्मा बनाम् भारत संघ तथा अन्य है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है । अंत में, यह अभिकथित है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए साधिकार दावा नहीं किया जा सकता और प्रस्ताव के गुणागुण के आधार पर अपनी राय/सिफारिशें देना राज्य सरकार का परमाधिकार है ।

यहाँ विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या दिनांक 6.1.2010 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से सही माना जा सकता है ?

अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 12 क के अधीन अपील दायर की है, जो कि निम्नानुसार है :-

> 12 क. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील :- (1) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उप धारा (2) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से इंकार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरूद्ध आयोग को अपील कर सकेगा ।
>
> (2) उप धारा (1) के अधीन कोई अपील, उप धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के आवेदक को संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।
>
> परन्तु आयोग तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसके फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ।
>
> (3) आयोग को कोई अपील ऐसे प्रारूप में की जाएगी, जो विहित किया जाए और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी, जिसके विरूद्ध अपील फाइल की गई है ।
>
> (4) आयोग पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से आदेश पारित करेगा और ऐसे निदेश देगा जो उसके आदेशों को प्रभावी करने या उसकी प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने या न्याय के हितों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो ।

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा किया गया कोई आदेश आयोग द्वारा किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के संबंध में लागू होते हैं।

(बल दिया गया)

यह विवाद से परे है कि याचिकाकर्ता महाविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है । याचिकाकर्ता महाविद्यालय को दिनांक 15.9.2009 की अधिसूचना के तहत राज्य सरकार द्वारा एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्था भी घोषित किया गया है । यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके अधीन एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जा सकता लेकिन अनुच्छेद अपने नितान्त स्वभाव द्वारा उपलक्षित करता है कि जब-जब अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग की जाती है तो राज्य सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के बिना उसे अस्वीकार नहीं कर सकता अथवा ऐसी शर्ते लागू करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, जिससे ऐसी शैक्षणिक संस्था का स्वायत्त प्रशासन पूर्णतया नष्ट होता हो । इस परिस्थिति में, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता संस्था द्वारा दाखिल आवेदन पर दिनांक 18.3.2008 को वित्त आयुक्त (तकनीकी शिक्षा) द्वारा अभिलिखित निम्नलिखित टिप्पणी को उद्धृत करना उपयोगी होगा :

'हमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पी यू सी के अनुसार निम्नलिखित तीन मुद्दों तक अपनी टिप्पणियों को सीमित रखना चाहिए :

(1) क्षमता

(2) शैक्षिक उत्कृष्टता

(3) वित्तीय सक्षमता

हमसे कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा विशेष संस्तुति अपेक्षित नहीं है ।

बहस के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) की दिनांक 17.4.2008 की निम्नलिखित टिप्पणी पर विशेष बल दिया गया है :-

'कृपया एनपी 3 से 8 का अवलोकन करें । संस्थान की क्षमता, शैक्षिक उत्कृष्टता तथा वित्तीय सक्षमता पर टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

क्षमता

1. संस्थान के पास 19360 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र है । 456 विद्यार्थियों की स्वीकृत इनटेक से 5 स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम और 2 एम.टेक पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है । इसके 2 स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को दिनांक 22.1.2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित किया गया है ।
2. संस्थान में सुसज्जित कम्प्यूटर केन्द्र, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय सहित पर्याप्त आधारिक संरचना उपलब्ध है ।
3. संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार 105 सक्षम और अर्हता प्राप्त प्राध्यापक हैं ।

शैक्षिक उत्कृष्टता

1. जैसा कि पिछले तीन वर्ष के परीक्षा परिणामों से प्रमाणित है, संस्थान का शैक्षिक रिकार्ड अच्छा है ।
2. संस्थान के नियोजन प्रकोष्ठ के माध्यम से विद्यार्थियों का नियोजन अच्छा है ।
3. संस्थान केवल स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान कार्यक्रमों को चला रहा है ।

वित्तीय स्थिति

1. संस्थान की वित्तीय स्थिति मजबूत है और इस समय इसकी वर्तमान परिसंपत्तियां लगभग 7 करोड़ और 64 लाख रुपए मूल्य की हैं और बचत बैंक खाते में 1 करोड़ और 64 लाख रूपए तथा मियादी जमा में 17 लाख रूपए हैं ।

   कृपया अवलोकनार्थ और विचारार्थ प्रस्तुत है ।"

   याचिकाकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) की उपरोक्त टिप्पणियां स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हैं कि याचिकाकर्ता संस्था शैक्षिक उत्कृष्टता की एक संस्था के रूप में सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करती है ।

यह उल्लेख करना सुसंगत है कि संपूर्ण कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए निर्धारित अर्हकारी मानदंडों की शर्तों में से एक, राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाणपत्र है । राज्य सरकार से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बारे में उक्त शर्त को एक नए महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बराबर नहीं माना जा सकता । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम/विनियम के अंतर्गत निर्धारित अर्हकारी मानदंडों के अधीन यथा अपेक्षित अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को केवल मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर रहे महाविद्यालय की वांछनीयता और संभाव्यता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है । राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बारे में, मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर रहे महाविद्यालय की वांछनीयता और संभाव्यता से संबंधित उक्त शर्त को ऐसा दर्जा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बराबर नहीं माना जा सकता ।

यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार ने दिनांक 15.9.2009 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता महाविद्यालय को एक स्वायत्त संस्था घोषित किया था । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगे गए अनापत्ति प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा कोई शर्त नहीं रखी जानी चाहिए । अनापत्ति प्रमाणपत्र के इंकार के लिए राज्य सरकार द्वारा जो एकमात्र कारण दिया गया है, वह यह है कि याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामलों की समीक्षा के पश्चात विचार किया जाएगा । राज्य सरकार ऐसे तुच्छ आधार पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार नहीं कर सकती ।

वित्त आयुक्त(तकनीकी शिक्षा) की पूर्वोक्त टिप्पणी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि याचिकाकर्ता संस्था, शैक्षिक उत्कृष्टता की एक संस्था के रूप में, प्रथम दृष्टया सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करती है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, याचिकाकर्ता महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानद विश्वविद्यालय

का दर्जा प्रदान करने से संबंधित उसके आवेदन पर विचार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विधिपूर्वक हकदार था । परिणामस्वरूप, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए, याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर रहा राज्य सरकार का आक्षेपित आदेश, विधि की दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता ।

पूर्वोल्लिखित कारणों से, याचिकाकर्ता महाविद्यालय द्वारा दायर अपील, अधिनियम की धारा 12क के अधीन अनुज्ञात है तथा दिनांक 06.01.2010 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा रद्द किया जाता है तथा राज्य सरकार को निदेश दिया जाता है कि वह अनापत्ति प्रमाणपत्र के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए, उसे प्रदान करने हेतु, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करे । आवेदन पर, इस आदेश की तारीख से दो माह के भीतर निर्णय लिया जाएगा । तद्नुसार, अपील का निपटान किया जाता है ।

2010 का मामला संख्या 2062

अल्पसंख्यक संस्था को संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश देने की मांग कर रही याचिका

याचिकाकर्ता : मुक्कम मुस्लिम अनाथालय समिति, मुक्कम कोझोकोडे, केरल, अपने महासचिव के माध्यम से

प्रतिवादी : कुल सचिव कालीकट विश्वविद्यालय डाकघर-कालीकट विश्वविद्यालय केरल ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम (संक्षिप्त रूप में अधिनियम) की धारा 10 क के अंतर्गत दायर करने के लिए तात्पर्यित इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता सोसाइटी ने प्रस्तावित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय को निदेश देने की मांग की है । याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाई गई एक पंजीकृत सोसाइटी है । सुनिश्चित रूप से देश में यह समुदाय अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है और इसके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था को, अनुच्छेद 30(1) के सांविधानिक दायरे के भीतर मोटे तौर पर अल्पसंख्यक संस्था कहा जाता है । दिनांक 26.10.2009 को, याचिकाकर्ता ने शैक्षिक वर्ष 2010-11 के लिए, मुक्कम में नए महिला महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के समक्ष कालीकट विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियम, 1977 (इसमें इसके पश्चात् परिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया जाए) के अध्याय 23 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया था। सभी अपेक्षित दस्तावेजों को 25000/- रूपए की राशि के साथ विश्वविद्यालय में जमा किया गया था । आवदेन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय के प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई । दिनांक 10.6.2010 को प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को उक्त आवेदन की अस्वीकृति के बारे में सूचना दी । यह अस्वीकृति इस आधार पर की गई कि निरीक्षण आयोग द्वारा दिनांक 10.6.2010 के ज्ञापन संख्या जीएआई/जी3/7700/2009(ii) के तहत इसकी संस्तुति नहीं की गई थी । उक्त गैर-आख्यापक आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.7.2010 को, इसके अस्वीकृत किए जाने के कारणों का अभिनिश्चयन किए जाने के लिए प्रतिवादी विश्वविद्यालय को आवेदन किया । प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने दिनांक 30.7.2010 के ज्ञापन द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसके आवेदन को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत किया गया था :-

(क) मुक्कम तथा उसके आसपास अनेक शैक्षणिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं ।

(ख) अधिकतर महाविद्यालयों में पुरूष विद्यार्थियों की तुलना में महिला विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और इस प्रकार वहां एक अन्य महिला महाविद्यालय की आवश्यकता नहीं है।

यह अभिकथित है कि उक्त आवेदन को अस्वीकृत करने के प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए कारण असत्य हैं क्योंकि प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने दो अन्य महाविद्यालयों अर्थात एम ए एम कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड साइंस, मनास्सेरी और एस एस एम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंस नेल्लीक्कापारम्बा कारास्सेरी पंचायत को सम्बद्धता प्रदान की थी, जो कि 6 से 7 कि.मी. की परिधि के भीतर स्थित हैं । यह भी अभिकथित है कि प्रस्तावित महाविद्यालय के निकट कोई महिला महाविद्यालय नहीं है और आसपास के क्षेत्र में एक मात्र महिला महाविद्यालय अंसारी कॉलेज ऑफ आर्टस फॉर वूमेन, दयापुरम, चथमंगलम है, जो कि 15 कि.मी. की दूरी पर है । इसके अलावा, अधिकतर मुस्लिम लड़कियां 15 कि.मी. की दूरी तक यात्रा करना पसन्द नहीं करेंगी, जो कि निकटतम महिला महाविद्यालय है । प्रस्तावित महाविद्यालय के पास, याचिकाकर्ता द्वारा संचालित एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ें और यह किसी अवांछनीय होड़ को उत्पन्न नहीं करेगा । आगे, यह अभिकथित है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय का आचरण उचित और युक्तियुक्त नहीं है तथा यह मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा के विकास के लिए भी सहायक नहीं है ।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता का इस आधार पर प्रतिरोध किया गया है कि प्रस्तावित महिला महाविद्यालय की स्थापना की निरीक्षण आयोग द्वारा दिनांक 22.02.2010 की रिपोर्ट के तहत संस्तुति नहीं की गई थी और इस प्रकार सम्बद्धता प्रदान करने के उसके आवेदन को विधिमान्यतः अस्वीकार किया गया था । यह अभिकथित है कि नए महाविद्यालय को प्रारंभ करने के लिए आवेदन के बारे में निरीक्षण करते समय, निरीक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2008-09 से, नए महाविद्यालय/नए पाठ्यक्रम के संबंध में, केरल उच्चतर शिक्षा परिषद के दिनांक 18.12.2007 के पत्र संख्या 571/07/उ.शि. के तहत दिए गए निदेशों का अनुसरण अपेक्षित है । प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा जिस निदेश का अनुसरण किया गया वह निम्नानुसार है :-

> "ऐसे क्षेत्र जिनमें कॉलेज कम संख्या में हैं, उन्हें नयी संस्थाएं शुरू करने में अग्रता दी जाए । गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से चुनकर स्वीकृति प्रदान की जाए। केवल उन क्षेत्रों में नए गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को प्रारंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए, जहां उस श्रेणी की संस्थाओं की पर्याप्त संख्या नहीं है । यदि 20 कि.मी. की परिधि के भीतर वैसी ही श्रेणी (कला तथा विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, अनुप्रयुक्त विज्ञान,प्रबंधन संस्थाएं इत्यादि) के महाविद्यालय पहले से हैं तो महाविद्यालयों की स्वीकृति न दी जाए ।"

यह अभिकथित है कि परिनियम के अध्याय 23 के अनुसार यदि महाविद्यालयों तथा पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है और नियमानुसार पाया जाता है तो वह दो शैक्षिक वर्षों के लिए मान्य होगा । तात्कालिक मामले में निरीक्षण आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन की संस्तुति नहीं की गई थी और इस प्रकार इस आवेदन को अगले शैक्षिक वर्ष 2011-12 के लिए मानने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता ।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी दावों को ध्यान में रखते हुए, विचारार्थ यह मुद्दा उठता है कि क्या परिनियम के अध्याय 23 के अधीन सम्बद्धता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर रहा प्रतिवादी विश्वविद्यालय का दिनांक 10.06.2010 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 30(1),14,15 और 16 का उल्लंघन है ।

प्रारंभ में हमें यह ध्यान रखना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए संसद के अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई है । विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से आयोग के गठन के उद्देश्य को दर्शाया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के संबद्धता से संबंधित विवादों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र आयोग का होगा । इस अवसर पर हम उद्देश्यों और कारणों के कथन को उपयोगी रूप से उद्धृत कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं-

'राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक धारा में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए एक आयोग (जिसे इसके आगे राष्ट्रीय आयोग कहा गया है) की स्थापना करने का प्रावधान है जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थाओं के सीधे संबद्धता का प्रावधान करेगा । अल्पसंख्यक समुदायों की लंबे समय से अनुभूत इस मांग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों और समुदाय नेताओं के साथ हुई बैठकों की श्रृंखला में भी रेखांकित किया गया था । अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों में से एक अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन में पेश आ रही कठिनाइयां भी शामिल थीं, जबकि इस संबंध में उनको संवैधानिक गारंटी भी प्रदान की गई थी । मुख्य समस्या थी उनके द्वारा अपनी पसंद के विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता प्राप्त करने का मुद्दा । राज्य विश्वविद्यालयों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार व अल्पसंख्यक आबादी का कतिपय विशेष क्षेत्रों में संकेंद्रण निरपवाद रूप से यह इंगित करता है कि ये संस्थाएं अपनी पसंद के विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता स्थापित करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकीं ।

2. बाद में दिनांक 27 अगस्त, 2004 को आयोजित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मानीटरिंग समिति की एक बैठक में भी अनेक विशेषज्ञों द्वारा ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए थे । विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के भागीदारों ने ऐसी संस्थाओं के संबंद्धता के संबंध में विश्वविद्यालयों के मौजूदा कानूनों द्वारा लगाई गई प्रायः प्रतिबंधात्मक शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसे संबंद्धता तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता की पुष्टि की । उन्होंने यह अनुभव किया कि इन शर्तों ने इन संस्थाओं को प्रदान किए गए उन अधिकारों को प्रभावित किया है जो इन संस्थाओं को अल्पसंख्यक होने के नाते प्रदान किए गए थे । यह तथ्य कि अपील और त्वरित निवारण के लिए कोई प्रभावी मंच नहीं था, अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर वंचन का बोध और अधिक बढ़ गया ।

3. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में व्यक्त की गई सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का मुद्दा अत्यावश्यक था। संसद का सत्र नहीं चल रहा था और अगले अकादमिक सत्र से राष्ट्रीय आयोग के कार्यकरण को प्रभावी बनाने में निहित अत्याधिक आरंभिक कार्य को ध्यान में रखते हुए 11 नवम्बर, 2004 को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश, 2004 के प्रख्यापन के माध्यम से एक राष्ट्रीय आयोग के प्रख्यापन के सृजन का रास्ता चुना गया ।

4. उपरोक्त अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

(i) इससे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का सृजन संभव हो पाया है ।

(ii) तत्समय प्रवृत अन्य किसी कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी यह किसी अनुसूचित विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध कॉलेज के रूप में मान्यता पाने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के लिए अधिकार सृजित करता है ।

(iii) किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था और एक अनुसूचित विश्वविद्यालय के बीच संबंद्धता के मामलों के संबंध में यह एक सांविधिक आयोग के रूप में विवाद निपटान मंच की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करता है । इस आयोग का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

(iv) अपने कार्यों के निष्पादन या निर्वहन के प्रयोजनार्थ किसी वाद पर विचारण करते समय आयोग को इसके अंतर्गत सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी, यह आयोग के निर्णयों को ऐसे प्रयोजन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करेगा; और

(v) यह केन्द्र सरकार के किसी विश्वविद्यालय को शामिल करने या उसे निकालने के लिए, अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार प्रदान करता है ।

5. यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का स्थान लेगा ।

न्यायिक प्राधिकारी का मत भी इस विचार के पक्ष में जाता है कि विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन को संसद में विधेयक को पुनः स्थापित किए जाने के समय इस संविधि के सारभूत प्रावधानों के सच्चे अर्थ और प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । इस विधान को बनाए जाने के लिए उत्तरदायी पृष्ठभूमि तथा मामलों की पूर्व स्थिति को समझने और उस अहितकर स्थिति को समझने, जिसे यह संविधि समाप्त करना चाहती थी, के अलावा इनका अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता । तथापि उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित कारकों तथा ऐसे अन्य कारकों का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है जिन्हें अधिनियम पारित करते समय विधान के विचारण के अंतर्गत शामिल मान लिया गया होगा । यदि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (संक्षेप में अधिनियम) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उस पृष्ठभूमि और संदर्भ, जिसमें अधिनियम को अधिनियमित किया गया था और उस प्रयोजन को भी ध्यान में रखा जाता है जिसे इस अधिनियमन द्वारा प्राप्त किया जाना था तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 'अधिनियम' का अभिप्राय संबंधक विश्वविद्यालयों द्वारा संबंद्धता प्रदान करने, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अधिष्ठापित किए गए अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन/वंचन, किसी शैक्षणिक संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा निर्धारित करने और अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक नई व्यवस्था का सृजन करना है । यह आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक अधिकरण है और इसमें संविधान अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने तथा अधिनियम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए अधिकारों से संबंधित विवादों के संबंध में क्षेत्राधिकार,शक्तियां तथा न्याय- निर्णय करने का प्राधिकार निहित किया गया है और यह प्रावधान भी किया गया है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता के तकनीकी दांव-पेंचों में न फंस कर सुचारू रूप से अपना कार्य करे ।

अधिनियम की धारा 10 क अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अपनी पसंद के किसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता का अधिकार प्रदान करती है । धारा 10 क निम्नवत है

'10क. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की सहबद्धता चाहने का अधिकार । (1) कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपनी पसंद के किसी विश्वविद्यालय से इस बात के अधीन रहते हुए सहबद्ध होने की मांग कर सकेगी कि ऐसी सहबद्धता उस अधिनियम के भीतर अनुज्ञेय है, जिसके अधीन उक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है ।

(2) कोई व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, उपधारा (1) के अधीन सहबद्ध होने के लिए किसी विश्वविद्यालय को कोई आवेदन, उस विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश, नियमों या विनियमों द्वारा विहित रीति में फाइल कर सकेगा :

इस अधिनियम की धारा 12 आयोग को किसी विश्वविद्यालय की संबद्धता से संबंध में किसी विवाद का निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रदान करती है : धारा 12 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

'12. आयोग की शक्तियां-(1) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था और किसी विश्वविद्यालय के बीच उसके ऐसे विश्वविद्यालय से सहबद्ध होने के संबंध में कोई विवाद उठता है तो उस पर आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, किसी वाद का विचारण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124, 1872(1872 का1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे रिकार्ड अथवा दस्तावेज अथवा रिकार्ड की प्रति की अपेक्षा करना ;

(ड.) साक्षियों या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

[(3) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 (1860 का 45) के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।]

(बल दिया गया)

यहां उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है कि एनसीएमईआई अधिनियम में यह व्यवस्था है कि आयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन दिशा निर्देशित होगा तथा उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी । धारा 12 की उप धारा (2) आयोग को यह शक्ति प्रदान करती है कि आयोग सिविल प्रक्रिया कोड के तहत साक्षियों को सम्मन देने, उनके उपस्थित होने, किसी लोक रिकार्ड की मांग करने कमीशन निकालने जैसी विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । धारा 12 की उप धारा (3) में यह विनिर्दिष्ट है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी तथा आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। धारा 12 - क तथा 12 - ख आयोग को अपील करने का अधिकार प्रदान करती है तथा यह भी व्यवस्था करती है कि आयोग द्वारा पारित आदेश सिविल न्यायालय के आदेश की तरह कार्यान्वित किए जाएंगे । अधिनियम की धारा 12 - च में यह उल्लेख है कि किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नही है जिसका अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत निर्णय करने का आयोग को अधिकार प्राप्त है । अतः एनसीएमआई अधिनियम के प्रावधानों का संक्षिप्त सार स्पष्ट रुप से यह संकेत करता है कि संबद्धता से संबंधित विश्वविद्यालय तथा अल्पसंख्यक संस्थान के बीच विवाद इस अधिनियम के दायरे में आता है । अधिनियम की प्रस्तावना तथा अधिनियम को लागू करने वाले उद्देश्यों तथा कारणों के परिप्रेक्ष्य में एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 10 - क का स्पष्ट रुप से पठन करने पर पता चलता है कि संबंधित पक्षकारों के बीच संबद्धता से संबंधित विवाद इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष न्यायालय द्वारा निर्णित होंगे । सिविल न्यायालय का यह भी क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत आयोग को किसी मामले में निर्णय के लिए मिले अधिकार के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही पर विचार करे । अधिनियम की संरचना से स्वतः स्पष्ट होता है कि इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश द्वारा की जाती है । इस प्रकार एनसीएमईआई अधिनियम स्वतः पूर्ण संहिता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता/संबद्धता देने के संबंध में उत्पन्न सभी विवादों पर कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है । ऐसी स्थिति में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का किसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता के लिए उत्पन्न विवाद पर निर्णय देने का आयोग का अधिकार है । धारा 12 की उप धारा (1) में यह घोषणा की गई है कि ऐसे विवाद पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा । यह विवादित नहीं हो सकता कि वर्तमान विवाद अधिनियम की धारा 12 के दायरे में आता है । इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि वर्तमान विवाद सम्बद्धता दिए जाने से संबंधित है और इसलिए यह अधिनियम की धारा 12 के दायरे में आता है । चूंकि आयोग को अधिनियम की धारा 12 में दायरे में आने वाले विवाद पर निर्णय देने का क्षेत्राधिकार है, अतः यह 'न्यायालय' अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर आता है । (देखें ट्रांस मेडिटेरेनियन एयरवेज बनाम यूनिवर्सल एक्सपोर्ट, 2011, एआईआर एससीडब्ल्यू 6028)

यहां यह लिखे जाने की जरूरत नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को 'अपनी पसंद' की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसके संचालन का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे औचित्य अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था को चलाने की सुरक्षा प्रदान करना है । इन अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में प्रतिषेध के माध्यम और लागू करने के वचन से सुरक्षित किया गया है । प्रतिषेध अनुच्छेद 13 में समाहित है जो राज्य को ऐसे किसी भी कानून या नियम बनाने से रोकते है जो संविधान के अध्याय-III के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संकुचित करते हैं या इससे असंगत किसी कानून, नियम या विनियम को वीटों की धमकी देते हैं ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय 'राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के प्रयोजन से अपने पसंद की शैक्षिक संस्थाएं खोलने और चलाने से नहीं रोका गया है ताकि वे उन्हें सही अर्थों में देश के स्त्री-पुरुष बना सके । अल्पसंख्यकों को संविधान के इस अनुच्छेद 30 (1) के तहत सुरक्षा देने का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित तथा मजबूती देना है । सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा क्षेत्र का आशय अपने देश में बालक बालिकाओं का समन्वित विकास करना है । यह शिक्षा के माध्यम द्वारा स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व की सच्ची भावना है । यदि अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार नहीं दिया तो वह स्वयं को अलग थलग और पृथक समझेंगे । सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।

संदर्भ हेतु केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) में श्री एस आर दास मुख्य न्यायाधीश ने निम्न टिप्पणी दी :-

> "विचाराधीन अनुच्छेद के सही अर्थ और प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए मुख्य शब्द 'अपना पसंद' है । यह कहा जाता है कि प्रभावशाली शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद का सारतत्व उतना ही व्यापक है जितना किसी अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद इसे बना सकती है ।"

सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) एस एस सी 558 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अनुच्छेद 30 (1) में 'अपनी पसंद के' शब्द अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं, जिसकी वे स्थापना करना चाहते हैं, का स्वरूप चुनने के अपार विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण या सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या दोनों प्रयोजनों के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं ।"

इस मौके पर पी ए इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निम्नलिखित टिप्पणी का मुख्यांश देना उपयोगी होगा :-

> '.....अनुच्छेद 30 (1) में निहित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की यह इच्छा पूरी होते हुए देखना है कि उनके बच्चों का पालन पोषण उचित प्रकार से तथा प्रभावी ढंग से हो तथा उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए वे योग्यता हासिल करें तथा संसार में वह ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ भली-भांति तैयार होकर प्रवेश करें जिससे कि वे सार्वजनिक सेवाओं, सामान्य पंथ निरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च शिक्षा देने वाले शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए स्वयं को उपयुक्त पाएं । इस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितार्थ अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 02 उद्देश्य निम्नानुसार है :-
>
> (i) ऐसे समुदाय को अपने धर्म और भाषा के संरक्षण के लिए योग्य बनाना तथा (ii) ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को सम्पूर्ण सामान्य अच्छी शिक्षा प्रदान करना। जब तक ये संस्थान उपर्युक्त उक्त दो उद्देश्यों को हासिल करके और हासिल करते हुए अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखते है तब तक वे संस्थान एक अल्पसंख्यक संस्थान बने रहेंगे ।

'अपनी पंसद' के शैक्षिक संस्थान की स्थापना के अधिकार का तात्पर्य वास्तव में ऐसे संस्थान स्थापित करना है जो कारगर ढंग से अपने समुदाय और अपने शिक्षण संस्थानों के लिए समर्पित विद्धतजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । (देखें ए आई आर 1958 एस सी 956)

यद्यपि, संविधान के अनुच्छेद 30(1) में उन शर्तों का उल्लेख नहीं है जिनके तहत किन्हीं अल्पसंख्यक संस्थाओं को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जा सकता है तथापि, अनुच्छेद 30 (1) अपने स्वरूप से ही यह अर्थ देता है कि जहाँ कहीं भी सम्बद्धता मांगी जाती है, वहां संबंधित विश्वविद्यालय बगैर किसी समुचित कारणों से इससे इंकार नहीं कर सकता अथवा न ही वह ऐसी शर्तें लगाने का प्रयास कर सकता है जिनसे शैक्षिक संस्थाओं का स्वायत्त शासी प्रशासन नष्ट होता हो। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा टी एम ए पाई फाऊडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481 में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है ।

इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि किसी सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय द्वारा अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत आने वाली किसी शैक्षिक संस्था को बैगर किसी न्यायसंगत और समुचित आधारों के सम्बद्धता देने से इंकार करना अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है ।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सांविधियों के अध्याय 23 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग कारणों और न्याय के भलीभांति स्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना होता है और न कि हल्के-फुल्के ढ़ग से अथवा स्वेच्छाचारी रूप में । इस संबंध में ईस्ट कोस्ट रेलवे बनाम महादेव आपा राव 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 4210 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला भी दिया जा सकता है जहां उच्चतम न्यायालय ने 'स्वेच्छाचारिता' शब्द के वास्तविक अर्थ को निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया है :-

> 18 'स्वेच्छाचारिता' शब्द की कोई सही-सही सांविधिक या अन्य परिभाषा नहीं है । कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य(एआइआर 1991 एससी 537):(1993 एआइआर एससीडब्ल्यू 77) में, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि "स्वेच्छाचारिता" शब्द के वास्तविक अर्थ का सही-सही उल्लेख करने या पारिभाषित करने की तुलना में अधिक सरलता से दृष्टिक रूप में कल्पना की जा सकती है और यह कि कोई कार्य स्वेच्छाचारी है या नही इसका निर्धारण किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ही किया जा सकता है । इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की किः
>
> > 'स्वेच्छाचारिता' के अर्थ और वास्तविक आयात की सही-सही उल्लेख करने या पारिभाषित करने की तुलना में अधिक सरलता से दृष्टिक रूप से कल्पना की जा सकती है । यह प्रश्न कि कोई आक्षेपित कार्रवाई स्वेच्छाचारी है अथवा नहीं, का अंततः उत्तर दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर दिया जा सकता है । एक स्पष्ट परीक्षण यह किया जा सकता है कि यह देखा जाए कि क्या आक्षेपित कार्रवाई से कोई विवेकपूर्ण सिद्धांत प्रकट होते हैं और यदि होते हैं, तो क्या वे तर्कसंगतता की कसौटी पर खरे उतरते हैं । जहाँ किसी कार्य को करने के लिए कोई पद्धति विहित की जाती है और उस प्रक्रिया का अनुसरण करने में कोई बाधा नहीं है, परन्तु जहाँ कार्य का निष्पादन अन्यथा उस रूप में किया जाता है जिससे कोई विवेकपूर्ण सिद्धांत प्रकट नही होते, जो कि युक्तियुक्त हों, तो उनसे स्वेच्छाचारिता का दोष होता है । राज्य द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई कारणों पर आधारित होनी चाहिए और इससे यह पता चलता है कि कारणों के बिना की गई कोई कार्रवाई स्वेच्छाचारी है । विधि के नियम में कानून द्वारा शासन संकल्पित है न कि किसी व्यक्ति की मनोदशा, सनक या चंचलता द्वारा जिसे तत्समय शासन का दायित्व सौंपा गया है । यह टिप्पणी की जा सकती है कि "आप कितने ही बड़े क्यों न हो जाए, कानून आपसे बड़ा ही रहेगा" । इन शब्दों को सत्ता में बैठे व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना होगा"

20. "किसी प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले आदेश में की गई स्वेच्छाचारिता को अलग-अलग रूपों में व्यक्त किया जा सकता है । किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने में अविवेकपूर्ण ढंग से काम करना उनमें से एक है । किसी लोक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से यह प्रकट होना चाहिए कि उसने विवेकपूर्ण ढंग से यह आदेश जारी किया है । किसी प्राधिकारी ने विवेकपूर्ण ढंग से कार्य किया है अथवा नहीं यह सर्वाधिक उपयुक्त रूप से उसके द्वारा जारी किए गए आदेश से प्रकट होता है । कोई भी प्रकटीकरण तभी सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जब उसके साथ उन कारणों का भी उल्लेख हो जिनके कारण प्राधिकारी ने विचाराधीन आदेश पारित किए हैं । प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कारणों की गैर-मौजूदगी अथवा उसी समय उन कारणों को दर्ज न कराने से स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि यह आदेश स्वेच्छाचारिता से जारी किए गए हैं अतः विधिक दृष्टि से ये टिक नही सकते ।"

इस मौके पर हमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई न्यायालय उस मामले पर कोई फैसला नहीं दे सकती जिस पर किन्हीं भी पक्षकारों ने अभिवचन तक न दिया हो । सैंट जेवियर्स कॉलेज (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि "किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता में वास्तव में दो भाग होते हैं, पहला भाग पाठ्यक्रम, अनुदेशन पाठ्यचर्चा, अध्यापकों की योग्यता, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, छात्रों की स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी स्थितियों से संबंधित होता है । यह भाग शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है । दूसरा भाग संस्थाओं के प्रबंधन से संबंधित निबंधनों और शर्तों से संबंधित है । यह शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित है ।" अतः सम्बद्धता का अर्थ है शिक्षा के स्तर को समन्वित व सौहार्दपूर्ण बनाने के प्रयोजन से संस्था में अनुदेशन पाठ्यक्रमों को विनियमित करना । अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के सम्बद्धता का प्रयोजन है शैक्षिक क्षेत्र में उनके बच्चों का विकास और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना । संबंधन मुख्यतः संस्था के अकादमिक तथा शैक्षिक स्वरूप से संबंधित है । अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाएं अपनी उपयोगिता खो देंगी यदि यूनिवर्सिटी डिग्रियों के लिए लड़कों-लड़कियों को यहां प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता । सम्बद्धता का प्राथमिक उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ रहे छात्र के पास डिग्रियों के रूप में आवश्यक योग्यता हो जो उनके जीवन में उपयोगी कैरियर के लिए आवश्यक है । जब तक छात्रों को डिग्री प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसी संस्था की किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता नहीं होती तब तक ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था की स्थापना न केवल अप्रभावी रहेगी बल्कि अवास्तविक भी रहेगी । कोई शैक्षिक संस्था तब तक कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकती है या व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीं हो सकती है जब तक कि यह किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध न हो अथवा इसे अन्यथा अन्य संस्थाओं की भांति मान्यता प्रदान न कर दी गई हो । अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदान किया गया अधिकार वास्तविक और अर्थपूर्ण स्वरूप का है । यह न तो कोई अमूर्त अधिकार है और न ही इसका प्रयोग शून्य में प्रयोग के लिए अभिप्रेरित है । अनुच्छेद 30 का प्रयोजन वास्तविक महत्व प्रदान करना था और इसका अर्थ इस प्रकार से लगाया जाना अनुमत नहीं है कि जिससे इसके महत्व की समाप्ति हो जाए । मान्यता या संबंधन के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित करने की अनुमति नहीं है जिनसे अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकार में बाधा का सामना करना पड़े ।

यह सुस्थापित है कि किसी संविधि के प्रत्येक खंड का अर्थ पाठ के संदर्भ में और अधिनियम के अन्य खंडों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, जहां तक संपूर्ण संविधि या मामले से संबंधित संविधियों की श्रृंखला के सुसंगत अधिनियमन के लिए संभव हो । संविधियों के अध्याय 23 में नए कॉलेजों और नए पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है । उक्त अध्याय

के नियम 6 में सम्बद्धता आदि के संबंध में प्राप्त आवेदन पर सिंडिकेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है । नियम 6 इस प्रकार है-

"सम्बद्धता आदि प्रदान करने की सिंडिकेट की शक्ति :-

(1) संबंधन चाहने वाले समस्त आवेदन पत्रों पर सिंडिकेट द्वारा उस शैक्षिक वर्ष की पूर्ववर्ती 31 मार्च के बाद विचार न किया जाए जिस वर्ष में कॉलेज/पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

(*सीनेट द्वारा 27.7.1985 को अनुमोदित किया गया संशोधन जिसे चांसलर ने 18.2.86 को सहमति प्रदान की, राजपत्र दिनांक 27.5.86) ।

(2) सिंडिकेट को विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे किसी कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार होगा जो छात्रों को विश्वविद्यालय की डिग्रियों, उपाधियों या डिप्लोमा के लिए तैयार करेगा और जो विश्वविद्यालय के नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करता होगा ।"

नियम 8 यह निर्धारित करता है कि यदि सिंडिकेट आवेदन पत्र पर आगे कार्रवाई करना चाहता है तो वह स्थानीय जांच किए जाने का आदेश देगा । नियम 9 विश्वविद्यालय को नए कॉलेज तथा नए पाठ्यक्रमों में संबंधन प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है । नियम 9 इस प्रकार है-

"सम्बद्धता प्रदान करना":-

(क) नए कॉलेज के प्रस्तावित स्थल के निरीक्षण के लिए/अथवा नया कॉलेज/पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए विद्यमान रहने वाली सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए विश्वविद्यालय एक आयोग की स्थापना कर सकता है, बशर्ते कि विश्वविद्यालय ने आवेदन पत्र पर अनुकूल रूप से विचार किया हो । आयोग प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता का निरीक्षण करेगा, भूमि पर प्रबंधन के मालिकाना अधिकार के संबंध में स्वत्व विलेखों का सत्यापन करेगा (और भवनों के संबंध में भी, यदि कोई हों), उपलब्ध कराए गए भवन आवास, यदि कोई हो, प्रबंधन की आस्त्यों, पंजीकृत निकाय तथा अन्य समस्त प्रासंगिक मामलों का सत्यापन करेगा । आवेदन पत्र पर आगे की कार्रवाई इस आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी ।

(ख) सम्बद्धता प्रदान करना यहां निर्दिष्ट की गई समस्त शर्तों या प्रस्तावित संस्था/अध्ययन पाठ्यक्रमों की संतोषजनक स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए बाद में निर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों तथा इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आयोग या आयोगों द्वारा दी गई निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर निर्भर करेगा ।

(ग) जब तक समस्त शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक अगला शैक्षिक वर्ष आरंभ होने से पूर्व, उस वर्ष के दौरान किसी नए कॉलेज/अथवा अतिरिक्त पाठ्यक्रम को शुरू किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ।

(घ) शैक्षिक एजेंसी/प्रबंधन, प्रधानाचार्य या अन्य कोई व्यक्ति या उनकी ओर से दूसरे कोई लोग, स्टाफ में नियुक्ति के लिए न तो उम्मीदवारों से और नही कॉलेज में दाखिले के लिए छात्रों से किसी दान (डोनेशन) की मांग करेंगे या उसे प्राप्त करेंगे ।

(ड) कॉलेज के संबंध में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा थोपी या जारी की जाने वाली स्टाफ, उपस्करों, पुस्तकालय, वाचन-कक्ष, खेल के मैदानों, छात्रावास आदि से संबंधित शर्तों और अनुदेशों का पालन करने के लिए प्रबंधन तैयार रहेगा ।

(च) शैक्षिक एजेंसी/प्रबंधन विश्वविद्यालय को यह वचन देगा कि वह निष्ठापूर्वक विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रावधानों का और समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का निष्पादन करेगा, जहां तक ये कॉलेज से संबंधित होंगे । कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा इस वचन को अभिसमर्थित किया जाएगा।

(छ) स्थानीय जांच की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरांत और आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच के उपरांत तथा सरकार के मत का अभिनिश्चयन करने के बाद सिंडिकेट यह निर्णय करेगा कि सम्बद्धता प्रदान किया जाए या नहीं और पूर्ण संबंधन प्रदान किया जाए या आंशिक । यदि सम्बद्धता प्रदान किया जाता है तो इस तथ्य की सूचना सीनेट को उसकी अगली बैठक में दी जाएगी ।"

नियम 19 में उन शर्तों का निर्धारित किया गया है जिनका पालन सम्बद्धता प्राप्त कॉलेजों को करना है । यह नियम यह समादेश देता है कि विश्वविद्यालय से संबंधित प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के कानूनों में निहित प्रावधानों का यथोचित पालन करेगा । नियम 26 में उन शर्तों को निर्धारित किया गया है जिनका पालन संबंधन प्राप्त करने के लिए करना आवश्यक है । नियम 26 इस प्रकार है :-

सम्बद्धता प्राप्ति के लिए अनुपालित किए जाने वाले मामले :

(1) प्रत्येक कॉलेज सिंडिकेट की निम्नलिखित मामलों को लेकर संतुष्टि करेगा :-

(i) कि यदि कॉलेज शुरू हो जाता है तो स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करेगा । प्रदान की जाने वाली शिक्षा के प्रकार तथा आस-पड़ोस में समान प्रकार की शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा स्थान उपयुक्तता को कॉलेज ध्यान में रखेगा ।

(ii) भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य उपस्करों की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता ।

(iii) टीचिंग स्टाफ का चरित्र, योग्यताएं और पर्याप्तता तथा उनकी सेवा शर्ते ।

(iv) जिस भवन में कॉलेज अवस्थित होना है वे उपयुक्त हैं और यह प्रावधान कॉलेज में निवास के लिए विश्वविद्यालय के कानूनों के अनुरूप या कॉलेज द्वारा अनुमोदित लॉजिंग के अनुरूप है, यदि छात्र अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ नहीं रह रहे हैं तथा पर्यवेक्षण और छात्रों के कल्याण के लिए ।

(v) ऐसे अन्य मामले जो विश्वविद्यालय शिक्षा के स्वरूप और मानक के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य हैं ।

(2) खण्ड(1) में वर्णित मामलों के संबंध में सिंडिकेट का मार्गदर्शन आयोग की निरीक्षण रिपोर्टें तथा आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले नियम करेंगे ।

नियम 26 का उप-नियम(1) यह उपबंधित करता है कि यदि कॉलेज शुरू हो जाएगा तो वह स्थानीय क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा, शिक्षा के लिए उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा और स्थान विषयक वैसी ही उपयुक्तता प्रदान करेगा जैसा कि आस-पास की शैक्षिक संस्थाएं कर रही हैं । उपनियम(2) यह उपबंधित करता है कि खंड(1) में संदर्भित मामलों के संबंध में, निरीक्षण आयोग की रिपोर्टें सिंडिकेट का मार्गदर्शन करेंगी और वे नियम मार्गदर्शन करेंगे जो इसके द्वारा निर्धारित किए गए हों । सांविधिक अधिनियमन के निहितार्थ से सामान्य तौर पर उसके साधारण अर्थ के अनुसार अर्थ लगाया जाए और जब तक किसी प्रावधान को अबोधगम्य विसंगत, अतार्किक, अव्यावहारिक या संविधि के पाठ के अनुसार पूर्णतया बेमेल होने से बचाने के लिए ऐसा करना निहायत आवश्यक न हो तब तक इसमें कोई शब्द जोड़ा, बदला या संशोधित न किया जाए । भावनगर यूनिवर्सिटी बनाम पालिटाना शुगर मिल (प्रा.) लिमि. ए आई आर 2003 एससी 511 । हम किसी सांविधिक प्रावधान में कुछ जोड़ या संशोधन नहीं कर सकते । संविधि के किसी प्रावधान में शब्द जोड़ने या अंतराल भरने या कोई कमी दूर करने की अनुमति नहीं है । नियम 26 के खंड(i) में वर्णित मामलों के संबंध में संविधि में ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ दर्शाता हो या सुझाता हो, सिंडिकेट का मार्गदर्शन केरल उच्चतर शिक्षा परिषद के निदेशों या राज्य सरकार की अन्य किसी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा । इसके विपरीत, संविधियों की योजना स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि किसी नए कॉलेज या नए पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अपने कानूनों द्वारा मार्गदर्शित होगी ।

केरल उच्चतर शिक्षा परिषद के उक्त निदेशों पर निर्भर करते हुए प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रबल आग्रह किया है कि किसी नए कॉलेज को संबंधन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय, केरल उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्वांतों का पालन करने के लिए बाध्य है । हमारे विचार से पूर्वोक्त स्थापना में अधिक बल नहीं है । यह सुस्थापित है कि किसी संविधि के प्रत्येक खंड से संदर्भ तथा अधिनियम के अन्य खंडों के अनुसार अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि जहां तक संभव हो सके मामले से संबंधित संपूर्ण संविधि या संविधि श्रृंखला का सुसंगत अधिनियमन किया जा सके(भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पलिटाना शुगर मिल) ।

संविधियों के अध्याय 23 में वर्णित प्रावधानों को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी नए कॉलेज को संबंधन प्रदान करने संबंधी मामलो पर तत्संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय किया जाना चाहिए और इस संबंध में केरल उच्चतर शिक्षा परिषद की कोई भूमिका नहीं है । संविधियों के अध्याय 23 में, संबंधन प्रदान करने के संबंध में उक्त परिषद की कोई भूमिका अनिवार्यतः निहित नहीं है । इसका अर्थ यह हुआ कि संदर्भ किसी कल्पित निहितार्थ का पक्ष नहीं लेता । यदि विधानमंडल का किसी नए कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान करने से संबंधित कोई नई भूमिका केरल उच्चतर शिक्षा परिषद को सौंपने का अभिप्रायः था तो संविधियों के अध्याय 23 में वह स्पष्ट रूप से अपनी यह इच्छा व्यक्त कर सकता था । ऐसी स्थिति में, उक्त परिषद द्वारा जारी किसी कार्यकारी आदेश से संविधियां अपना अर्थ ग्रहण नहीं कर सकतीं । इसके अन्यथा माने जाने पर कानूनी रूप से अनुमेय सीमा का अतिलंघन माना जाएगा, क्योंकि हम किसी सांविधिक

प्रावधान में कुछ जोड़ या संशोधित नहीं कर सकते । संविधि के किसी प्रावधान में कोई शब्द जोड़ने या अंतराल भरने या कोई त्रुटि सुधारने की अनुमति नहीं है ।

यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक किसी डिग्री कॉलेज को किसी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में शामिल नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारों द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती । यदि किसी असंबद्ध डिग्री कॉलेज को राज्य सरकार मान्यता प्रदान करती है तो इससे संविधियों का अध्याय 23 अनावश्यक हो जाएगा । सेंट जेवियर कॉलेज, अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य 1974(1) एससीसी 717 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सम्बद्धता एक सांविधिक संकल्पना है और किसी संविधि द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है । माननीय न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी दिया है कि कोई संबंधन प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय केवल इस आधार पर किसी अल्पसंख्यक संस्था को संबंधन प्रदान करने से मना नहीं कर सकता कि इसका प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मनमाने या अतार्किक आधार पर किया जाता है । ऐसी मनाही अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन होगी और न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दी जाएगी । पुनः अनुच्छेद 13(2) राज्य को अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से छीनने या संक्षिप्त करने से भी निषेध करता है। चूंकि राज्य अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रत्यक्ष कप से छीन या कम नही कर सकता, अतः राज्य ऐसी शर्तों पर भी सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिकार को छीन या संक्षिप्त नहीं कर सकता क्योंकि इससे निषिद्ध परिणाम निकलेंगे । (देखें केरल शैक्षिक विधेयक, एआईआर एस सी 1957)। प्रतिवादी विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत राज्य है ।

इस बात पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि 26.10.09 को याचिकाकर्ता कॉलेज ने सम्बद्धता प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी को आवेदन किया था । दिनांक 10.06.10 के पत्र द्वारा प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने याचिकाकर्ता कॉलेज को, निरीक्षण आयोग द्वारा सिफारिश न किए जाने के आधार पर उक्त आवेदन को खारिज करने के बारे में सूचित किया । याचिकाकर्ता कॉलेज को उक्त निर्णय की सूचना देने में हुए अत्यधिक विलंब के बारे में प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । सम्बद्धता प्रदान करने के आवेदन को खारिज कर देने के कारणों का अभिनिश्चयन करने के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 23.7.10 को आवेदनपत्र दाखिल किया । दिनांक 30.7.10 के पत्र द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता कॉलेज को सूचित किया कि निम्नलिखित कारणों से उसका आवेदन रद्द किया गया था :

(क) अनेक शैक्षिक संस्थाएं मुक्काम और आसपास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं ।

(ख) अधिकांश कॉलेजों में पुरूष छात्रों की अपेक्षा महिला छात्राएं अधिक हैं और किसी अन्य महिला कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं हैं ।

प्रतिवादी विश्वविद्यालय के दिनांक 10.6.10 के पत्र में आवेदन खारिज किए जाने के पूर्वोक्त आधारों को शामिल न किए जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इससे यह अनुमान होता है कि याचिकाकर्ता कॉलेज को दिनांक 30.7.10 के पत्र द्वारा आवेदन खारिज करने के जो आधार दिए गए हैं वे केवल पश्चविचार हैं । इसके अलावा, खारिज किए जाने के पूर्वोक्त आधार संविधान के अनुच्छेद 30(1) का सीधा उल्लंघन करते है क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं ।

काउंटर के पैरा संख्या 4 में यह अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण किए जाने के समय आयोग को दिनांक 18.12.2007 के ज्ञापन सं. 571/07/ एचईडीएन काउंसिल में निहित केरल उच्चतर शिक्षा परिषद के आदेशों का पालन करना होता है । इसमें से एक आदेश यह है कि यदि 20 कि.मी. परिधि में समान श्रेणी (आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिग, मेडिकल, एप्लाइड साइंस, मैनेजमेंट इंस्टीटुयूशंस आदि) के कॉलेज पहले से ही मौजूद हैं तो नए कॉलेज मंजूर करने की जरूरत नहीं है । हमने पहले ही यह निर्णय दे दिया है कि केरल उच्चतर शिक्षा परिषद् की, संविधियों के अध्याय 23 के अंतर्गत किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं है ।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा 6 मे विशेष रूप से यह दलील दी है कि "याचिकाकर्ता ने मुक्काम में प्रस्तावित नए कॉलेज को अनुमति प्रदान करने के लिए समस्त मानदंडों और आवश्यकताओं की पूर्ति की है । याचिका के पैरा 7 में यह दलील दी गई है कि "याचिकाकर्ता अत्यधिक प्रतिष्ठित समर्पित और संपन्न सोसाइटी है और इसकी यह इच्छा है कि मुस्लिम समुदाय, विशेषकर लड़कियों की सहायता की जाए और इसलिए प्रतिवादी को उक्त प्रस्ताव भेजा गया है । याचिकाकर्ता केरल राज्य में प्राथमिक स्कूलों के स्तर की अनेक संस्थाएं चला रहा है ।" प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा इन तथ्यों का विशेष रूप से खंडन नहीं किया गया है । याचिका के पैरा 9 में यह तर्क दिया गया है कि, "यह विलंब तथा आवेदन खारिज करने के किसी कारण का उल्लेख न करना प्रतिवादी के गैर-कानूनी और मनमाने रवैये को उपयुक्त रूप से दर्शाता है ।" पैरा 9 के इन प्रकथनों का भी प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा खंडन नहीं किया गया है । याचिका के पैरा 13,14,15,16,17 और 18 में किए गए प्रकथनों का संदर्भ भी लिया जाए जो इस प्रकार हैं :-

13. कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए कारण पूर्णतया असत्य हैं । यह बात अभिलेखबद्ध है कि याचिकाकर्ता के प्रस्तावित कॉलेज के निकट कोई महिला कॉलेज नहीं है । आस-पास के क्षेत्र में एकमात्र महिला कॉलेज अंसारी कॉलेज आफ आर्ट्स फॉर वूमेन, दयापुरम, छठमंगलम है और यह 15 किमी. की दूरी पर है । अतः किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अन्य कोई महिला कॉलेज नहीं चलाया जा रहा है । अतः यह बयान पूर्णतया असत्य है ।

14. यह बात अभिलेखबद्ध है कि 6 से 7 किमी. की दूरी पर दो अन्य सह-शिक्षा कॉलेज हैं जो इस प्रकार हैं :

    (क) एम ए एम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मानास्सेरी ।

    (ख) एस एस एम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, नेलीक्कापाराम्बा, करास्सेरी पंचायत।

15. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिकांश मुस्लिम युवतियां महिला कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं और 15 किमी. दूर कभी नहीं जाएंगी, जो कि निकटतम महिला कॉलेज की दूरी है । उक्त कॉलेज का गुजारा इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के स्कूलों के बल पर होता है ।

16. प्रस्तावित कॉलेज के परिसर में उच्चतर माध्यमिक स्कूल है जिसका संचालन याचिकाकर्ता करता है और जो प्रस्तावित कॉलेज को फीड करेगा तथा कम ड्रॉप-आउट सुनिश्चित करेगा ।

17. कि याचिकाकर्ता न तो कोई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेगा और न ही वह कोई मदद या सहायता चाहता है ।

18. प्रतिवादी विश्वविद्यालय का आचरण उचित और तर्कसंगत नहीं है और मुस्लिम समुदाय के भीतर शिक्षा के विकास के लिए प्रेरक नहीं है ।

सी पी सी के आदेश 8 का नियम 3 यह उपबंधित करता है कि वाद पत्र में अभिकथित आधारों का सामान्य खंडन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक आरोप को विशेष रूप से निपटाना होगा । नियम 3, 4 और 5 एकीकृत संहिता का निर्माण करते हैं जो उस मामले का निपटान करेगी जिसमें वादपत्र के आरोपों को आधार बनाया गया है और इसका अनुपालन न होने के कारण जो परिणाम निकले हैं उनको वर्णित किया गया है । वादपत्र के आधार का जो मुख्य आरोप निर्माण करते हैं उनसे इस प्रकार निपटा जाना चाहिए और उनका स्पष्ट रूप से खंडन किया जाना चाहिए । जिन तथ्यों पर विशेष रूप से कार्रवाई नहीं की गई उनको स्वीकृत माना जाएगा, यह पुराना कानून है कि यदि तथ्य का खंडन स्पष्ट न होकर बहानों से भरा है तो तथ्य को स्वीकृत माना जाएगा । आदेश 8 सी पी सी का नियम 5 दलीलों के इस कार्डिनल सिद्धांत को प्रवर्तित करता है कि दावों के बयान में या प्रति-दावे में प्रत्येक तथ्य आरोप का विशेष रूप से वर्णन किया जाए अन्यथा उसे स्वीकृत माना जाएगा । इस नियम को ऐसा नियम माना जाता है कि जहां बिना विशेष खंडन के कोई महत्वपूर्ण प्रकथन पारित किया जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया माना जाता है ।

परिणामत; प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को स्वीकार कर लिया माना जाएः-

(i) कि याचिकाकर्ता सोसाइटी राज्य में पहले ही अनेक संस्थाओं का संचालन कर रही है ;

(ii) कि मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से लड़कियों की मदद करने के लिए याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय को नए कॉलेज को संबंधन प्रदान करने के लिए आवेदन किया था;

(iii) कि याचिकाकर्ता के प्रस्तावित कॉलेज के आसपास कोई महिला कॉलेज नहीं है ।

(iv) कि आसपास के क्षेत्र में एकमात्र महिला कॉलेज, अंसारी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दयापुरम है और वह 15 किमी. की दूरी पर है ।

(v) कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने दो अन्य सह-शिक्षा कॉलेजों एम ए एम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मानास्सेरी तथा एसएसएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस नेल्लीक्कापाराम्बा, कारास्सेरी पंचायत को संबंधन प्रदान किया है जो 6 से 7 किमी. की दूरी पर स्थित है ।

(vi) अधिकांश मुस्लिम युवतियां महिला कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं और वे किसी अन्य महिला कॉलेज में पढ़ने के लिए 15 किमी. दूर कभी नहीं जाएंगी ।

(vii) कि प्रस्तावित कॉलेज के पड़ोस में उच्चतर माध्यमिक स्कूल है जिसका संचालन याचिकाकर्ता करता है और जो प्रस्तावित कॉलेज को फीड करेगा और कम ड्रॉप-आऊट सुनिश्चित करेगा

(viii) कि प्रस्तावित कॉलेज कोई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करेगा;

(ix) कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय का आचरण मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के विकास के लिए उचित व अनुकूल नहीं है ।

अब, यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने 6 से 15 किमी. की परिधि में स्थित विभिन्न कॉलेजों को सम्बद्धता प्रदान किया था । प्रतिवादी विश्वविद्यालय से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्यों दिनांक 18.12.07 के ज्ञापन सं. 571/07/एच.ईडीएन. काउंसिल में निहित अनुदेशों का, जो केरल उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा जारी किए गए, उक्त कॉलेजों को सम्बद्धता प्रदान करते समय पालन नहीं किया गया । संबंधन प्रदान करने के आवेदन को खारिज करने में उक्त निदेशों का पालन करने के लिए केवल याचिकाकर्ता कॉलेज को ही क्यों चुना गया । इसके अलावा, केरल उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा उस कॉलेज की 20 किमी. की परिधि में किसी अन्य कॉलेज को मंजूरी न देने के संबंध में लगाया गया प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत मूल अधिकार को वास्तव में नकारना है । यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय किसी अल्पसंख्यक संस्था को उसकी पसंद की शैक्षिक संस्था की स्थापना करने से रोक सकती है । प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा कोई ठोस स्पष्टीकरण न दिए जाने से हमें बाध्य होकर उसके विरूद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाना पड़ रहा है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी यूनिवर्सिटी ने जानबूझ कर सम्बद्धता प्रदान करने का याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया था । यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 14 की मूलभूत आवश्यकता यह है कि राज्य के कार्य में निष्पक्षता हो और मूलतः तथा सारभूत रूप में गैर-मनमानी निष्पक्षता का पर्याय है । बन्नारी अम्मान शुगर्स लिमि. बनाम सी टी ओ(2005)/एसएस सी 625 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कोई आक्षेपित कार्रवाई मनमानी है या नहीं इसका निर्णय अंततः मामले की परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर किया जाएगा । ऐसे मामलों में लागू की जाने वाली बुनियादी तथा स्पष्ट जांच यह देखना है कि क्या आक्षेपित कार्रवाई से कोई बोधगम्य सिद्धांत है उत्पन्न होता है या नहीं और यदि है तो क्या वह वास्तव में युक्तियुक्त है । अनुच्छेद 14 के अत्यधिक सक्रिय आयाम हैं और इसमें यादृच्छिकता के विरूद्ध प्रत्याभूति निहित है । यह अनुच्छेद राज्य के कृत्यों में यादृच्छिकता को नियंत्रित करता है और व्यवहार की निष्पक्षता व समानता सुनिश्चित करता है । इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए हम यह पाते और निर्णय करते हैं कि दिनांक 10.6.10 का आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 से भी प्रभावित होता है ।

जैसा कि पहले कहा गया है याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा संख्या 18 में विशेष रूप से यह दलील दी है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय का आचरण मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए उचित तथा सहायक नहीं है और प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने इन प्रकथनों का खंडन नहीं किया है । प्रतिवादी विश्वविद्यालय का यह रवैया संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए पूर्णतः विनाशकारी है । प्रतिवादी विश्वविद्यालय का ऐसा रवैया अलगाववादी प्रवृत्तियों को तथा क्षेत्रीयवाद और संकीर्णतावाद को जन्म देगा जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी हैं । हमने पहले भी यह कहा है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने पहले 6 से 15 किमी. की परिधि के भीतर स्थित कुछ कॉलेजों को सम्बद्धता प्रदान किया था । प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने अवसंरचनात्मक या शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता के आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज नहीं किया है । इस स्थिति में याचिकाकर्ता के विरूद्ध शत्रुतापूर्ण भेदभाव और मनमानी का स्पष्ट मामला बनता है ।

स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संस्था के साथ प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान किए जाने के मामले में भेदभाव हुआ है । समानता की संकल्पना कोई अव्यावहारिक अभिगम नहीं है । यह बांधने वाला वह

सूत्र है जो समूची संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है । हम संवैधानिक नैतिकता को अनदेखा नहीं कर सकते जिसमें समानता का सिद्धांत निहित है । यदि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान नहीं किया जाता है तो समानता का अधिकार अपना समूचा प्रयोजन व महत्व खो देगा । अतः आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 पर आघात करता है ।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्रतिवादी विश्वविद्यालय के शुत्रतापूर्ण रवैये को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक वर्ष 2010-11 के लिए सम्बद्धता प्रदान करने के आवेदन पत्र को खारिज करने की मनमानी और गैर-कानूनी कार्रवाई के कारण याचिकाकर्ता को हानि नहीं होने दी जा सकती । परिणामतः अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत याचिका अनुमत है और दिनांक 10.6.10 का आक्षेपित आदेश एतद्वारा खारिज किया जाता है । प्रतिवादी विश्वविद्यालय को एतदद्वारा ऊपर की गई समुक्तियों के प्रकाश में, सम्बद्धता प्रदान करने के लिए संविधियों के अध्याय 23 के अंतर्गत, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया जाता है और यह आदेश भी दिया जाता है कि इस आवेदन को शैक्षिक वर्ष 2011-12 के लिए सम्बद्धता प्रदान करने के लिए दाखिल किया गया आवेदन माना जाए ।

2009 का मामला संख्या 356

एक अल्पसंख्यक संस्था द्वारा नए उर्दू जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य को निदेश देने के लिए याचिका ।

याचिकाकर्ता : इकरा एजुकेशन सोसाइटी, पुसाद, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र

प्रतिवादी : 1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई-32 (महाराष्ट्र)

2. सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई

3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), केन्दीय भवन, पुणे

4. शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला परिषद, गोधानी रोड, जिला-यवतमाल, महाराष्ट्र

इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्त्ता ने प्रतिवादी को यह निदेश दिये जाने की मांग की है कि वे उसे पसाड़ जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में एक नया उर्दू जूनियर कॉलेज आफ आर्ट्स एंड साइंस खोले जाने की अनुमति प्रदान करें । याचिकाकर्त्ता ने वर्ष 2008-09 मे एक नया उर्दू जूनियर कॉलेज खोलने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, यवतमाल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि 1) याचिकाकर्त्ता सासायटी के पास पर्याप्त निधि नहीं थी 2) कि सोसायटी ने नई लेखा-परीक्षा रिपोर्टें जमा नहीं की थी और 3) यह कि सोसाइटी ने अन्य उर्दू माध्यम के स्कूलों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा नही किए थे । यह अभिकथित है कि प्रस्तावित कॉलेज चलाने के लिए याचिकाकर्त्ता के पास पर्याप्त निधियां है, और यह कि लेखा-परीक्षा रिपोर्टें की प्रतियां और अन्य उर्दू माध्यम के स्कूलों के अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्ताव के साथ जमा कर दिए गए थे परन्तु याचिकाकर्ता का प्रस्ताव मनमाने तरीके से अस्वीकार कर दिया गया । यह भी अभिकथित है कि प्रस्ताव को अस्वीकार करने मे प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

इस याचिका का प्रतिरोध इस आधार पर किया गया है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन करने पर पर्याप्त निधियों के अभाव, अद्यतन लेखा-परीक्षा रिपोर्टें न दाखिल करने और स्थानीय क्षेत्र के उर्दू माध्यम के अन्य जूनियर कॉलेजो का अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने के कारण इस प्रस्ताव की संस्तुति नही की गई थी । यह भी अभिकथित है कि जिला स्तरीय समिति की सिफारिशों पर कार्य करते हुए, राज्य स्तरीय समिति ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था ।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को देखते हुए, विचारार्थ मुद्दा यह उत्पन्न होता है कि क्या याचिकाकर्त्ता के प्रस्ताव को नामंजूर करने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है ?

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एस सी 959) के साथ प्रारंभ करते हुए तथा पी ए ईमानदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 6 एससी सी 537 द्वारा पराकाष्ठा तक पहुचते हुए उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों की एक श्रृंखला ने मौजूदा रुप में विधि का निर्धारण किया है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) पर आधारित निर्णय विधि के सम्पूर्ण ढांचे को केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है (ऊपर)। संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'उनकी पसंद' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा संचालन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पंसद के शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए । इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है । यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है जो कि संविधान के अध्याय III के अधीन किए गए इन प्रावधानों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

"विचाराधीन अनुच्छेद 30(1) का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द,अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य ऊपर मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगा :

'.....अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसंद के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

अपने प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्त्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि सोसायटी के नाम पर सेंट्रल बैंक

ऑफ इंडिया में 2 लाख की धनराशि जमा करा दी गई थी और एक लाख की धनराशि सावधि जमा के रूप में रखी हुई है । बैंक द्वारा जारी पत्रों की प्रतियां प्रतिवादी को प्रस्तुत कर दी गई थी । यह भी अभिकथित है कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 की लेखा-परीक्षा रिर्पोटें और उस क्षेत्र के अन्य उर्दू जूनियर कॉलेजों के अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्ताव के साथ जमा करा दिए गए थे ।

इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता है कि प्रतिवादी ने उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है । याचिकाकर्त्ता ने उक्त दस्तावेजों की प्रतियां भी आयोग के समक्ष रखी हैं । इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह निर्णय देते हैं कि उस इलाके में प्रस्तावित उर्दू माध्यम का जूनियर कॉलेज खोले जाने के लिए याचिकाकर्त्ता सोसायटी के पास पर्याप्त निधियां हैं बशर्ते कि प्रस्तावित कॉलेज की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया जाए और इस प्रकार याचिकाकर्त्ता सोसाइटी के प्रस्ताव को नामंजूर करने में प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का स्पष्ट रूप में उल्लंघन है । इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को यह सिफारिश की जाती है कि वे पसाड़, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में उर्दू जूनियर स्कूल की स्थापना से संबंधित याचिकाकर्त्ता सोसाइटी द्वारा प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए राष्ट्रीय अल्पनसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम की धारा 11 (ख) के अनुसार आयोग के निष्कर्षों का कार्यान्वयन करें ।

अध्याय - 9 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ और आयोग की सिफारिशें

आयोग ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े मामलों को अलग-अलग राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया है । इन मुद्दों में अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र देना, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सरकारी स्कूलो में उर्दू शिक्षकों की तैनाती शामिल है ।

असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, असम सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित विभाग को अनुदेश जारी किए हैं । उक्त सरकारी सिफारिशों का संगत सार नीचे दिया गया है-

> "इस परिप्रेक्ष्य में मुझे यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि असम राज्य में अच्छी तादाद में अल्पसंख्यक आबादी है और राज्य सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारी न केवल अल्पसंख्यकों के संवैघानिक अधिकारों को लेकर जागरूक हैं बल्कि वे इन मुद्दों से जुड़ी संवेदनशीलताओं के बारे में भी पर्याप्त रूप से चिंतित हैं । जहॉ तक असम राज्य सरकार का संबंध है, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों से संबंधित केवल एक ही मामला था और इस मामले में आयोग का अंतिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार ने अपनी राय माननीय आयोग के समक्ष रख दी है । एक बार आयोग का आदेश मिल जाने पर, राज्य सरकार निस्संदेह रूप से माननीय आयोग के आदेश का पूरी निष्ठा से पालन करेगी"।

माननीय अध्यक्ष, रा0 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को दर्जा प्रमाणपत्र दिए जाने का मुद्दा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ उठाया था । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आयोग से मिले सुझाव के आधार पर राज्य सरकार ने "मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रक्रिया-2007" में संशोधन हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी है ।

अध्याय 10 – अल्पसंख्यकों की शिक्षा के एकीकृत विकास के लिए सिफारिशें

रा अ शै सं आ अधिनियम, 2004 की धारा 11 के अनुसार, अन्य कार्यों के अतिरिक्त आयोग :

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी प्रश्न पर, जो उसे निर्देशित किया जाए, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना

(ख) अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका उल्लंघन किए जाने और किसी विश्वविद्यालय से सह संबद्धता से संबंधित किसी विवाद के बारे में किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था या उसकी ओर से अन्य किसी व्यक्ति से शिकायतों की अपनी ओर से या उसे प्रस्तुत की गई किसी याचिका पर जांच पड़ताल करना,

(ग) किसी न्यायालय के समक्ष ऐसे न्यायालय की अनुमति से अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका उल्लंघन किए जाने से संबद्ध किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।

आल असम एजुकेशन यूथ एसोसिएशन ने असम राज्य में 25% उर्दू बोलने वाली आबादी होने की शर्त समाप्त करते हुए उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु मौजूदा नियमों को संशोधित करने की एक याचिका दाखिल की । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है । असम में ऐसे जिलों की संख्या अनेक है जहॉ अल्पसंख्यक आबादी बड़ी संख्या में है और मुस्लिम आबादी के बच्चों को प्राइमरी इस्लामिक (मकतबे) स्कूलों में भेजा जाता है जिनमें उर्दू सिखाई जाती है । तथापि, समान्य शिक्षा में उनके प्रवेश के पश्चात उन्हें उर्दू विषय सीखने का अवसर नही मिलता । यह मूलतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियत इन मानकों के कारण है कि उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 25% उर्दू बोलने वाली आबादी होना जररी है । याचिकाकर्त्ता ने आयोग से यह अनुरोध किया कि वे इस शर्त्त को समाप्त करने के लिए और असम में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों मे उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इसकी सिफारिश करें ।

इन मुद्दों की विस्तार से जांच करने और शिक्षा विभाग, असम सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने यह पाया कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता देने का वर्तमान मानदंड ऐसे इलाके के लिए है जहॉ उर्दू बोलने वाली आबादी 25% है । यह वित्तीय सहायता अगली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक अनुमत है । इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उर्दू पढाने के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति/वर्तमान शिक्षकों को मानदेय का भुगतान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता देना है जिससे कि जहॉ कहीं भी आवश्यक हो, राज्यों/संघ क्षेत्रों में उर्दू विषय पढाया जा सके । योजना के प्रावधानों के अनुसार प्राइमरी और ऊपरी प्राइमरी चरण पर एसएसए मे उन मौजूदा उर्दू माध्यम के स्कूलों को सहायता दी जा सकती है जहॉ शिक्षकों की कमी है

या एसएसए के नियमों के अनुसार नए उर्दू माध्यम के स्कूलों को यह सहायता दी जा सकती है । तथापि, एसएसए मे शिक्षकों की कमी वाले मौजूदा गैर उर्दू माध्यम वाले स्कूलों को सहायता नही दी जा सकती, चाहे वे स्कूल ऐसे इलाके में ही क्यों न हों जहॉ उर्दू बोलने वाली आबादी 25% या उससे अधिक ही है । इस योजना द्वारा ऐसे स्कूलों की सहायता की जा सकती है । इस योजना में मदरसों के माध्यम से उर्दू पढाने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान नही है । असम सहित सभी राज्य सरकारों से दिनांक 30.3.10 के पत्र द्वारा उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है । व्यवहार्य प्रस्तावों के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

विस्तृत जांच-पडताल के पश्चात, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 25% उर्दू बोलने वाली आबादी होने की शर्त संदर्भाधीन योजना के कार्यान्वयन में बाधा बन रही है ।

अतः आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संस्तुति की कि वे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 25% उर्दू बोलने वाली आबादी की उपलब्धता होने की अनिवार्य शर्त समाप्त कर दें ।

राज्य सरकार को जारी निदेशो के आधार पर, बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग ने अपने फा सं 10/1-05/11 369 दिनांक 27/4/2011 द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशकों को निदेश जारी कर दिए हैं । उक्त पत्र की प्रति अनुबन्ध-I पर है ।

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश, असम राज्य सरकार और हरियाणा राज्य सरकार ने भी रा.अ.शै.सं. आ. द्वारा जारी आदेशों के कार्यान्वयन हेतु संबंधित विभागों को निदेश जारी कर दिए हैं । उक्त आदेशों की प्रतियां अनुबन्ध-II पर है ।

अध्याय 11 – अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन या वंचन के दृष्टांत

संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों के उनके धर्म या भाषा के आधार पर अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन का अधिकार दिया गया है । अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत अधिकार उनके धर्म पर विचार किए बिना भाषायी अल्पसंख्यकों को उपलब्ध है । अतः अनुच्छेद 30 से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का अपवर्जन संभव नही है ।

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एस सी 959) के साथ प्रारंभ करते हुए तथा पी ए ईमानदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 6 एससी सी 537 द्वारा पराकाष्ठा तक पहुचते हुए उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों की एक श्रृंखला ने मौजूदा रुप में विधि का निर्धारण किया है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) पर आधारित निर्णय विधि के सम्पूर्ण ढांचे को केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है (ऊपर)। संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'उनकी पसंद' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा संचालन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पंसद के शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए । इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है । यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है जो कि संविधान के अध्याय III के अधीन किए गए इन प्रावधानों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अर्थपूर्ण प्रयोग का तात्पर्य उन प्रभावी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने के अधिकार से होना चाहिए जो इन पर निर्भर अल्पसंख्यकों तथा विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकें । राज्य अथवा विनियामक प्राधिकरण को विनियम निर्धारित करने की अनुमति है, तथा किसी भी अल्पसंख्यक संस्था द्वारा संबद्धता तथा मान्यता चाहने तथा बनाए रखने से पहले इन विनियमों का पालन करना चाहिए परन्तु ऐसे विनियमों

से संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए । इस प्रकार दो उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है- यह कि संस्थान की उत्कृष्टता के मानक सुनिश्चित रहें तथा यह कि अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण बना रहे । इन दोनो उद्देश्यों को सम्मिलित तथा समायोजित करने वाले विनियमों को विसंगत समझा गया (देखें टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य) 2002(8) एससीसी 481) । टी एम ए पाई फाउंडेशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संबद्धता तथा मान्यता प्रत्येक ऐसे संस्थान के लिए उपलब्ध करानी होगी जो ऐसी संबद्धता तथा मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा करते हैं । इसके अलावा, अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार विधायिका और कार्यपालिका को यह कर्त्तव्य आक्षेपित करते हैं कि वह ऐसी कोई विधि बनाने तथा कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से बचें जिससे उनके अधिकारों में कमी आती हो ।

वर्ष के दौरान निर्णीत कुछ मामले निम्नलिखित हैंः-

2010 का मामला सं 775

एक अल्पसंख्यक संस्था के उन्नयन के लिए अनुमति देने हेतु राज्य को निदेश देने की याचिका

याचिकाकर्त्ता : शहीद अशफकउतला खान बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, अपने प्रधान प्रबंधक, ताल्लुक,कारंजा (लाड़) जिला वाशिम, महाराष्ट्र

प्रतिवादी : 1. शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, वाशिम, ताल्लुक एवं जिला वाशिम, (महाराष्ट्र)

2. प्रधान सचिव एवं विशेष जांच अधिकारी-II, सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई-32 (महाराष्ट्र)

इस याचिका द्वारा शहीद अशफकउल्लाह खान बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, ताल्लुक करंजा (लैड), जिला वाशिम महाराष्ट्र ने याचिकाकर्त्ता स्कूल का उन्नयन कर उच्च माध्यमिक स्कूल करने और उसमे विज्ञान और कला विषयों को प्रारंभ करने की अनुमति मिलने सहित महाराष्ट्र सरकार को निदेश देने की मांग की हैं । राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्त्ता के हाईस्कूल को संविधान के अनुच्छेद 3(1) के अंतर्गत आने वाली एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में प्रमाणित किया गया है । यह अभिकथित है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कारंजा की आबादी 60,158 थी जिसमें से मुस्लिम आबादी 28,000 थी । कारंजा तालुक में कोई उर्दू उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं है और इसलिए याचिकाकर्त्ता की सोसायटी इस स्कूल को मुस्लिम छात्रों की जररतों को पूरा करने के लिए इसका उन्नयन कर इसे उर्दू का उच्च माध्यमिक स्कूल बनाना चाहती है । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्त्ता ने राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परन्तु राज्य सरकार ने याचिकाकर्त्ता द्वारा मांगी गई मंजूरी प्रदान नही की । इसलिए यह याचिका दाखिल की गई है ।

नोटिस तामील करने के बावजूद, प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ, इसके परिणामस्वरूप मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

यहॉ विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्त्ता के स्कूल को उन्नयन कर उर्दू उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने और उसमें विज्ञान और कला विषय आरंभ करने की अनुमति देने सहित याचिकाकर्त्ता द्वारा मांगी गई मंजूरी को नामंजूर करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षिणिक अधिकारों का उल्लंघन है ?

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एस सी 959) के साथ प्रारंभ करते हुए तथा पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 6 एससी सी 537 द्वारा पराकाष्ठा तक पहुचते हुए उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों की एक श्रृंखला ने मौजूदा रुप में विधि का निर्धारण किया है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) पर आधारित निर्णय विधि के सम्पूर्ण ढांचे को केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है (ऊपर)। संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को 'उनकी पसंद' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा संचालन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पंसद के शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए । इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है । यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है जो कि संविधान के अध्याय III के अधीन किए गए इन प्रावधानों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "इस अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है। यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द,अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य ऊपर मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

".....अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, "अपनी पसन्द के" शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

याचिकाकर्त्ता ने शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद वाशिम के दिनांक 16.9.2008 के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें कारंजा, तालुक में निम्नलिखित उर्दू स्कूलों की वर्त्तमान स्थिति से संबंधित सूचना दी गई है-

1. मुली जत्था उर्दू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल, कारंजा
2. अनवर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, कारंजा
3. गुलाब नवी आजाद उर्दू हाई स्कूल, कारंजा
4. शहीद अशफाकउल्ला खान उर्दू हाई स्कूल, कारंजा
5. अनवर उर्दू हाई स्कूल, धंज, तालुक, कारंजा
6. नेशनल उर्दू हाई स्कूल, धंज, तालुक, कारंजा
7. हजरत अवूबेकर सिद्दिकी आर जेड, उर्दू हाई स्कूल, मनभा, तालुक कारंजा

याचिकाकर्त्ता ने हाई स्कूल का उन्नयन कर उसे उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने और उसमें विज्ञान और कला विषय प्रारंभ करने के अनुमोदन से संबंधित प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशों वाला श्री राजेन्दर पटनी, एम एल ए, महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा लिखित एक पत्र भी प्रस्तुत किया है । अभिलेख से यह पता चलता है कि उक्त पत्र का कोई प्रत्युत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ था । यहॉ यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्त्ता ने शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, वाशिम द्वारा दिया गया दिनांक 8.8.2010 के अनापत्ति प्रमाणपत्र की फोटोप्रति दाखिल की है । उक्त पत्र में यह लिखा गया है कि याचिकाकर्त्ता के हाई स्कूल का उन्नयन कर उसे उच्च माध्यमिक स्कूल बनाए जाने की जररत है जिसमें उर्दू, विज्ञान और कला विषय हों ताकि मुस्लिम समुदाय की जररतों को पूरा किया जा सके । नगर परिषद, कारंजा के प्रधान अधिकारी ने भी दिनांक 30.3.2007 के ज्ञापन सं क्यू/35 द्वारा याचिकाकर्त्ता के उपर्युक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है । याचिकाकर्त्ता सोसाइटी के प्रधान प्रबंधन ने अपने शपथपत्र में यह उल्लेख किया है कि कारंजा में कोई उर्दू उच्च माध्यमिक स्कूल नही है जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम छात्रों को उच्च माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में भाग लेने के लिए कारंजा से 40 से 50 क़ि मी की यात्रा करनी पडती है । अपने दिनांक 23.1.2011 के शपथपत्र में याचिकाकर्त्ता सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अल्ताफ मोहम्मद ने यह उल्लेख किया है कि याचिकाकर्त्ता हाई स्कूल का निर्मित क्षेत्र 5,000 वर्ग फुट की अनुमोदित आयोजना के प्रति 44,760.72 वर्ग फुट है । इसके अलावा खेल का मैदान 39,760.72 वर्ग फुट, लडकों और लडकियों के लिए 3-3 शौचालय है । याचिकाकर्त्ता सोसायटी के दिनांक 7.5.2008 की स्थिति के अनुसार बैंक के बचत खाते में 10 लाख रूपए है । उन्होने आगे उल्लेख किया है कि स्कूल का उन्नयन कर उसे उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है और यह कि याचिकाकर्त्ता स्कूल के उन्नयन से 5 क़ि मी के व्यास के भीतर स्थित स्कूलों में आपस में कोई अस्वास्थ्यकारी प्रतिस्पर्धा नही होगी ।

अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री पर निर्भर करते हुए हम यह पाते और निर्णय देते हैं कि मुस्लिम छात्रों की शैक्षिक जररतों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्त्ता स्कूल का उन्नयन कर उसे उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने की वास्तविक जररत मौजूद है । हम यह भी पाते और निर्णय देते हैं कि याचिकाकर्त्ता के स्कूल का उन्नयन कर उसे उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने और उसमें विज्ञान और कला विषय आरंभ करने की अनुमति से संबंधित याचिकाकर्त्ता सोसाइटी के प्रस्ताव को अनुमोदित न करने की राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्त्ता के स्कूल का उन्नयन कर उसे उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने और उसमें विज्ञान और कला विषय शामिल करने की अनुमति से संबंधित याचिकाकर्त्ता सोसायटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रा अ शै सं आ अधिनियम, 2004 की धारा 11 (ख) के अर्थों में आयोग के निष्कर्षों को कार्यान्वित करने की राज्य सरकार को सिफारिश की जाती है ।

2010 का मामला सं 1234

अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के उच्च माध्यमिक स्कूल को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु राज्य को निदेश देने संबंधी याचिका

याचिकाकर्त्ता : मौलाना हसरत मोहानी शिक्षा समिति, मोरावन, उन्नाव, उ प्र अपने प्रबंधक के माध्यम से

प्रतिवादी : 1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ प्र सरकार, सचिवालय, लखनऊ उ प्र

2 अवर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, उ प्र माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, उ प्र

3. जिला स्कूली निरीक्षक, उन्नाव, उ प्र

इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्त्ता मौलाना हजरत मोहानी शिक्षा समिति, मोरावन, उन्नाव, उ प्र को मान्यता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद और राज्य सरकार को निदेश दिए जाने की मांग की गई है । मौलाना हजरत मोहानी शिक्षा समिति, उन्नाव, उ प्र मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित एक पंजीकृत सोसायटी (जिसे इसमे आगे सोसायटी कहा गया है) है । सोसायटी ने 1989 और 1999 में क्रमशः मौलाना हजरत मोहानी प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की थी । वर्ष 2006 में सोसायटी ने मौलाना हजरत मोहानी उच्च माध्यमिक स्कूल की स्थापना की । सोसायटी 1996 में मोरावन में लडकियों के लिए उच्च माध्यमिक स्कूल की स्थापना करना चाहती थी । मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने 10.10.2000 के अपने पत्र के माध्यम से स्कूली भवन का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की । इसके पश्चात 30.8.2001 को सोसायटी ने उक्त स्कूल को मान्यता के लिए प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को आवेदन किया । सोसायटी ने स्कूल के पक्ष में भूमि का पंजीकरण कराने सहित प्रतिवादी द्वारा इंगित की गई सभी खामियों को दूर किया । सोसायटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका दाखिल की जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद, हलाहाबाद के इस आश्वासन के पश्चात वापिस लिया गया कि मान्यता के लिए याचिकाकर्त्ता के मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा । बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद, प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने याचिकाकर्त्ता स्कूल को मान्यता प्रदान नही की है । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्त्ता स्कूल के पास मान्यता दिए जाने के लिए सभी बुनियादी और अनुदेशात्मक सुविधाएं मौजूद हैं । यह भी अभिकथित है कि मान्यता प्रदान न करने मे प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) मे प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने आयोग को सूचित किया है कि याचिकाकर्त्ता का स्कूल 8.3.2011 के पत्र द्वारा नए सिरे से मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र है । प्रतिवादी ने यह भी भली-भांति रूप में स्वीकार किया है कि याचिकाकर्त्ता ने मान्यता के लिए अपेक्षित सभी जरुरी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे । प्रतिवादी ने आयोग को दिनांक 9.5.2011 के पत्र द्वारा फिर से आश्वस्त किया है कि परिषद की अगली बैठक में याचिकाकर्त्ता के अनुरोध पर विचार किया जाएगा ।

यहां पर विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्त्ता के स्कूल को मान्यता प्रदान न करने में प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है ?

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एस सी 959) के साथ प्रारंभ करते हुए तथा पी ए ईमानदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 6 एससी सी 537 द्वारा पराकाष्ठा तक पहुचते हुए उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों की एक श्रृंखला ने मौजूदा रुप में विधि का निर्धारण किया है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) पर आधारित निर्णय विधि के सम्पूर्ण ढांचे को केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है (ऊपर)। संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'उनकी पसंद' की शैक्षणिक

संस्था की स्थापना तथा संचालन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पंसद के शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए । इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है । यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है जो कि संविधान के अध्याय III के अधीन किए गए इन प्रावधानों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक(ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "विचाराधीन अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य ऊपर मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> ".....अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में

प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं : (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना। जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसन्द के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

मान्यता एक सुविधा है जो कि एक राज्य शैक्षणिक संस्था को प्रदान करता है । कोई भी शैक्षणिक संस्था राज्य सरकार की मान्यता के बिना चल नहीं सकती । मान्यता के बिना एक शैक्षणिक संस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न लाभकारी योजनाओं से मिलने वाले कोई भी लाभ नहीं उठा सकती । मिली तालिमी मिशन बिहार का प्रबंधन बोर्ड बनाम बिहार राज्य 1984 एस सी सी (14) 500 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रुप से यह स्वीकार किया है कि अल्पसंख्यक संस्था चलाना भी उतना ही मौलिक और महत्वपूर्ण है जितना कि देश के नागरिकों को प्रदत्त अन्य अधिकार । यदि कोई राज्य सरकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को बिना किसी न्यायोचित और पर्याप्त आधार के मान्यता देने से इन्कार करती है तो इसका सीधा परिणाम संस्था के अस्तित्व की ही समाप्ति के रुप में होगा । मौजूदा मामले में प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि याचिकाकर्ता स्कूल मान्यता दिए जाने के लिए पात्र है । यह उल्लेख करने की जरूरत है कि मान्यता दिए जाने का याचिकाकर्ता का अनुरोध 30.8.2001 से लम्बित हैं । जब इस संबंध में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई तो प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने उच्च न्यायालय का आश्वस्त किया कि मान्यता हेतु याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाएगा और उस आश्वासन पर याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका वापिस ले ली गई है । आश्वासन देने के बावजूद याचिकाकर्ता को कोई मान्यता नही दी गई । इसी प्रकार प्रतिवादी ने दिनांक 5.3.2011 के पत्र द्वारा यह भी आश्वस्त किया था कि मान्यता प्रदान करने के याचिकाकर्त्ता के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा । इसी आश्वासन को दिनांक 9.5.2011 के पत्र द्वारा भी दोहराया गया था । प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने अज्ञात कारणों से मान्यता प्रदान करने के याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार नही किया । प्रतिवादी के कार्यकरण की यह एक दुखद स्थिति है और यह इस पुरानी संस्था की साख पर भी संदेह व्यक्त करती है । याचिकाकर्त्ता के मामले का निपटान करने मे प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई विलम्बकारी कोशिशों से याचिकाकर्त्ता के प्रति दुराग्रह की भावना का संदेह उत्पन्न होता है। तथापि, हम यह पाते और निर्णय देते हैं कि प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के

अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । पूर्वोक्त कारणों से हम माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद को यह निदेश देते हैं कि वे इस आदेश की तारीख से दो माह के भीतर मान्यता प्रदान करने के याचिकाकर्त्ता स्कूल के मामले पर विचार करे । यह मामला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करते हुए संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखा जाएगा ।

वर्ष 2011 का मामला सं 260

एक अल्पसंख्यक संस्था के बी एड़ पाठ्यक्रम में प्रबंधन कोटा में मुस्लिम समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुमति दिए जाने हेतु विश्वविघालय को निदेश देने संबंधी याचिका

याचिकाकर्त्ता : मरियम इंस्टीटयूट फॉर हायर स्टडीज एंड एलॉयड कोचिंग, अब्दुल्ला बिल्डिंग, बरेली रोड, हल्दवानी, नैनीताल

प्रतिवादी : 1. अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार, सचिवालय, देहरादून, उत्तराखंड

2. कुलाधिपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड

इस याचिका द्वारा याचिकाकर्त्ता मरयिम उच्च अध्ययन एवं सम्बद्ध पाठ्यक्रम संस्थान, अब्दुल्ला भवन, बरेली रोड, हल्दवानी, नैनीताल ने राज्य सरकार और प्रतिवादी विश्वविद्यालय को निदेश दिए जाने की मांग की है ताकि वे उसे सत्र 2010-2011 के लिए बी एड पाठ्यक्रम में प्रबंधन कोटा मे मुस्लिम समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के उसके संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने की अनुमति दे । मामला सं 702/2009 मे पारित, 12.1.2010 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्त्ता संस्था को इस आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित किया गया है । यह अभिकथित है कि 13.11.2010 को याचिकाकर्त्ता संस्था ने सत्र 2010-2011 के लिए मुस्लिम समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने की अनुमति देने हेतु कुलाधिपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से अनुमति मांगी । याचिकाकर्त्ता संस्था ने उक्त राहत के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रतिवादी को भी दिनांक 19.12.2010 को एक पत्र लिखा । अनुस्मारक देने के बावजूद, याचिकाकर्त्ता के उपरोक्त अनुरोध का कोई प्रत्युत्तर न तो प्रतिवादी विश्वविद्यालय से और न ही सरकार से आया । इसलिए यह याचिका दाखिल की गई ।

नोटिस तामील करने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई उपस्थित नही हआ, अतः इसके परिणामस्वरूप इस मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

यहां विचारार्थ मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । उच्चतम न्यायालय द्वारा टी एम ए पाइ फाउन्डेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एस सी सी 481 में यह निर्णय दिया गया है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में कोई भी कोटा आरोपित करना या अपनी खुद की आरक्षण नीति लादना अनुमत नही है । उच्चतम न्यायालय द्वारा पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी 537 में यह निर्णय दिया गया है कि "किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है, यह संस्था अपनी स्वेच्छा से गैर अल्पसंख्यक

समुदाय के छात्रों को प्रवेश दे सकती है ।" तथापि, गैर अपसंख्यक छात्रों को उस पर लादा नही जा सकता। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्वेच्छा पर प्रतिबंध केवल यह है, जैसा कि स्वयं अनुच्छेद 30 मे ही उल्लेख किया गया है कि "इस प्रकार के प्रवेश का स्वरूप और संख्या ऐसी नही होनी चाहिए कि उससे संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र का ही उल्लंघन होता हो ।" उच्चतम न्यायालय द्वारा पी ए इनामदार ऊपर में ही यह निर्णय दिया गया है कि प्रवेश को विनियमित करने वाली एकल खिडकी प्रणाली से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार पर कोई आघात नही पहुंचता । यह चयन ऐसे चुने हुए छात्रों की परस्पर योग्यता के क्रम को बदले बिना सी.ई.टी. में तैयार अभ्यर्थियों की सूची में से किया जा सकता है ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा टी एम ए पा फाउंडेशन और पी ए इनामदार (ऊपर) में दिए गए निर्णयों के दृष्टिगत, याचिकाकर्त्ता कॉलेज को सी.ई.टी. में तैयार सफल उम्मीदवारों की सूची में से, इस प्रकार चुने गए छात्रों की परस्पर योग्यता क्रम को बदले बिना, मुस्लिम समुदाय के छात्रों को चुनने की अनुमति दी जाती है तो वह शत प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के छात्रों को प्रवेश दे सकता है । यदि वह सहायता प्राप्त संस्था है तो संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के अंतर्गत वह यथोचित सीमा तक गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य है । प्रतिवादी विश्वविद्यालय को टी एम ए पा फाउंडेशन और पी ए इनामदार मामले ऊपर में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का कार्यान्वित करने का निदेश दिया जाता है ।

2010 का मामला सं 677

एक अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक उर्दू माध्यम वाले प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति देने हेतु राज्य को निदेश देने संबंधी याचिका

याचिकाकर्त्ता : रज्जाक कल्याण सोसायटी, भाडेगांव, ताल्लुक दरवाहा, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र

प्रतिवादी : 1. सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्राालय, मुम्बई-32 (महाराष्ट्र)

2. शिक्षा निदेशक, प्राइमरी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, पुणे ।

3. उप शिक्षा निदेशक, अमरावती प्रभाग, अमरावती, बलगांव रोड, अमरावती, ताल्लुक एव जिला अमरावती, महाराष्ट्र

4. जिला शिक्षा समिति (प्राइमरी), जिला परिषद, यवतमाल

5. शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी), जिला परिषद, यवतमाल, ताल्लुक एवं जिला यवतमाल, महाराष्ट्र

याचिकाकर्त्ता रज्जाक कल्याण सोसाइटी, भांडेगांव, ताल्लुक दरवाहा, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम और बाम्बे सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अंतर्गत भी एक पंजीकृत सोसायटी है । याचिकाकर्त्ता सोसायटी का गठन मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया है । याचिकाकर्त्ता सोसायटी महूली में उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल की स्थापना करना चाहती थी क्योंकि उस गांव में मुस्लिम आबादी की संख्या 300 है । उक्त गांव से 5 क़ि मी के व्यास के भीतर उर्दू माध्यम का

कोई स्कूल नही है जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मजबूरन मराठी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करनी पडती है । याचिकाकर्त्ता सोसायटी ने गांव महूली मे उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्रस्ताव शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, यवतमाल को प्रस्तुत किया। याचिकाकर्त्ता के प्रस्ताव की संस्तुति ब्लाक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पुसाड़ द्वारा की गई थी, परन्तु मुस्लिम समुदाय के छात्रों की अपर्याप्त संख्या के आधार पर इस प्रस्ताव का जिला समिति द्वारा नामंजूर कर दिया गया । इसलिए यह याचिका दाखिल की गई ।

शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) जिला परिषद, यवतमाल ने इस याचिका का इस आधार पर प्रतिवाद किया कि गांव महुली में उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल की स्थापना के याचिकाकर्त्ता के प्रस्ताव की जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति नही की गई थी ।

पक्षकारो के परस्पर विरोधी तर्को को देखते हुए, विचारार्थ मुद्दा यह उठता है कि क्या गॉव मंहूली में उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए याचिकाकर्त्ता की सोसायटी को मंजूरी न देने में राज्य सरकार की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों को उल्लंघन है ?

केरल शिक्षा विधेयक, 1957 (एआईआर 1958 एस सी 959) के साथ प्रारंभ करते हुए तथा पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (2005) 6 एससी सी 537 द्वारा पराकाष्ठा तक पहुचते हुए उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों की एक श्रृंखला ने मौजूदा रुप में विधि का निर्धारण किया है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) पर आधारित निर्णय विधि के सम्पूर्ण ढांचे को केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है (ऊपर)। संविधान का अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को 'उनकी पसंद' की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तथा संचालन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है । संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पंसद के शैक्षिक संस्थाएं चलाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए । इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिबंध द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इन्हें प्रवर्तन के वचन द्वारा समर्थन दिया गया है । यह प्रतिबंध अनुच्छेद 13 में अन्तर्विष्ट है जो कि संविधान के अध्याय III के अधीन किए गए इन प्रावधानों में से किसी को कम या सीमित करने के लिए, किसी विधि या नियम या विनियम को बनाने से राज्य को रोकता है तथा इससे असंगत पाए गए किसी विधि, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है ।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1974 एस सी 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के लिए वास्तविक कारण का श्रेय "राष्ट्र के विवेक को दिया है कि धार्मिक और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनके संचालन से न रोका जाए, ताकि उनके बच्चों को उत्कृष्ट सामान्य शिक्षा दी जा सके जिससे वे सही अर्थों में देश के पुरुष और महिला बन सकें । अल्पसंख्यकों को यह संरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने तथा मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है । सामान्य धर्म निरपेक्ष शिक्षा का दायरा, हमारे देश के बालकों और बालिकाओं में समान्यता के विकास के लिए अभीष्ट है । यह शिक्षा के माध्यम के द्वारा स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व की सच्ची भावना है । यदि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना और संचालन के लिए अनुच्छेद 30 के अधीन संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वे स्वयं को अलग-अलग और

पृथक महसूस करेंगे । सामान्य धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा कुल मिलाकर हमारे देशवासियों के मन में स्वाभाविक ज्ञान का संचार करेगी ।"

आर ईः केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) के मामले में एस.आर.दास. मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "विचाराधीन अनुच्छेद का सच्चा अर्थ और विवक्षा समझने की कुंजी 'अपनी पसंद के' शब्दों में निहित है । यह कहा गया है कि प्रभावी शब्द 'पसंद' है और इस अनुच्छेद की अंतर्वस्तु उतनी ही व्यापक है जितनी कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष की पसंद इसे बना सके ।"

सेंट स्टीफन्स कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992)1 एससीसी558 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 'अपनी पसंद के' शब्द, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी शैक्षिक संस्थाएं वे स्थापित करना चाहें उनके स्वरूप का चयन करने के व्यापक विकल्प प्रदान करता है । वे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं ताकि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जा सके या दोनों प्रयोजनों को पूरा किया जा सके ।

इस परिस्थिति में, पी ए ईनामदार और अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य ऊपर मामले में उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करना उपयोगी होगाः

> ".....अनुच्छेद 30(1) में उल्लिखित उद्देश्य अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को पूरा करने से है कि उनके बच्चे समुचित ढंग से पढ़ लिख कर उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करें तथा ऐसी बौद्धिक उपलब्धियों के साथ बाहरी दुनिया में जाएं जो उन्हें लोक सेवा में प्रवेश दिलाने, सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सहित उच्च अनुदेश देने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के योग्य बनाए । अतः अल्पसंख्यकों के हित में अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित दो उद्देश्य इस प्रकार हैं :
>
> (i) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने धर्म तथा भाषा का संरक्षण कर सकें, तथा (ii) इन अल्पसंख्यक के बच्चों को संपूर्ण अच्छी सामान्य शिक्षा प्रदान करना । जब तक संस्था उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त कर और प्राप्त करते हुए अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखती है तब तक संस्थान अल्पसंख्यक संस्था ही बनी रहेगी ।"

इस प्रकार, 'अपनी पसंद के' शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अधिकार का अर्थ ऐसी वास्तविक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है जो कि उनके समुदाय तथा विद्यार्थियों जो अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का सहारा लेते हैं, की आवश्यकताओं को प्रभावकारी तरीके से पूरा करेगी (ए आई आर 1958 एस सी 956 देखें) । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि एक शैक्षणिक संस्था मान्यता के बिना संभवतः विद्यमान रहने और प्रभावकारी तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं कर सकती, न ही यह विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बिना डिग्रियां प्रदान कर सकती है । हालांकि, अल्पसंख्यक, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करते हैं, तथापि वह उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है । वे यह भी आकांक्षा करते हैं कि उनके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार हों ।"

यह विवाद से परे है कि गांव महूली के मुस्लिम समुदाय की आबादी 300 है और महूली से 5 क़ि मी के दायरे के भीतर उर्दू माध्यम का कोई प्राइमरी स्कूल नही है । एक उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल की स्थापना के याचिकाकर्त्ता के प्रस्ताव को मात्र इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया है कि मुस्लिम समुदाय के छात्रों की संख्या अपर्याप्त है । गांव महूली में मुस्लिम समुदाय की आबादी को देखते हुए यह उम्मीद की जाती होगी कि मुस्लिम समुदाय के छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते होंगे । गांव महूली से 5 कि. मी. के दायरे के भीतर उर्दू माध्यम का कोई प्राइमरी स्कूल नही है । ऐसी स्थिति में, इस बात की वास्तविक आवश्यकता है कि मुस्लिम समुदाय अनुदेश के माध्यम के रूप में उर्दू में अपने बच्चों को शिक्षित करें ।

हैरानगी की बात यह है कि जिला स्तरीय समिति ने उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए याचिकाकर्त्ता के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने हुए इस पहलू पर विचार नही किया । ऐसी स्थिति में, गांव महूली में उर्दू माध्यम के प्रस्तावित प्राइमरी स्कूल की स्थापना के लिए याचिकाकर्त्ता की सोसायटी को मंजूरी न देने में राज्य सरकारा की आक्षेपित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 30 (1) मे प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है । इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार से संस्तुति की जाती है कि वे गांव महूली, तालुक दरवाहा, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में उर्दू माध्यम के प्राइमरी स्कूल की स्थापना से संबंधित याचिकाकर्त्ता सोसायटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए रा अ .शै स आ अधिनियम की धारा 11 (ख) के अर्थों में आयोग के निष्कर्षों को कार्यान्वित करें ।

2011 का मामला संख्या 1228

एक अल्पसंख्यक संस्था की प्रबंध समिति के चुनाव आयोजित करवाने के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति करने के लिए राज्य को आदेश देने के संबंध में याचिका

याचिकाकर्ता : श्री अब्दुल कलाम, प्रबंधक, अशरफिया इंटर कॉलेज, माहुल, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिवादी : जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।

इस याचिका द्वारा श्री अब्दुल कलाम, जो कि याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रबंधक हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के लिए यह आदेश चाहते हैं कि वे प्रबंध समिति के चुनावों के आयोजन के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति करें । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है । प्रबंध समिति के गठन के लिए पहले चुनाव 29.2.2004 को हुए थे और नियमों के अनुसार पांच वर्ष बाद 29.2.2009 को नए चुनाव होने थे । याचिकाकर्ता प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक से, 10.4.2009 को होने वाले चुनावों के लिए प्रेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया था । बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक ने याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार प्रेक्षक की नियुक्ति नहीं की । इस दौरान संयुक्त निदेशक, शिक्षा ने भी जिला विद्यालय निरीक्षक को दिनांक 4.1.2011 के पत्र द्वारा, चुनाव आयोजित करने के लिए एक प्रेक्षक की नियुक्ति करने का आदेश दिया था । संयुक्त निदेशक, शिक्षा के आदेशों के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक के चुनावों के आयोजन के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति नहीं की । इसलिए यह याचिका दाखिल की गई ।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता से प्राप्त दिनांक 9.12.2010 के पत्र में आवश्यक ब्योरें निहित नहीं थे और इसलिए याचिकाकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज सौंपने के लिए कहा गया :-

1. संस्था का अनुमोदित प्रशासनिक प्लान ।
2. सोसाइटी के पंजीकरण की नवीनतम प्रति ।
3. पहले आयोजित कराए गए चुनावों की कार्यवाही की प्रति ।
4. पहले के चुनाव के प्रशासनिक अनुमोदन से संबंधित आदेश की प्रति ।
5. पहले के चुनाव में प्रेक्षक की नियुक्ति के आदेश की प्रति ।

यह भी अभिकथित है कि 2004 में पिछला चुनाव हुए चूंकि सात वर्ष हो चुके हैं अतः मौजूदा समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ।

याचिकाकर्ता कॉलेज, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत समाहित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है और इसलिए इसका मूल अधिकार है कि यह अपनी प्रबंध समिति का गठन करे । अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक किसी बाह्य कारण से, दिनांक 10.4.2009 को होने वाले चुनाव आयोजित कराने के लिए किसी प्रेक्षक की नियुक्ति करने के पक्ष में नहीं था । दिनांक 12.7.2009 से लेकर 9.3.2011 तक बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक के कानों पर जूँ तक न रेंगी और उसने चुनावों के आयोजन के लिए किसी प्रेक्षक की नियुक्ति नहीं की । यहां इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 04.01.2011 के पत्र द्वारा संयुक्त निदेशक, शिक्षा द्वारा विशेष आदेश दिए जाने के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रेक्षक की नियुक्ति नहीं की । संयुक्त निदेशक, शिक्षा के आदेश की अवहेलना करने का जिला विद्यालय निरीक्षक का यह अनुचित आचरण वास्तव में लगभग अवज्ञापूर्ण आचरण है जिसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए । यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि 22.01.2011 के पत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक ने याचिकाकर्ता से जो दस्तावेज मांगे थे, वे चुनावों के आयोजन के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ सर्वथा अप्रासंगिक हैं । जैसा कि पहले कहा गया है,12.7.2009 से 9.3.2011 तक बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रेक्षक की नियुक्ति नहीं की, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था । संयुक्त निदेशक, शिक्षा के आदेशों की अवज्ञा करने का उनका आचरण स्तब्ध करने वाला था, जिला विद्यालय निरीक्षक का यह कदाचार गंभीरतापूर्वक उनके विरूद्ध जाता है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनावों में अत्याधिक विलंब के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं उत्तरदायी है ।

पूर्वोक्त कारणों से, जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को इस आदेश की तारीख से एक माह के भीतर, चुनाव आयोजित कराने के लिए प्रेक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है । यदि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रेक्षक की नियुक्ति करने में असफल रहता है तो संयुक्त निदेशक, शिक्षा, याचिकाकर्ता कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव आयोजित करने के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति करेगा । आदेश की प्रति प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा, उत्तर प्रदेश को भेजी जाए ताकि इसे प्रतिवादी अर्थात् जिला विद्यालय निरीक्षक की गोपनीय रिपोर्ट मे लगाया जा सके ।

2010 का मामला संख्या 2170

एक अल्पसंख्यक संस्था को हाई स्कूल से जूनियर कॉलेज के बतौर अपग्रेड करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य को आदेश देने संबंधी याचिका

याचिकाकर्ता : मंगरूलपीर शिक्षा समिति, जिला वाशिम महाराष्ट्र, इसके अध्यक्ष श्री अशफाक खान के माध्यम से ।

प्रतिवादी : 1. सचिव (स्कूल शिक्षा विभाग), महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई-400032, महाराष्ट्र

2. शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक स्कूल), जिला परिषद वाशिम, जिला वाशिम, महाराष्ट्र

इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता सोसाइटी, जिसे दिनांक 11.8.2003 के प्रमाणपत्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षिक सोसाइटी घोषित किया है, चाहती है कि प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे मौजूदा हाई स्कूल को जूनियर कॉलेज में अपग्रेड करने के लिए अनुमति प्रदान करें । यह अभिकथित है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी उर्दू माध्यम का हाई स्कूल (10वीं कक्षा तक) मंगरूलपीर में पहले ही चला रही है और इसने यह प्रस्ताव दिया है कि इसे उर्दू जूनियर कॉलेज के बतौर अपग्रेड कर दिया जाए और यह कि 10वीं कक्षा के बाद छात्रों को विवश होकर निकटतम जूनियर मीडियम कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ता है जो 3 कि.मी. की दूरी पर है । यह भी अभिकथित है कि मंगरूलपुर वाशिम जिला की सबसे बड़ी तहसील है और यहा की 50,000 की जनसंख्या में से आधी जनसंख्या मुसलमानों की है । यहां केवल एक उर्दू माध्यम जूनियर कॉलेज है- कलंदरिया उर्दू कॉलेज, जो 3 कि.मी. की दूरी पर है । उक्त स्कूल को जूनियर कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने के लिए याचिकाकर्ता के पास समस्त अवसंरचनात्मक और अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं। पंचायत समिति, मंगरूलपीर के समूह शिक्षा अधिकारी पहले ही इस आधार पर याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की संस्तुति कर चुके हैं कि उर्दू माध्यम के जूनियर कॉलेज की वहां आवश्यकता है । याचिकाकर्ता का प्रस्ताव केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रस्ताव के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी । याचिकाकर्ता ने ऑडिट रिपोर्ट प्रतिवादी के पास दाखिल कर दी है और एक बैंक बैलंस प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें दिनांक 15.1.2007 को 1,11,000/- रु. की राशि शेष दिखाई गई है ।

जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) जिला परिषद, वाशिम ने अपने उत्तर में इस बात पर उचित सहमति जताई है कि याचिकाकर्ता सोसाइटी मंगरूलपीर में 10वीं कक्षा तक का उर्दू माध्यम का मीडियम हाई स्कूल चला रही है और इसके पास इसके अपग्रडेशन के लिए समस्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं। उक्त शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने हाई स्कूल के अपग्रेडेशन के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की संस्तुति की है । यह अभिकथित किया गया है कि जिला स्तरीय समिति ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल न करने के कारण याचिकाकर्ता का प्रस्ताव आगे नहीं भेजा था ।

यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि मंगरूलपीर में एक उर्दू माध्यम का जूनियर कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता है । यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता हाई स्कूल के पास अपग्रेडेशन के लिए समस्त अवसंरचनात्मक तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं मौजूद हैं । याचिकाकर्ता का प्रस्ताव केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी । हमारे मत में याचिकाकर्ता का

प्रस्ताव नामंजूर करने का आधार कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । तथापि याचिकाकर्ता ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर दी थी । ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हाई स्कूल के अपग्रेडेशन के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को पहले ही संस्तुत कर चुका था । हमारे सुविचारित मत में प्रोफेसर जावेदखान उर्दू हाई स्कूल, मंगरूलपीर को जूनियर कॉलेज के बतौर अपग्रेड करने की अनुमति न देने की प्रतिवादी की आक्षेपित कार्रवाई, अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्रदान किए गए शैक्षिक अधिकारों, का उल्लंघन करती है । चूंकि याचिकाकर्ता स्कूल के पास जूनियर कॉलेज के बतौर अपग्रडेशन के लिए समस्त अवसंरचनात्मक और अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं अतः याचिकाकर्ता स्कूल उर्दू माध्यम के जूनियर कॉलेज के बतौर अपग्रेड किए जाने का पात्र है ।

पूर्वोक्त कारणों से हम प्रतिवादियें से यह सिफारिश करते हैं कि याचिकाकर्ता सोसाइटी को प्रोफेसर जावेद खान उर्दू हाई स्कूल को उर्दू माध्यम के जूनियर कॉलेज के बतौर अपग्रेड करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

2009 का मामला संख्या 1697

उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मौजूदा मानदंडों को संशोधित करने तथा असम राज्य में उर्दू भाषी लोगों की 25% आबादी होने की शर्त का परित्याग करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा राज्य को आदेश देने संबंधी याचिका

याचिकाकर्ता : श्री नज़रूल हक भरमुइया, अध्यक्ष, अखिल असम मदरसा शिक्षा यूथ एसोसिएशन, एफ सी आई रोड, होजाई, असम ।

प्रतिवादी : 1. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सेकेंडरी छात्रवृति डिवीजन, शास्त्रा् भवन, नई दिल्ली ।

2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, असम सरकार, सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम।

इस याचिका द्वारा अखिल असम मदरसा शिक्षा यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह कहा है कि उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मौजूदा मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता है और असम राज्य में 25 प्रतिशत उर्दू भाषी लोगों के होने की शर्त का परित्याग किया जाना चाहिए । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उर्दू भाषा के शिक्षकों की आरंभिक तथा माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति करने का प्रावधान है । असम में ऐसे अनेक जिले हैं जहां अल्पसंख्यकों की जनसंख्या अत्याधिक है और मुसलमानों के बच्चे प्राथमिक इस्लामिक विद्यालयों (मकतबों) में भेजे जाते हैं जहां उर्दू विषय पढ़ाया जाता है । तथापि, सामान्य शिक्षा में उनके प्रवेश के साथ ही उन्हें उर्दू विषय पढ़ने का अवसर नहीं मिलता । ऐसा मूलतः इसलिए होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने यह मानदंड निर्धारित किया है कि उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी का होना आवश्यक है । याचिकाकर्ता ने आयोग से यह अनुरोध किया है कि वह स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से यह संस्तुति करे कि वह इस शर्त को हटा दे और असम में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करे ।

उत्तर में, शिक्षा विभाग, असम सरकार ने मदरसा शिक्षा निदेशक, असम सरकार के उस पत्र को अग्रेषित किया है जिसमें इसने यह कहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार असम राज्य में 30.09 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है । हालांकि इनमें से अधिकांश लोग बंगाली और असमी बोलते हैं, किंतु इनमें से 90% लोग बचपन से अरबी और उर्दू भाषाएं सीखते हैं और प्राथमिक स्तर के मकतबों के माध्यम से उर्दू का ज्ञान प्राप्त करते हैं । ऐसे 500 स्वयंसेवी मकतबे और मदरसे हैं जहां अरबी और उर्दू विषय, आधुनिक विषयों के साथ पढ़ाए जाते हैं । मदरसा शिक्षा निदेशालय, असम के अंतर्गत मदरसों की चार श्रेणियां हैं जो मुख्यतः मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं । ये श्रेणियां हैं- प्री-सीनियर मदरसा, सीनियर मदरसा, टाइटल मदरसा तथा अरेबिक कॉलेज । इन मदरसों में पाठ्यचर्चा का निर्धारण राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है और अरबी तथा उर्दू विषयों सहित धर्मशास्त्रा्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं और अंग्रेजी, असमी, हिंदी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विद्वान आदि जैसे आधुनिक विषय कक्षा V के बाद अनिवार्यतः पढ़ाए जाते हैं । अरबी तथा धर्मशास्त्रा्य विषयों के लिए अनुदेशन का माध्यम उर्दू है किंतु उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए इन मदरसों में विशेषरूप से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती । यद्यपि भारत सरकार ने उर्दू के विकास और प्रसार के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् (एन सी पी यू एल) नामक एक स्वायत्त निकाय का गठन किया है, तथापि इस शर्त का परित्याग किया जाना चाहिए कि 25 प्रतिशत उर्दू भाषी जनसंख्या को "उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता योजना" के अंतर्गत आना आवश्यक है । उन्होंने यह सिफारिश की है कि इस सुझाव पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए ।

अपने उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह कहा है कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है और स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए मौजूदा उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी दिया जाता है । उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का मानदंड केवल उस क्षेत्र के लिए है जहां 25 प्रतिशत जनसंख्या उर्दू भाषी समुदाय से है । यह वित्तीय सहायता केवल अगली पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष तक स्वीकार्य है । योजना का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना/छात्रों को उर्दू पढ़ाने के लिए मौजूदा शिक्षकों को मानदेय प्रदान करना है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां कहीं आवश्यक हो, उर्दू शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकें । योजना के प्रावधानों के अनुसार, प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर एसएसए उन मौजूदा उर्दू माध्यम स्कूलों को सहायता प्रदान कर सकता है जहां एसएसए मानदंडों के अनुसार उर्दू शिक्षकों या नए उर्दू माध्यम स्कूलों को सहायता प्रदान नहीं कर सकता जहां शिक्षकों की कमी है, भले ही ये स्कूल ऐसे क्षेत्र में हैं जहां 25 प्रतिशत से अधिक आबादी उर्दू भाषी है । ऐसे स्कूलों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा सकती है । इस योजना में मदरसों के माध्यम से उर्दू पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है । असम सहित सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे दिनांक 30.3.10 के पत्र के संदर्भ में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजें । व्यवहार्य प्रस्तावों के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

हमारे संविधान की प्रेरणादायक तथा उदार शब्दों में लिखी गई प्रस्तावना इस बात को स्पष्ट

रूप से इंगित करती हे कि हमारे संविधान का एक महत्वपुर्ण उद्देश्य है समस्त नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा-पाठ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना । शिक्षा से अधिक किसी भी वस्तु ने लोगों में विचार और अभिव्यक्ति को आवेग प्रदान नहीं किया, जिसने हमारे विश्वास और आस्था को प्रखर बनाया तथा धर्मनिरपेक्षता की भावना को सुदृढ़ता प्रदान की । इन प्रयोजनों को लागू तथा सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 16, 19(1), 24, 26, 28, 29 और 30(1) को समाविष्ट किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30(1) कतिपय शैक्षिक तथा सांस्कृति अधिकारों को मूल अधिकारों के बतौर प्रदान करता है । सहायता अनुदान प्रदान करना एक सरकारी कार्य है जिसे उचित रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए । हो सकता है कि कोई सरकार अनुदान न दे या देने में समर्थ न हो, किंतु यदि वह अनुदान देती है तो इन अनुदानों के साथ शर्तें नहीं जोड़नी चाहिए जिनसे मूल अधिकार नष्ट होते हों । अनुच्छेद 30(1) ने अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया किंतु यह अधिकार केवल उनके द्वारा अपने धर्म या अपनी भाषा की शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं था । ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों या भाषाओं को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई थी । तथापि, अल्पसंख्यक आम तौर पर ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने के इच्छुक होते हैं जो दोनों प्रयोजनों की पूर्ति कर सकें अर्थात् एक तो उनके धर्म, भाषा या संस्कृति को परिरक्षित कर सकें और दूसरे, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सामान्य शिक्षा प्रदान कर सकें ।

संविधान के अध्याय-IV में विशेष आदेश निहित हैं । अनुच्छेद 350 क यह आदेश देता है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे । संविधान अनुच्छेद 21-क में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है । बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 2009 (संक्षेप में अधिनियम) बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है । शब्दकोश के अनुसार शिक्षा का अर्थ है "स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाने, प्रशिक्षण प्रदान करने व सीखने की एक प्रक्रिया", "अध्ययन के विषय का संबंध इस बात से है कि पढ़ाया कैसे जाए" । मदरसा एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ है स्कूल/सेमिनारी। ब्लैक की विधि शब्दावली के 8वे संस्करण में शैक्षिक संस्था को एक स्कूल, सेमिनारी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अन्य शैक्षिक सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि वह कोई चार्टर्ड संस्था ही हो । ऐसी स्थिति में मदरसा स्कूल की परिभाषा के अंतर्गत आता है जैसा कि बाल अधिकार अधिनियम की धारा 2(ड) में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 29, 30(1) और अनुच्छेद 350 क तथा अधिनियम की धारा 3 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योजना को लागू करने हेतु किसी स्थान पर 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी के होने की शर्त उचित प्रतीत नहीं होती । मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने उचित ही यह तर्क दिया है कि 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी होने की शर्त योजना के कार्यान्वयन में बाधक बनी है । इस संदर्भ में निदेशक, मदरसा शिक्षा, असम सरकार के दिनांक 22.7.10 के ज्ञापन संख्या डी एम ई/435/एमएस/09/50 का अवलोकन करें जो इस प्रकार है :-

असम सरकार
मदरसा शिक्षा निदेशक का कार्यालय, असम
काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी-19

सं. डी एम ई/435/एमएस/09/05 **दिनांक 22.7.2010**

प्रेषक : मोहम्मद एम.अली, मदरसा शिक्षा निदेशक, असम, काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी-19

सेवा में : आयुक्त एवं सचिव, असम सरकार, शिक्षा (सेकें)विभाग, दिसपुर, गुवाहाटी-6

विषय : अखिल असम मदरसा शिक्षा यूथ एसोसिएशन की मांग के अनुसार उर्दू शिक्षक की नियुक्ति के मामले की सुनवाई ।

संदर्भ : दिनांक 25.6.10 का सरकारी पत्रांक-बी3(एस)522/98/548

महोदय,

हमारे दिनांक 16.1.2010 के पत्रांक डी एम ई 485/एनसीएमईआई/2010/4 के क्रम में तथा एनसीएमईआई, नई दिल्ली को अध्यक्ष, अखिल असम मदरसा शिक्षा यूथ एसोसिएशन द्वारा दिनांक 2.2.10, 20.2.10 तथा 27.5.10 को जमा कराई गई पूरक याचिकाओं का अवलोकन करने पर, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि दिनांक 2.2.10 तथा 20.2.10 के पत्रों के संबंध में हमारे दिनांक 16.1.10 के पत्र द्वारा आवश्यक जानकारी पहले ही प्रदान कर दी गई है । जहां तक दिनांक 27.5.10 की याचिका का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि यह सच है कि ऐसे मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या अत्याधिक है जो आरंभिक तथा माध्यमिक, दोनों स्तरों पर अपनी स्कूली शिक्षा में उर्दू भाषा सीखने के इच्छुक हैं क्योंकि वे अपनी प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से उर्दू माध्यम में, बुनियादी इस्लामिक शिक्षा के आधार पर मकतबां/ मदरसों में प्राप्त करते हैं अतः उनका यह इच्छा जताना उचित ही है कि उन्हें स्कूल शिक्षा में विषय के रूप में उर्दू भाषा सीखने का अवसर मिले ।

इसके अलावा, जहां तक उर्दू शिक्षकों का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि विशाल संख्या में युवा अपनी योग्यता इंटर-मीडिएट में, एफ.एम. तथा एम.एम. में प्रति वर्ष राज्य मदरसा बोर्ड, असम से प्राप्त करते हैं और ये उर्दू भाषा तथा अरबी और धर्मशास्त्रीय विषयों में मदरसों में बोर्ड के अंतर्गत उर्दू माध्यम से पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं । इसके अलावा, बहुत अधिक संख्या में योग्य युवक, जो दारूलोउलूम, देवबंद से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे भी राज्य में उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं जिन्हें राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से, विशेष रूप से दारूल उलूम, देवबंद से अरबी और उर्दू में अपनी छात्रवृत्ति के लिए मान्यता तथा समान महत्व प्राप्त होता है तथा सामान्य रूप से देश की अन्य प्रसिद्ध इस्लामिक संस्थाओं से मान्यता तथा महत्व प्राप्त होता है ।

अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत उर्दू शिक्षक की नियुक्ति के लिए असम राज्य में यह योजना अत्याधिक लाभकारी होगी व प्रभावी होगी, यदि 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी की शर्त यथाशीघ्र समाप्त कर दी जाए । इससे अत्याधिक संख्या में बेरोजगार मुस्लिम अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ होगा यदि केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक बच्चों के कल्याण के लिए राज्य में स्कूली शिक्षा में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योजना के कार्यान्वयन में सकरात्मक कदम उठाए ।

तत्काल संदर्भ के लिए दिनांक 16.1.10 के पत्रांक सीएमई485/एनसीएमईआई/2010/4 की प्रति संलग्न है ।

भवदीय,
निदेशक, मदरसा शिक्षा, असम
काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी-19
(बल दिया गया)

असम सरकार
मदरसा शिक्षा निदेशक का कार्यालय, असम
काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी-19

सं. डी एम ई/485/एनसीएसईआई/2010/4 **दिनांक 16.1.10**

प्रेषक : मोहम्मद एम.अली, मदरसा शिक्षा निदेशक, असम, काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी-19

सेवा में : आयुक्त एवं सचिव, असम सरकार, शिक्षा (सेकें)विभाग, दिसपुर, गुवाहाटी-6

विषय : दिनांक 8.11.09 की एएएमईवाईए की याचिका पर एनसीएमईआई द्वारा तामील किया गया नोटिस ।

संदर्भ : दिनांक 24.12.09 का सरकारी पत्रांक-बी(3)एस-522/98/503

महोदय,

उक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नजरूल हक भरमुइया, अध्यक्ष, अखिल असम मदरसा शिक्षा यूथ एसोसिएशन द्वारा दी गई दिनांक 8.11.09 की याचिका की, उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के मौजूदा मानदंडों में संशोधन के प्रयोजनार्थ, सूक्ष्मता से जांच की गई है ।

उनकी मांग है कि (i) 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी की शर्त को हटाया जाए तथा (ii) प्रधानमंत्री के 15सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत केवल अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र को ही शामिल किया जाए । पत्र की अंतर्वस्तु का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया गया कि मकतब (प्राथमिक इस्लामिक स्कूल) स्तर के बाद, जहां उर्दू विषय पढ़ाया जाता है, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने की उनकी मांग उचित है ।

यह सच है कि राज्य में अन्य भाषाओं सहित हिन्दी और उर्दू भाषा बोलने वाले मुस्लिम तथा अन्य समुदाय अत्यधिक संख्या में मौजूद हैं । 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 30.09 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है । हालांकि इनमें से अधिकांश लोग बंगाली और असमी बोलते हैं किन्तु इनमें से 90 प्रतिशत अरबी और उर्दू भाषा बचपन से ही सीखते हैं ताकि आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में और अपने धर्म के बारे में जानने के लिए वे उर्दू का ज्ञान प्राप्त कर सकें क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ मुख्यतः अरबी और उर्दू में लिखें गए हैं । अतः उनकी मांगों पर हम निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं ।

1. मुस्लिम आबादी वाले प्रत्येक क्षेत्र में एक मस्जिद है और प्रत्येक मस्जिद में सुबही-मकतब (प्रातः कालीन इस्लामिक प्राथमिक स्कल) होते हैं जहां अरबी और उर्दू भाषा पढ़ाई जाती हैं ।

2. ऐसे 500 से अधिक स्वयंसेवी मकतब-मदरसे और कौमी मदरसे हैं जहां अरबी और उर्दू विषय, अंग्रेजी विषान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों के साथ पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा, 500 से अधिक आवासीय मदरसे भी राज्य में हैं जहां अरबी और उर्दू विषय पढ़ाना अनिवार्य है ।

3. मदरसा शिक्षा निदेशालय, असम के अंतर्गत मदरसों की चार श्रेणियां हैं और ये मदरसे मुख्यतः मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं ।

(i) प्री-सीनियर मदरसा - (उच्च प्राथमिक स्तर)

(ii) वरिष्ठ मदरसा - (उच्च प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर)

(iii) टाइटल मदरसा - (धर्मशास्त्रीय विषयों में मास्टर डिग्री स्तर)

(iv) अरबी कॉलेज - (उच्च प्राथमिक से मास्टर डिग्री स्तर तक, धर्मशास्त्रीय विषयों में)

इन मदरसों का कोर्स पैटर्न है 3+4+3+2 = 12 वर्ष । राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, असम के पुनर्गठित पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या में कुरान, हादिथ, तफसीर, फिकह, उसूल, तारीख आदि जैसे अन्य धर्मशास्त्रीय विषयों सहित अरबी और उर्दू विषय तथा अंग्रेजी, असमी, हिंदी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे धर्म निरपेक्ष विषय कक्षा-V के बाद अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते हैं और अरबी तथा धर्मशास्त्रीय विषयों के शिक्षण के लिए माध्यम उर्दू है । निदेशालय के अंतर्गत 707 मदरसे/अरबी के कॉलेज हैं जहां यह व्यवस्था आरंभ से ही चली आ रही है ।

किंतु उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए इन मदरसों में विशेष उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है । अतः इन मदरसों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की अत्यावश्यकता है और इस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने, निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है (प्रति संलग्न)।

इसके अलावा, सरकार मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्कूलों तथा मिडिल इंगलिश मदरसों/स्कूलों में और साथ ही माध्यमिक स्कूलों में उर्दू आरंभ करने का निर्णय लेना चाहेगी और मुस्लिम बच्चों के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहेगी ।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारत सरकार ने उर्दू भाषा के संवर्धन, विकास और प्रचार के लिए 1994 में एमएचआरडी के अंतर्गत राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् (एनसीपीयूएल) नामक स्वायत्त निकाय का गठन किया है ताकि जाति, वर्ण, लिंग, आयु और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ते हुए भारत के लोगों में उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाया जा सके जैसा कि एनसीपीयूएल की प्रोग्राम गाइड में वर्णन किया गया है । अतः मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, यदि आवश्यक हो तो उर्दू शिक्षक की व्यवस्था करके उर्दू सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता योजना में से 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी की शर्त को हटा देना चाहिए ....."

इसके अलावा यह योजना मदरसों की उर्दू भाषा सिखाने की प्रचलित प्रणाली को निरूत्साहित करती है जिसमें इन मदरसों में उचित ढंग से उर्दू सिखाने के लिए उर्दू शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई है ।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेख भी किया जाता है कि

1) उर्दू भाषा ने भारतीय संस्कृति के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है और उर्दू लिपि भारतीय भाषाओं की सर्वाधिक सुंदर लिपियों में से एक है ।

2) शिक्षा प्रदान करने के माध्यम के रूप में भाषा, शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा प्राप्त करने और उपलब्धि के स्तर की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है ।

3) विश्वस्तरीय काव्य, गद्य, कथा साहित्य के खजाने तथा विशेष रूप से भारत में इस्लामिक धर्मशास्त्रीय विषयों के समृद्ध भंडार और सामान्य रूप से मुस्लिम देशों के साहित्य के साथ संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम उर्दू भाषा रही है ।

इस भाषा के मूल्य और महत्व पर विचार करते हुए मकतबा मदरसों (प्राथमिक इस्लामिक स्कूलों) के बाद के स्तर तक के उर्दू सीखने वाले लोगों की यह मांग है कि उर्दू लिपि के माध्यम से उर्दू भाषा साहित्य और इस्लामिक धर्मशास्त्रीय विषयों को पढ़ने और समझने के लिए उर्दू शिक्षकों की अत्यधिक आवश्यकता है ।

अतः एसोसिएशन के पत्र में वर्णित बिंदुओं पर विचार किया जाए और हम भारत सरकार को सूचित करना चाहेंगे कि वह उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करे और तदनुसार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी होने के मानदंड को समाप्त करे ।

भवदीय,
निदेशक, मदरसा शिक्षा, असम
काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी-19
(बल दिया गया)

सांसद बदरूद्दीन अजमल के अतारांकित प्रश्न सं. 2253 के उत्तर में भारत सरकार के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जो उत्तर दिया उसको अवलोकन भी किया जाए । उत्तर इस प्रकार है-

(क) और (ख): योजना 2008-09 में संशोधित की गई थी । किसी क्षेत्र में 25 प्रतिशत मुस्लिम आबादी होने की शर्त का अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उर्दू शिक्षकों की मंजूरी केवल उन्हीं क्षेत्रों में दी जाए जहां वास्तव में उर्दू उनकी आवश्यकता है । योजना राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करती है । यह प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि योजना के कार्यान्वयन में 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी होने की शर्त बाधक बनी हो । यह शर्त केवल क्षेत्र विशेष पर लागू होती है न कि समग्र जिले पर ।

निदेशक, मदरसा शिक्षा, असम सरकार के दिनांक 22.7.10 में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि 25 प्रतिशत उर्दू भाषी जनसंख्या होने की शर्त संदर्भाधीन योजना के कार्यान्वयन में बाधक बनी है, अतः हम भारत सरकार से और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह अनुरोध करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की योजना के कार्यान्वयन के लिए 25 प्रतिशत उर्दू भाषी आबादी होने की अनिवार्य शर्त को हटाया जाए ।

अध्याय 12 - निष्कर्ष

संविधान का अनुच्छेद 30(1), जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है, विशेष रूप से यह निर्दिष्ट करता है किः (1) समस्त अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित व संचालित करने का अधिकार होगा ।"

2. अनुच्छेद 30(1) धार्मिक तथा भाषायी, दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों की ओर इंगित करता है । तथापि, एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 2(च) अल्पसंख्यकों की परिभाषा को, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय के रूप में सीमित कर देती है ।

3. केन्द्र सरकार ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर अधिसूचित किया है- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी । अतः भाषायी अल्पसंख्यक वर्तमान में एन सी एम ई आई अधिनियम की परिधि में नहीं आते ।

4. आयोग को अनेक शैक्षिक संस्थाओं से उन्हें भाषायी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए अनेक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । आयोग को भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओ से शिकायतों के निपट ान के लिए याचिकाएं/आवेदन प्राप्त हो रहे हैं । ऐसे समस्त संदर्भो का निपटान आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं को यह सूचित करके किया जा रहा है कि भाषायी अल्पसंख्यक एनसीएमईआई अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं आते ।

5 हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने भाषायी अल्पसंख्यकों को एनसीएमईआई अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने की संस्तुति की है, तथापि इस मुद्दे पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है । चूंकि अनुच्छेद 30(1) धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों को मूल अधिकार प्रदान करता है अतः समानता तथा न्याय के हित के लिए यह आवश्यक है कि भाषायी अल्पसंख्यकों को भी एनसीएमईआई अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर इस अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए । आयोग तदनुसार संस्तुति करता है ।

6. शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने तथा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है । तथापि यह पाया गया कि अनेक राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने के अनुरोध पर विचार के लिए किसी तंत्र की स्थापना नहीं की थी । अनेक राज्यों में इसे लेकर रवैया बहुत सुस्त है । आयोग ने यह भी पाया कि संबंधित अधिकारियों को, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रत्याभूत किए गए अधिकारों के बारे में संवेदीकृत नहीं किया गया था । इसका परिणाम यह हुआ कि आयोग को अल्पसंख्यक संस्थाओं से, उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए ।

7. आयोग यह अनुभव करता है कि सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करनी चाहिए । जिला/जिला परिषद/ तालुका स्तर पर आवेदनों की प्राप्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए विचार किया जा सकता है, जहां आवेदन प्राप्त होने के बाद, नोडल प्राधिकारी को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व समयबद्ध रीति से इन आवेदनों की संवीक्षा/निरीक्षण की जा सकती है । सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे तंत्र की स्थापना करनी चाहिए और इसका व्यापक प्रचार करना चाहिए ।

8. कुछ राज्य सरकार के प्राधिकारी केवल अस्थाई अवधि के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र देते हैं । आयोग ने स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र अल्पावधि के लिए नही दिया जा सकता । जैसे कि टी.के.वी.टी.एस.एस. मेडिकल एजुकेशन तथा चेरिटेबल ट्रस्ट बनाम् तमिलनाडु राज्य ए आई आर 2002 मद्रास 42 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा किसी ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समय-समय पर नवीकृत की जाने वाली विशेष अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता । अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले पूर्व आदेश की समीक्षा करने की छूट राज्य सरकार को नहीं है जब तक कि यह पता न चले कि संबंधित संस्थान ने अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने संबंधी आदेश पारित होते समय कोई तथ्य छुपाया अथवा परिस्थितियों में ऐसा मूल परिवर्तन हो गया है जिससे पूर्व के आदेश को निरस्त करना जरूरी हो जाता है । इस संबंध में माननीय न्यायाधीशों की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है :

> ".....निष्कर्ष रूप में, यदि किसी ईकाई को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत परिकल्पित अधिकारों का हकदार मानकर, एक बार अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाता है तो जब तक कि परिस्थितियों में मूल परिवर्तन न हो अथवा तथ्यों को छुपाया न गया हो, तो सरकार को ऐसे संयोजित संवैधानिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार है को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पहले सुनवाई की उचित प्रक्रिया अपनाए बिना, छीनने की शक्ति प्राप्त नहीं है और वह भी महज एक साधारण पत्र के जरिए ।"

तदनुसार राज्य सरकारों को आयोग की यह सिफारिश है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र स्थायी आधार पर ही दिया जाना चाहिए जिसे विधि की समुचित प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद ही वापस लिया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है ।

9. आयोग का ध्यान अनेक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की असंगतता की घटनाओं के बारे में भी आकर्षित किया गया है, जो अनुच्छेद 30(1) के प्रावधानों के अनुरुप नही हैं । उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित विभिन्न निर्णयों को स्पष्ट रुप से इंगित किया है । आयोग, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि वे यूजासी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, सीबीएसई आदि जैसी शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की जांच करें ताकि यह देखा जा सके कि वे अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुरुप हैं। इस संबंध में ब्रह्मों समाज बनाम् पश्चिम बंगाल (2004)6 एससीसी224) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है ।

10. आयोग के ध्यान में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित नई शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के लिए राज्य सरकारों की अनिच्छा से संबंधित कई घटनाएं लाई गई हैं । आयोग ने यह पाया है कि स्कूलों को मान्यता दिए जाने के लिए राज्य सरकारों की अनिच्छा मुख्य रूप से सहायतानुदान दिए जाने की अनिच्छा पर आधारित है । ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य सरकारें सहायतानुदान देने की अपनी भूमिका को समाप्त करना चाहती थीं । हालांकि सहायतानुदान एक संवैधानिक आदेशक नहीं है, फिर भी आयोग ने देखा है कि अनेक मामलों में, ग्रामीण, दूरवर्ती तथा जनजातीय इलाकों में स्थित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अपना खर्चा स्वयं चलाने को नहीं कहा जा सकता क्योंकि समाज के अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्गों से

शुल्क एकत्र करना असंभव होता है । ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता लिए बिना अपने खर्चे चलाना और शिक्षा का यथोचित स्तर प्रदान करना मुश्किल होगा । यहां यह कहना आवश्यक नहीं है कि शिक्षकों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम अस्तित्वयुक्त वेतन दिया जाना चाहिए । अनेक दूर-दराज और कम विकसित क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जा रहीं शैक्षणिक संस्थाएं निर्धन लोगों की आशा की एकमात्र किरण है । राज्य का कर्तव्य है विशेषकर अनुच्छेद 21-क के अंतर्गत निहित 6-14 वर्षों के आयु वर्ग में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक जनादेश के संदर्भ में, ऐसी संस्थाओं को सुदृढ तथा उनकी सहायता करें । बच्चो को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के परिचालन के संदर्भ में यह जरूरी है कि दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में अधिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की जाएं ताकि छात्रों की आसानी से वहां पहुंच हो सके । राज्यों को इस संवैधानिक जिम्मेदारी से कतराना नहीं चाहिए । आयोग, इसलिए सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को दूरदराज, दूरवर्ती, जनजातीय और अविकसित क्षेत्रों में स्थित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान देने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए ।

अनुबंध

पत्रांक – 10/व 1 – 05/11 369
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

सेंवा में,

सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना दिनांक 27/04/2011

विषयः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग" अधिनियम – 2004 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को माइनोरिटी स्टेट्स अभिनर्गत करने की अधिकारितां प्राप्त है।

आयोग द्वारा किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाता है तो ऐसी संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था मानी जायेगी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आयोग द्वारा जिन संस्थाओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का आदेश निर्गत किया गया है तो ऐसी संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के आदेश अलग–अलग निर्गत किये जाय।

यदि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, के द्वारा दिये गये आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित हो तब ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय (माननीय उच्च न्यायालय) में चुनौति दी जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 369 पटना दिनांक 27/04/2011

प्रतिलिपि, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, 5, संसदीय मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 643 दिनांक 27/12/2010/ विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 4083 दिनांक 18/01/2011 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

आज दिनांक 12.05.10 को सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग की अध्यक्षता मे मदरसा शिक्षा के आधुनीकिकरण हेतु गठित Grant-In-Aid Committee की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:

सचिव,

मानव संसाधन विकास विभाग

2. निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा

3. विशेष निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा

4. अध्यक्ष,

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड

5. सचिव,

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड

6. भारत सरकार के प्रतिनिधि

7 श्री अब्बुल कलाम,

प्राचार्य, मदरसा इस्लामियां शमशुल होदा, पटना

8 श्री जहीरूल हक,

सचिव, मदरसा तालिमे निशवां, मधुबनी

9 उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा

बैठक में सर्वसम्मति से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा 1126 प्रस्वीकृत एव अनुदानित मदरसों तथा एक राजकीय मदरसा, इस्लामिया शमशुल होदा, पटना के लिए प्रति मदरसा तीन शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तकालय के लिए पुस्तक, विज्ञान/कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु एवं विज्ञान कीट, मोनेटरिंग के मद में, निर्धारित राशि के आधार पर तैयार किए गए कार्य योजना को अनुमोदित किया गया एवं इसे भारत सरकार को अविलम्ब भेजने का निर्णय लिया गया।

अब्बुल कलाम, सदस्य — जहीरूल हक, सदस्य — उप निदेशक, मा0 शिक्षा — विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा — निदेशक, मा0 शिक्षा

अध्यक्ष,
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड

सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग

अजय विश्नोई
मंत्री,
पशुपालन, मछलीपालन,
पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण तथा
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग
मध्यप्रदेश शासन

दूरभाष
विधान सभा : 0755-2523158
मंत्रालय : 0755-2441377
निवास : 0755-2430011
0755-2441081
बी-10, चार इमली, भोपाल

क्रमांक 876 /मं./पपा.,मपा.,पि.व.,अ.स.क.,नवी. एवं नवीक./10 भोपाल, दिनांक 20/04/11

माननीय सिद्दीकी जी-

सप्रेम नमस्कार,

कृपया आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्य प्रदेश, श्री शिवराज सिंह चौहान, को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र कमांक..643 दि0 27/12/2010 का संदर्भ करें।

2. म0प्र0राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने हेतु "मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रक्रिया-2007" प्रचलन में है । इन नियमों के प्रावधान अनुसार ऐसी संस्थाएं जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्थापित की गई हैं, को प्रथम तीन वर्षों में प्रतिवर्ष अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

3. कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर उक्त अस्थाई मान्यता उपरांत 3 वर्ष के बाद स्थायी प्रमाण पत्र ज़ारी करने का प्रावधान है।

4. केन्द्र शासन के सुझाव प्राप्त होने के उपरांत उक्त प्रावधानों में परिवर्तन किये जाने की कार्यवाही राज्य शासन कर रहा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग से यह अभिमत मांगा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में अल्पसख्यक वर्गों के छात्रों की संख्या का न्यूनतम प्रतिशत की अनुशंसा करें। शीघ्र ही राज्य अल्पसंख्यक आयोग की बैठक आयोजित होकर इस संबंध में अनुशंसा राज्य शासन को मिलना संभावित है।

5. राज्य शासन द्वारा वर्तमान में 68 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देकर प्रमाणपत्र जारी किए गए है।

6. राज्य शासन संविधान के आर्टिकल 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यक के हित संरक्षण हेतु संकल्पबद्ध हैं।

7. राज्य शासन द्वारा माननीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के दिशा निर्देशों पर संवेदनशील रहकर कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए हैं।

(अजय विश्नोई)

प्रति,
जस्टिस एम0एस0के0सिद्दीकी
माननीय अध्यक्ष,
भारत सरकार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग,
गेट नं0 4, प्रथम तल,जीवन तारा भवन,
5,संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF ASSAM
EDUCATION (SECONDARY) DEPARTMENT :::::::::::::::::::::::::::: DISPUR
No.B(3) S.522/98/pt/41 Dated Dispur, the 21st November,2011

From :- Shri N.K. Das, IAS
Chief Secretary, Assam, Dispur.

To :- The Secretary,
National Commission for Minority
Educational Institutions
AB-/81, Shahjahan Road, New Delhi.

Sub :- Implementation of orders passed by the National Commission for Minority Educational Institutions.

Sir,

I am directed to refer to the DO letter No.139/01.09.2011 dtd. 01-09-2011 from the Hon'ble Chairman of the Commission addressed to the Hon'ble Chief Minister, Assam regarding implementation of the orders passed by the Commission.

In this context, I am directed to mention that State of Assam has sizable minority population and the State Government and its administrative officers are not only aware about the Constitutional Rights of the Minorities but are also quite concerned about the sensitivities of the issues involved. In so far as, the State Government of Assam is concerned, there was only one case concerning the Central Government guidelines regarding engagement of Urdu teachers and in this case the final verdict of the Commission is yet to be received. However, the State Government has presented its viewpoint before the Hon'ble Commission. Once the orders of the Commission are communicated, the State Government would certainly implement the orders of the Hon'ble Commission with utmost sincerity.

The Hon'ble Chairman of the Commission may be appraised accordingly.

Yours sincerely,

(N.K. Das)
Chief Secretary, Assam, Dispur

From

The Director General Higher Education, Haryana
Shiksha Sadan, Sector-5 Panchkula.

To

Shri R. Renganath,
Secretary, Govt. of India,
National Commission for Minority,
Educational Institutions,
1st Floor, Jeevan Tara Building,
5, Sansad Marg, Patel Chowk, New Delhi.

Memo No. 1/66-2003 Co.(2)
Dated, Panchkula, the 28-7-2011

Subject: - **About prescribing of percentage governing admissions of minority students to Minority Educational Institutions.**

******

Kindly reference to your D.O. letter No. 209/Sect.(NCME)/2010/41-983 dated 11-03-2010 on the subject cited as above.

I have been directed to inform to you regarding action taken in the matter by the Higher Education Directorate, Haryana. In this regard it is informed that necessary instructions/ guidelines had already been issued vide letter no. 1/66-2003 Co (2) dated 25-09-2006 (copy enclosed) for compliance.

Deputy Director Cadet Corps,
for Director General Higher Education, Haryana
Panchkula.

From

Higher Education Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

To

1. The Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana, Technical Education Department, Haryana, Chandigarh.
2. The Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt., Haryana, Health Department, Haryana Chandigarh.
3. Commissioner & Director General School Education Haryana, Chandigarh

Memo No. 1/66-2003 Co. (2)
Dated: Chandigarh, the 25.9.2006

Subject: - Guidelines regarding granting of Minority status to Minority Educational institutions.

I am directed to invite your attention on the above subject and to say that meetings on 30.8.2006 and 11.9.06 were held under the chairmanship of worthy Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. Haryana, Education Department in which the interactions for granting minority status to minority educational institutions were held. The decision taken in the meetings are as follows. You are requested to follow these guidelines while granting minority status:-

1. For a Minority Educational Institution established by an individual clearly that individual should belong to the said community.
2. All the members of the applicant Society/Trust/Company desirous of establishing or maintaining minority educational institution should be from amongst the said minority community.
3. All the members of the Governing Body/Board of Trustees/Board of Co-partner etc. should be belonging to the minority community.
4. Regarding the benefits, which accrue to the Minority Educational Institutions it was noted that benefits would include:-
   (a) Freedom to fix rational fee structure without any capitation fee or undue profit.
   (b) Full freedom in respect of admission of students belonging to that minority community. However, relative merit and transparency needs to be maintained even for admission of students of that community. In case of aided minority

Institutions, the admission of students from that community should be to a reasonable extent (say upto 50%).

(c) Minority Educational Institutions have a right of seeking affiliation with any affiliating body of their own choice.

(d) Right of non-taking over of management by Govt. in respect of the Minority Educational institution.

(e) Right that no direction for any form of reservation may be imposed in that institution by the State Govt.

(f) Right to establish its own Governing Body and to appoint its own staff and take necessary disciplinary action against the staff.

Assistant Director Colleges-VIII
for Higher Education Commissioner,
Haryana, Chandigarh

Printed By: Chandu Press, Ph: 22526936